लोक-सभा
वाद-विवाद

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

खण्ड ४, १९६२/१८८४ (शक)

[२६ मई से ७ जून, १९६२/५ से १७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/75

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-92
Fumigated
On 3-12-83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ४ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड ४—अंक ३१ से ४०—२६ मई से ७ जून, १९६२ / ५ से १७ ज्येष्ठ १८८४ (शक)]

अंक ३१—शनिवार, २६, मई १९६२ / ५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३२५१
सभा का कार्य	३२५१–५२
अनुदानों की मांगें .	३२५२—३३३२
स्वास्थ्य मंत्रालय . .	३२५१—७९
शिक्षा मंत्रालय . .	३२८०—३३३२
दैनिक संक्षेपिका	३३३३

अंक ३२—सोमवार, २८ मई, १९६२ / ७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७०, १०७२, १०७४, १०७५, १०७७ से १०८०, १०८५, १०८१, १०८३, १०८४, १०८६ और १०९० से १०९३	३३३५—३३५८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १०७१, १०७३, १०७६, १०८२, १०८७, १०८८, १०८९, १०९४ से १११३	३३५८—६८
अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६ से २०३८, २०४० से २०६० और २०६२ से २११५	३३६८—३४०२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	३४०२—०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३४ ०५—०७
(१) गोरखपुर और बस्ती जिलों में चीनियों का कथित प्रवेश .	३४०५–०६
(२) डकोटा विमान का गिरना	३४०६–०७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	३४०७—०९
तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उतर में शुद्धि . .	३४०९
तारांकित प्रश्न संख्या ८६४ पर अनुपूरक प्रश्न के उतर के बारे में वक्तव्य .	३४०९
अनुदानों की मांगें	३४०९—५४
शिक्षा मंत्रालय	३४०९—१२

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३४१३—५४
दैनिक संक्षेपिका . . ३४५५—६२

अंक ३३—मंगलवार, २९ मई, १९६२ / ८ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११४, १११६ से १११९, ११२२ से ११२६, ११२८ से ११३२, ११३४ और ११३५ . . . ३४६३—८९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . ३४९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११५, ११२०, ११२१, ११२७, ११३३क, ११३६ से ११६३ . . . . . ३४९०—३५०५
अतारांकित प्रश्न संख्या २११६ से २१६७ . ३५०५—२९
प्रक्रिया के बारे में . . . ३५२९
स्थगन प्रस्ताव—
अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य . . . . . ३५३०—३१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—
१. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में वक्तव्य ३५३२
२. अमरीका में भारत के राजदूत द्वारा प्रतिरक्षा मंत्री के बारे में कही गई बातें . . . . . ३५३२—३३
३. सदर बाजार में हुआ अग्नि कांड . ३५३३
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३५३४
अनुदानों की मांगें . . . . . ३५३३—८०
सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३५३४—४८
विधि मंत्रालय . . . . . ३५४९—७०
प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . ३५७०—८०
दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५८१—८६

अंक ३४—बुधवार, ३० मई, १९६२ / ९ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से ११६६, ११६८ से ११७०, ११७२, ११७४ से ११७६, ११७८, ११७९, ११८१, ११८३ और ११८४ . ३५८७—३६१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६७, ११७१, ११७३, ११७७, ११८०, ११८२, ११८५ से ११९५ . . . . ३६१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या २१६८ से २२७८ और २२८० से २३१५ . ३६७६—८४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६८४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

पहला प्रतिवेदन . . ३६८४

समितियों के लिये निर्वाचन —

(१) भारत की क्षय रोग संस्था की केन्द्रीय समिति . ३६८५

(२) राष्ट्रीय खाद तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ३६८५

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३६८४—३७२६

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३७२७—३४

अंक ३५—गुरुवार, ३१ मई, १९६२/१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९६ से १२०१, १२०४ से १२१३ और १२१५ . . . . . ३७३५—६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . ३७६१—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०२, १२०३, १२१४ और १२१६ से १२२० अतारांकित प्रश्न संख्या २३१६ से २३७८ . ३७६३—६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३७६६—९२

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटवना में कथित विस्फोट ३७९३

पाकिस्तान द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना ३७९३—९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३७९५

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) दिल्ली विश्वविद्यालय का कोर्ट . . . . ३७९५—९६

(२) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कोर्ट . . ३७९६

(३) विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) ३७९६

अनुदानों की मांगें —

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ३७९६—३८१३

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ३८१३—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३८४४—४९

अंक ३६—शुक्रवार, १ जून, १९६२/११, ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२६, १२२७, १२२९ से १२३२, १२३४ से १२३८, १२४० से १२४४ और १२२५ . . . ३८५१—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२२४ ,१२२८, १२३३, १२३९ . ३८७७—८१

अतारांकित प्रश्न संख्या २३७९ से २४१२ . . ३८८१—९६

निधन संबंधी उल्लेख ३८९६

३१-५-६२ को उठाये गये एक औचित्य प्रश्न के बारे में . ३८९७-९८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८९८-९९

फिलेटिलिक ब्यूरो द्वारा डाक-टिकट संग्रह कर्ताओं को टिकटों के फोल्डर दिये जाने के बारे में याचिका . . . ३८९९

सभा का कार्य ३८९९

राष्ट्रपति की पेंशन (संशोधन) विधेयक, १९६२—पुरःस्थापित . ३९०

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . . ३९००—२४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ३९२५

पहला प्रतिवेदन ३९२५

मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . ३९२५—३७

अस्पृश्यता निवारण संबंधी संकल्प . ३९३७—४५

दैनिक संक्षेपिका . . ३९४६—४९

अंक ३७—सोमवार, ४ जून, १९६२/१४ ज्येष्ठ १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ से १२४९, १२५१ से १२५४ और १२५६ से १२६१ . . . . ३९५१—७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— .

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५ और १२६२ से १२७० . ३९७३—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१३ से २४३१, २४३३ से २४७४ और २४७६ से २५१० . . . . ३९७९—४०२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र—

पूर्वी पाकिस्तान में हुए उपद्रवों और उस के परिणामस्वरूप हुए प्रवजन के बारे में वक्तव्य—

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . . . ४०२४—२६

अनुदानों की मांगें—

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . . ४०२६

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४०३९–४०

हुगली के पास हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ४०७०

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४०८१—८६

अंक ३८—मंगलवार, ५ जून, १९६२/१५ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७१, १२७३, १२७४, १२७७ से १२८०, १२८२ और १२८४ से १२८९ . . . . ४०८७—४११०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२७५, १२७६, १२८१, १२८३ और १२९० से १३०८ . . . . . ४११०—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या २५११ से २६०७, २६०९ से २६१९, २६२२ से २६३० और २६३२ से २६३४ . . . . ४१२०—७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

(१) अमरीकी राजदूत द्वारा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं के बारे में कथित उद्गार . . . ४१७२

(२) कनाट प्लेस में आग . . . . ४१७२—७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४१७४–७५

सभा पटल पर एक प्रतिवेदन के रखे जाने के बारे में ४१७५

लोक सभा की बैठकों का रद्द किया जाना . . ४१७५

समितियों के लिये निर्वाचन—

भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारत के प्राणिकीय सर्वेक्षण के लिये केन्द्रीय जीव-विज्ञान सलाहकार बोर्ड . . . ४१७५–७६

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . . . ४१७६—४२३३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४२३४—४२

अंक ३९—बुधवार, ६ जून १९६२/१६ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१०, १३११ से १३१३, १३१७ से १३१९, १३२४ से १३२७, १३१६, १३१५, १३२२, १३२०, १३२३, १३१४ और १३२१ . . . . . ४२४३—६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०९ . . . ४२६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २६३५ से २६४३ और २६४५ से २७०५ . ४२६८—९९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत तिब्बत करार की समाप्ति और चीनी व्यापारिक दूतावासों का बन्द किया जाना . . . ४२९९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३००

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ४३०१

अनुदानों की मांगें—

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ४३०१—९७

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . ४३८८—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४३५४—५८

अंक ४०—गुरुवार, ७ जून, १९६२/१७ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२८ से १३३१, १३३४, १३३७ से १३४४, १३४६, १३४७, १३४९ और १३४८ . . ४३५९—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३३२, १३३३, १३३५ १३३६, १३४५ और १३५० से १३५२ . . . . . ४३८२—८५

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०६ से २७८६ . . ४३८५—४४२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

दिल्ली के टाउन हाल में आग का लगना . . . ४४२२–२३

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४४२३
समितियों के लिये निर्वाचन —	
(१) प्राक्कलन समिति ; तथा .	४४२३—२४
(२) लोक लेखा समिति	४४२४
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के बारे में . . .	४४२४
लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के सदस्यों को सम्बद्ध करने के बारे में प्रस्ताव . . .	४४२५
अनुदानों की मांगें	४४२५—७८
श्रम और रोजगार मंत्रालय	४४२५
मत विभाजन के परिणाम के बारे में घोषणा .	४४७७—७८
दैनिक संक्षेपिका	४४७९—८४

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक-सभा

गुरुवार, ३१ मई, १९६२

१० ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अनुसूचित जातियों का कल्याण

†*११९६. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये केन्द्र-प्रवर्तित योजना त्याग दी है

(ख) यदि हां, तो जिन राज्यों में आदिम जातियों की जनसंख्या छितरी हुई है उन्हें किस प्रकार की सहायता देने का इरादा है ; और

(ग) जहां आदिम जाति के लोगों की जनसंख्या अधिक है किन्तु सघन नहीं है वहां उनके विकास हेतु दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के वितरण का क्या आधार है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित कार्यक्रम जो योजनाएं शामिल की गई हैं, वे इस प्रकार हैं :– आदिम जातीय विकास खंड, सभी अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां देना और सहकारी संस्थाओं की उन्नति की योजना केन्द्रीय सहायता वास्तविक खर्च के आधार पर कुछ वित्तीय सीमाओं के अधीन दी जाती है ।

केवल आदिमजातीय विकास खंडों की योजना ही आदिम जातीय जनसंख्या का कुछ केन्द्रीयकरण विहित किया गया है । दूसरी कोई भी योजना आदिम जातीय जनसंख्या के केन्द्रीयकरण से संबंधित नहीं है । आदिमजातीय जनसंख्या की आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारें योजनायें तैयार करती हैं और कार्यान्वित करती हैं । इस कार्यक्रम के अधीन संपूर्ण खर्च भारत सरकार करती है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस बात को देखते हुए कि आदिमजातीय विकास खंडों को चुनने के लिये सरकार ने कुछ सिद्धांत निर्धारित किये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि कितने राज्य उस सिद्धांत के अन्तर्गत नहीं आये हैं और ऐसे राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी जायगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** विकास के लिये आदिमजातीय खंडों को चुनने की चार कसौटियां हैं (१) कुल जनसंख्या २५,००० होनी चाहिये ; (२) ६६ $^{२}/_{३}$ प्रतिशत तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का न्यूनतम केन्द्रीयकरण होना चाहिये (३) १५० से २०० वर्गमील का क्षेत्रफल और (४) सामान्य प्रशासनिक एकक के रूप में काम करने की योग्यता इस प्रकार से, लगभग ३३० खंड बनाये जायेंगे ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय उपमंत्री ने आदिमजातीय विकास खंड चुनने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित कुछ सिद्धांत अभी-अभी बताये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिन राज्यों में आदिमजाति लोग काफी संख्या में इकट्ठा हो गये हैं और जहां वे सिद्धांत लागू नहीं होते, उन राज्यों को आदिम जाति के लोगों के विकास के लिए किस प्रकार की सहायता दी जायगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** माननीय सदस्य जानते हैं कि एसे क्षेत्रों के संबंध में ढेबर आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं । दूसरी भी एक या दो समितियों ने कुछ सिफारिशें की हैं। हम उन सभी पर विचार करने वाले हैं और बाद में हम यह निश्चय करेंगे कि उन क्षेत्रों को क्या रियायत दी जा सकती है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** केन्द्रीय समर्थित योजनायें तैयार करने में पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के जो कठिनाइयां हुई थीं क्या वे दूर करदी गयी हैं और यदि हां, तो किन परिवर्तनों के साथ और किन दशाओं में ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर :** वे दूर की जा रही हैं और किन दशाओं में वे दूर की गयी हैं इस बारे में मुझे नोटिस चाहिये ।

†**श्री भगवत झा आजाद :** क्या देश के मुख्य आदिम जातीय क्षेत्र इन विकास खंडों के अन्तर्गत आ चुके हैं और अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र उनसे बाहर हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में करीब ३३० खंड स्थापित करने का हमारा विचार है लेकिन अधिकांश कार्य तीसरी योजना की अवधि के उत्तरार्ध में किया जायगा । अभी भी जो क्षेत्र उन विकास खंडों से बाहर रह गये हैं उनके बारे में मुख्य कारण यह है कि प्रशिक्षित कर्मचारी और प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध नही हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** माननीय मंत्री ने बताया कि वह विभिन्न समितियों की सिफारिशो पर विचार कर रहे हैं और तबतक कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन क्या यह सच है कि जिन क्षेत्रों में केन्द्रीयकरण इतना अधिक नहीं था कि वहां आदिम जाति खंड बनाये जा सकें वहां दूसरी योजना की अवधि में दी गयी सहायता बंद कर दी गयी है ? उदाहराणार्थ, पश्चिम बंगाल में दो तिहाई केन्द्रीयकरण भी नहीं है। तो क्या एसे क्षेत्रों में, वे छात्रवृत्तियों तथा अन्य मामलों में छोड़कर आदिम-जातियों को अब और कोई सहायता नहीं देते ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** क्या मैं यह बता दूं कि यह प्रश्न केन्द्र समर्थित योजनाओं के संबंध में है ? उसके अलावा एसी भी योजनायें हैं जो राज्य सरकारें चलाती हैं और उनके लिये केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत मदद देती है।

---

†मल अंग्रजी में

†**श्री बड़े** : क्या सरकार को मालूम है कि भूमिहीन अनुसूचित आदिम जातियों और भूमिहीन आदिवासियों की बड़ी गंभीर समस्या है ? क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ करने जा रही है ?

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : भूमि हीन लोगों को भी सहायता देन की योजनायें हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : हमें यह बताया गया है कि इन खंडों को चलाने के लिय उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं और तीसरी योजना के मध्य तक वे चालू नहीं होंगे । तो इस काम के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

†**श्री जयपाल सिंह** : किस जगह ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : पहले चाहे कुछ किया गया हो या न किया गया हो, अब हमें यह काम तुरन्त शुरू करना है और मैं समझता हूं कि इस साल और खासकर अगले साल हम इसे पूरे जोर के साथ शुरू कर सकेंगे । आशा है कि प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण इन खंडों के विकास में कोई बाधा नहीं होगी ।

†**श्री बड़े** : क्या सरकार को मालूम है कि भूमि हीन आदिवासियों और अनुसूचित आदिम-जातियों ने वन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और राज्य सरकारें उन्हें निकाल बाहर कर रही हैं ? क्या सरकार उन राज्य सरकारों को ऐसा करने से रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हमें खास जानकारी नहीं है लेकिन हम पता लगा सकते हैं । यदि माननीय सदस्य जानकारी दें तो हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

लोक सेवाओं के लिये शराब पीना एक अनर्हता

†*११९७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मद्यनिषेध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोक सेवाओं के लिये शराब पीना एक आर्हत मान लेने विषयक प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) इस प्रस्ताव की प्रभावी क्रियान्विति में किन कठिनाइयों के आने का अनुमान है ?

†**गृह-काय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख) इस विषय में केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की जिसकी बैठक ४ और ५ सितम्बर, १९६१ को हुई थी सिफारिश यह थी कि भारत सरकार और राज्य सरकारें किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अपने अधिकारियों के लिए शराब पीना एक दुर्व्यवहार घोषित कर सकती है । राज्य सरकारें के परामर्श से इस विषय की छान बिन की जा रही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मुझे मालुम हुआ है कि इस बोर्ड द्वारा यह संकल्प पारित किये जाने के बाद गृहकार्य मंत्री तथा वित्त मंत्री ने आपस में सलाह मशविरा किया था और वे कुछ कार्यवाही करना चाहते थे । क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय स्तर पर क्या कदम उठाये जा चुके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** वह संकल्प और गृह मंत्रालय तथा भारत सरकार की राय विभिन्न राज्य सरकारों को बता दी गयी है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों से वे सामान्य रूप से सहमत हैं और इस संबंध में काम किया जा रहा है ।

†**श्री हेडा :** क्या यह सच नहीं है कि जहां तक राजनयिक सेवाओं का संबंध है, चाहे वह हमारे देश में हो या न हों, दूसरे देशों में, एक शर्त यह होती है कि उन्हें शराब पीनी चाहिये ।

†**श्री दातार :** यह बिलकुल अलग सवाल है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न लोक सेवाओं के संबंध में है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या राजनयिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति इस उनर्हता के आधीन आते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यहां यह प्रश्न नहीं है ।

†**डा० गोविन्द दास :** क्या यह बात सही है कि कुछ स्थानों में जहां मद्य निषेध है वहां भी इस तरह की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं कि वहां भी कुछ अफसर बराबर मद्य लेकर गए हैं और उन्होंने मद्य पिया है और उसके सबब से बुरे नतीजे निकले हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सवाल नहीं है । सवाल तो यह कि डिसक्वालिफिकेशन हो या नहीं ।

†**श्री त्यागी :** इस अनर्हता के लिए कौन-कौन से पेय निषिद्ध हैं ? क्या मद्यरहित पेय भी इन अनर्हता के अन्तर्गत आते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि मद्यरहित पेय इसके अन्तर्गत नहीं आते ।

†**श्री मुहम्मद ताहिर :** क्या इस सभा के सदस्यों के लिए भी मद्यपान निषिद्ध करने का सरकार का विचार है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

†**श्री हेम बरुआ :** माननीय मंत्री ने अभी अभी बताया कि यह सिफारिश राज्य सरकारों के पास उनकी राय के लिए भेज दी गयी है । क्या यह सच है कि पंजाब के मुख्य मंत्री का अपने लोगों से इस बारे में कि मद्यनिषेध लागू किया जाये या नहीं कोई परामर्श करने का विचार है ? क्या वह मद्यनिषेध संबंधी हमारी स्वीकृत राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध नहीं है ?

†**श्री दातार :** यह एक सीमित प्रश्न है कि मद्यपान एक दुर्व्यहार समझा जाना चाहिये या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि लोक सेवाओं के लिए परामर्श अनर्हता है या नहीं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** देश में पूर्ण मद्यनिषेध न होने की दशा में क्या यह नियम लागू करने में एक प्रकार के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी जो व्यवहार्य न हो और जिसे व्यक्तिगत आदतों और स्वातंत्र्य में अरुचिकर हस्तक्षेप समझा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** जिस समय अन्तिम निश्चय किया जायेगा उस समय प्रश्न के इस पहलू पर भी विचार किया जायेगा ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजनयिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति भी इन लोक सेवाओं के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** लोक सेवाएं भी हमारी अपनी सेवाएं हैं ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** राजनयिक सेवाओं से मेरा मतलब उन लोगों से है जो हमारी ओर से विदेशों में अपनी राजनयिक सेवाओं में भेजे जाते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो भारत के सम्बन्ध में है ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** वे हमारी लोक सेवाएं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह उसके लिए दूसरा अवसर ढूंढ सकते हैं । हम अब अगला प्रश्न लें ।

सीमेन्ट का उत्पादन

\+

*११९८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ नये कारखाने खोलने का विचार है और इन कारखानों के कहां-कहां खुलने की संभावना है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां । अभी तक जिन जगहों पर नये सीमेंट के कारखाने खोलने के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है उन्हें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६८]**

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सभी कारखाने कायम करने के लिये आवश्यक साजसामान, तकनीकी जानकार, विदेशी मुद्रा और बाकी सभी चीजें उपलब्ध हो जायेंगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम् :** जी हां, यही अनुमान है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** जब ये सभी कारखाने चालू हो जायेंगे तब देश में सीमेंट का कुल उत्पादन कितना होगा और क्या वह हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त होगा और क्या निर्यात के लिये कुछ फालतू भी होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्:** संस्थापित क्षमता १५२ . ४ लाख मीट्रिक टन होगी और शायद उत्पादन लगभग १३२ लाख मीट्रिक टन होगा । लेकिन वर्तमान अनुमान के अनुसार यह हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं होगा । यह लक्ष्य और आगे बढ़ाना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : अब तक मंजूर शुदा २१ कारखानों में से कितने कारखानों में तीसरी योजना की अवधि में संभवतः उत्पादन शुरू हो जायेगा, कुल उत्पादन कितना होगा और क्या उससे हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अनुमान है कि इन सभी कारखानों में तीसरी योजना की अवधि के आखिर तक उत्पादन आरम्भ हो जायगा । जैसा कि मैं बता चुका हूं, यदि सभी कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो जाये, तो हम १५२.४ लाख टन की संस्थापित क्षमता तक पहुंच जायेंगे और उत्पादन लगभग १३० लाख टन होगा ।

†**श्री सरजू पाण्डेय** : इस स्टेटमेंट को देखने से ऐसा मालूम होता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कोई सीमेंट फैक्टरी नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोई सीमेंट फैक्टरी नहीं लगाई गई है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह गैर-सरकारी क्षेत्र में है और जब कभी आवेदनपत्र आयेंगे, उसपर विचार किया जायेगा ।

†**श्री उमानाथ** : क्या १०० टन क्षमता वाले संयंत्र के लिये लाइसेंस देने की कोई योजना है, यदि नहीं तो क्या मद्रास सरकार ने ऐसी कोई योजना भारत सरकार के सामने रखी है और उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यहां मेरे पास तथ्य नहीं हैं ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्या केरल राज्य में एक कारखाना कायम करने की कोई योजना सरकार को प्राप्त हुई है और यदि हां, तो क्या उसपर विचार किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं प्रत्येक राज्य के संबंध में ब्यौरे नहीं बता सकूंगा ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : क्या ऐसी कोई समय सीमा निश्चित की गयी है जिसके अन्दर उन पार्टियों को जिन्हें लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं, कारखाने कायम करने होंगे ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : आखिर उन्हें भी ये कारखाने कायम करने में दिलचस्पी है । आजकल वे जल्दी करने का प्रयत्न कर रहे हैं । जो लोग कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, हम उनके लाइसेंस रद्द कर देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे दूसरों को दिये जा सकें ।

†**श्री बी० श्रीकान्तन् नायर** : वे कौन से अधिकारी हैं जो स्थान चुनते हैं और उस सूची में से दो राज्यों को, उत्तर प्रदेश और केरल को, शामिल न करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह तो इस बात पर निर्भर है कि उन राज्यों में कच्चा माल उपलब्ध हो और गैर-सरकारी क्षेत्र में ये कारखाने कायम करने के लिये लोग आगे आयें । यदि इन राज्यों से आवेदनपत्र आयें और हमारा समाधान हो जाये कि वहां पर्याप्त कच्चा माल मिलेगा तो उन पर अवश्य विचार किया जायेगा ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : इस बात को देखते हुये कि हम अभी ९३ लाख टन के निर्धारित लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाये हैं, अभी १० लाख टन की कमी है, अपना लक्ष्य १५० लाख टन से १८० लाख टन तक बढ़ाने से क्या लाभ होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह तो प्रत्येक कारखाने की उत्पादन क्षमता की बात है। वे संस्थापित क्षमता का केवल ८८ प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं लेकिन यदि और अधिक परिवहन और कोयला उपलब्ध हो जाये तो मुझे विश्वास है कि वे और १० प्रतिशत उत्पादन बढ़ा सकेंगे। लेकिन उससे हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। इसलिये अगर हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिये अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो और नये कारखाने स्थापित करने होंगे, अर्थात् उत्पादन १८० लाख टन तक बढ़ाना होगा।

तेल-शोधक कारखाने

†*११९९. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल-शोधक कारखानों में पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं हो रहा है ;

(ख) प्रत्येक तेल-शोधक कारखाने में कितनी क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है ; और

(ग) अप्रयुक्त क्षमता का उचित प्रयोग करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या)**: (क) और (ख). आयात किया हुआ अशोधित तेल साफ करने वाले गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों के पास लगभग १५ लाख टन सालाना की अतिरिक्त क्षमता लपलब्ध बतायी जाती है।

(ख) तेल कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत, उसके उपयोग की योजनाओं की छानबीन की जा रही है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस अप्रयुक्त क्षमता का कब से पता लगा है और इसका उपयोग क्यों नहीं किया गया ?

†**खान और इंधन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: इस क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिये इन कम्पनियों की ओर से कोई आवेदन पत्र नहीं आया था। उन्होंने अभी हाल में योजनायें प्रस्तुत की हैं कि इस पूरी क्षमता का उपयोग करने की उन्हें अनुमति दी जाये।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग के लिये क्या योजनाएं हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : मुख्य योजना यह है कि उन्हें अधिकतम क्षमता तक तेल साफ करने की इजाजत दी जाये। दूसरी, वे हमें प्रतियोगितात्मक मूल्य देंगे।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या बम्बई में एस्सो तेलशोधक कारखाने में अंकलेश्वर तेल साफ किया जाने वाला है और यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई करार किया गया है ?

†**श्री हजरनवीस** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री हेडा** : डीजल तेल की काफी अधिक मांग को देखते हुये क्या डीजल तेल तयार करने की कोई अप्रयुक्त क्षमता भी है और यदि हां, तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हजरनवीस : जो भी उत्पाद शोधक कारखानों से निकलते हैं वे सभी इस योजना में शामिल हैं ।

†श्री महेश्वर नायक : क्या देश में अशोधित तेल का उत्पादन शोधक कारखानों की संपूर्ण क्षमता के लिये पर्याप्त हैं ?

†श्री हजरनवीस : जी नहीं, वह स्पष्ट हैं ।

पाकिस्तान को अमरीकी हवाई जहाज

+
†*१२००. { श्री याज्ञिक :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि अमरीकी सरकार ने हाल में पाकिस्तान को ऐसे विमान दिये हैं, जिनसे पाकिस्तान का विमान-बल भारत के विमान-बल की अपेक्षा अधिक हो जायेगा ;

(ख) क्या सरकार ने अमरीकी सरकार की इस नीति का विरोध किया है ; और

(ग) क्या सरकार ने भारतीय विमान-बल के कर्मचारियों की संख्या तथा उसकी शक्ति बढ़ाने के लिये कोई कायवाही की है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): हमारी जानकारी इसी तरह की है ।

(ख) अमरीकी सरकार को कोई औपचारिक विरोध पत्र नहीं भेजा गया है । फिर भी, पाकिस्तान को सैनिक सहायता के बारे में भारत सरकार की राय अनेक अवसरों पर अमरीकी सरकार को बता दी गयी है ।

(ग) ऐसे मामलों में हम क्या करते हैं वह बताना लोकहित में उचित नहीं है ।

†श्री याज्ञिक : पाकिस्तान कब से इस विमान-बल के क्षेत्र में भारत से अधिक श्रेष्ठ हो गया है ? उसे अमरीका से क्या ख़ास-खास चीजें मिली हुई हैं जिससे वह भारत से अधिक श्रेष्ठ हो गया है ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह बताना बहुत कठिन है कि वह भारत से अधिक श्रेष्ठ है या नहीं लेकिन फिलहाल उसके पास अधिक अच्छे हथियार हैं ।

†श्री याज्ञिक : यह श्रेष्ठता कब से है ? इस बीच अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने और उसे पाकिस्तान की क्षमता के बराबर के स्तर पर लाने के लिये क्या किया गया है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कहते हैं कि यह बताना सम्भव नहीं है कि वह भारत से श्रेष्ठ हैं या नहीं । इसलिये कोई समय कैसे दिया जा सकता जब कि हम उनके बराबरी पर आ जायेंगे ?

†श्री याज्ञिक : मेरा प्रश्न यह है कि उसके पास विशेष एकक कब से हैं जिनके कारण उसे हमारी युद्ध क्षमता से श्रेष्ठता प्राप्त हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन :** जैसा कि मैंने बताया है, उसके पास अधिक अच्छे हथियार हैं। वास्तव में वह श्रेष्ठ है या नहीं यह तो लड़ाई में ही मालूम हो सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे हथियार उसे कब मिले ? क्या बहुत पहले ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हो सकता है। यह बताना बहुत कठिन है कि वे हथियार वास्तव में उसे कब प्राप्त हुये। मैं इतना ही बता सकता हूं। कि हमने कई कार्यवाहियां की हैं, जिनके बारे में हम कुछ अधिक बता नहीं सकते।

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है कि पाकिस्तान वायुसेना के पास यू–२ जैसे विमान हैं और पाकिस्तान में मिसाइल अड्डे हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यू–२ लड़ाकू जहाज नहीं हैं, वह तो जांच पड़ताल करने वाला विमान है। उस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** भारत के विरोध पर अमरीकी सरकार का क्या प्रत्युत्तर है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जैसा कि मैंने बताया, हमने कोई औपचारिक विरोध नहीं किया है लेकिन हमारी राय जाहिर है। भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री आइसेनहावर और माननीय प्रधान मंत्री के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है। अमरीका को इस बारे में हमारे जनमत की जानकारी है।

†**श्री पु० र० पटेल :** पाकिस्तान के पास ऐसे कौन से विमान हैं जो हमारे पास नहीं हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैं पाकिस्तान का रक्षा मंत्री नहीं हूं। मैं समझता हूं कि उसके पास श्रेष्ठ वायुशक्ति है, नदियों को पार करने में भी उसके पास में श्रेष्ठ शक्ति है लेकिन श्रेष्ठ नैतिक शक्ति नहीं।

†**श्री त्यागी :** क्या सेना गुप्तचर विभाग ने माननीय मंत्री को पूरी-पूरी जानकारी दी है कि अमरीका से पाकिस्तान को किस प्रकार के हथियार, और कितने परिमाण में प्राप्त हुए हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** माननीय सदस्य प्रतिरक्षा मंत्रालय के तरीकों से अनभिज्ञ नहीं हैं। सेना गुप्तचर-कार्य और जानकारी के बारे में मुझे पूछना लोकहित में नहीं है।

†**श्री त्यागी :** मैं केवल यह पूछना चाहता हूं और सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या उसे यह पूरी तरह मालूम है कि पाकिस्तान को किस प्रकार के हथियार मिले हुए हैं।

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैं केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे पास जितने भी साधन हैं उनके जरिये हम अधिकाधिक उपयोगी जानकारी प्राप्त करने को भरसक कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर :** माननीय मंत्री के स्पष्टीकरण को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि हमने रूस से एम आई जी हवाई जहाजों की मांग की है। यह बात कैसे पता खुल गयी ? यदि यह ठीक है, तो क्या वह बात वायुसेना से पता लगी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बिल्कुल अलग सवाल है।

†**श्री उ० पू० द्विवेदी :** क्या इस जानकारी का अभाव सेना में अच्छे गुप्तचर अधिकारियों की कमी के कारण है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** कोई भी सरकार इस तरह की जानकारी नहीं देती। हमें वह किसी तरह प्राप्त करनी होती है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या अभी हाल मे अमरीकी सुपरसोनिक हवाई जहाजों के दो स्क्वैड्रन पाकिस्तान को दिये जाने के कारण पाकिस्तान भारत के विरुद्ध चीन के साथ मिल कर विषवमन करने में समर्थ हुआ है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मुझे दो या और किसी संख्या में स्क्वैड्रनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं केवल इतना ही जानता हूं कि अगर किसी देश के पास एक हो स्क्वैड्रन हो और उसे इस्तेमाल करने को उसे आदत हो गयी हो, तो देने वाला देश संकट काल में उसे और भी दे सकता है।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह तो राय का विषय है।

†**श्री कृष्ण मेनन :** वायुसेना में जेट आने से बहुत पहले ही उन्होंने विषवमन किया है।

†**श्री वारियर :** पाकिस्तान में वायुसेना की इस श्रेष्ठता को प्रतिसन्तुलित करने के लिये प्रतिरक्षा विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जहां तक संभव है मैंने जबाब दिया है अर्थात् हमारे पास जो उपकरण हैं जिनके बारे में सभा संभवतः मुझ से कुछ जानने की आशा नहीं करेगी, उनके जरिये हमने किसी भी संकट का सामना करने के लिये व्यवस्था की है।

असिस्टेंटों का सेलेक्शन ग्रेड

+

*१२०१. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री २९ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि असिस्टेंटों का सेलेक्शन ग्रेड बनाने के जिस सुझाव पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** मामला विचाराधीन है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्री भक्त दर्शन :** श्रीमन्, इस प्रश्न पर निर्णय करने में इतनी देरी का क्या कारण है ?

†**श्री दातार :** सरकार को कितने ही कदम उठाने थे। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग से भी परामर्श करना था वित्तीय व्यय आदि का भी विचार करना था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वारियर** : क्या सरकार के पास इस विषय पर संघ लोक सेवा आयोग की मंत्रणा है ?

†**श्री दातार** : मैंने यही कहा है कि सेवा आयोग से परामर्श करना था। उनकी सलाह मिल गई है।

†**श्री नम्बियार** : क्या सरकार ने उन सब सदस्यों को रख लिया है या पदोन्नत कर दिया है, जो पहले चुने गये थे और जिनकी पदोन्नति के बारे में विवाद खड़ा हो गया था और लम्बे चौड़े अभ्यावेदन हुए थे ?

†**श्री दातार** : वह सर्वथा भिन्न प्रश्न है।

रूस से सुपरसोनिक लड़ाकू विमान

†*१२०४. **श्री हेम बरुआ** :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री नाथपाई :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री यो० ना० सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री वारियर :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वायुसेना के लिये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान या मिसाइल्स (क्षेप्यास्त्र) खरीदने के लिये सोवियत संघ के साथ एक करार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्तावित करार किस तरह का है और उसकी स्थूल रूपरेखा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सरकार ने विभिन्न साधनों से जिन में रूस भी शामिल है, अपेक्षित पूछताछ की है। अभी किन्हीं करारों के लिये कोई बातचीत नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सही है कि रूस ने पश्चिमी निर्माताओं द्वारा मांगी गई कीमत से आधी कीमत पर इन जैट विमानों को देने की पेशकश की थी और वह भी रुपयों में और यदि हां, तो सैनिक सहायता के रूप में इसका किस मात्रा तक ठीक निर्वचन किया गया है जैसा पश्चिम मंडलों ने किया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह सैनिक सहायता नहीं है। यह किसी अन्य वस्तु के समान वस्तु की खरीद है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, कुछ सन्देह है कि ब्रिटेन ने अब तक जो सैनिक भेद इस देश को दिये हैं वे रूस को मालूम हो जाएंगे और यदि हां, तो यह भ्रम कहां तक सही है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह भ्रम सर्वथा निराधार है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या इस बारे में बहुत से देशों से पेशकश आई है, और क्या उन सब पेशकशों की जांच इस दृष्टि से की गई है कि उन में से कौन सी पेशकश, राजनीतिक, वित्तीय, युद्ध कला और सैनिक कार्रवाई की दृष्टि से भारत के लिये सर्वाधिक लाभकारी है और यदि हां, तो यह जांच इस समय किस स्थिति में है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी हां ।

†**श्री वारियर :** क्या यह सच नहीं है कि एक रिपोर्ट थी कि सरकार ने भी बातचीत की थी और अन्तिम फैसले पर पहुंच गये थे और उन्होंने अमरीकी राजदूत के विरोध पर इसे छोड़ दिया ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** रिपोर्टों का पीछा करना बड़ा कठिन होता है क्योंकि वे इतनी परस्पर विरोधी होती हैं और वे बहुत अधिक होती हैं। मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने दे दी है। तो भी बाद में वाद-विवाद में इस विषय पर चर्चा की जायेगी क्योंकि इसे बहुत से माननीय सदस्यों ने उठाया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री इस विषय पर बोल रहे हैं क्योंकि इसे कई मा० सदस्यों ने वाद-विवाद में उठाया है। वह इन प्रश्नों का उत्तर देंगे ।

†**श्री नम्बियार :** यह उनके इस भाषण में जोड़ दिया जाए जो अभी दिया जाना है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

छोटी कोयला खानों का एकीकरण

+

†*१२०५. { **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वेच्छापूर्वक एकीकरण योजना की असफलता को देखते हुए छोटी कोयला खानों के एकीकरण के लिए कोई विधान प्रस्तुत करने का सरकार का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह संभवतः कब पेश किया जायेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) कोयला खान स्वैच्छिक विलय समिति अपने प्रयत्न कर रही है और इस समय अनिवार्य विलय का विधान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या यह सच है कि स्वच्छापूर्वक विलय के प्रयत्न असफल रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इन कोयला खदानों के विलय करने के अन्य मार्गों का विचार कर रही है ?

†**श्री तिम्मय्या** : यह असफल नहीं रहे हैं । स्वैच्छिक विलय समिति इन अलाभकर और अन्य कोयला खानों के स्वैच्छिक विलय के अपने प्रयत्न अभी भी कर रही है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : छोटी कोयला खानों का विलय किस मात्रा तक करना शेष है और कौन सी मुख्य बाधाएं मार्ग में पड़ रही हैं ?

†**श्री तिम्मय्या** : इन कोयला खानों के विलय के मुख्य प्रस्ताव हैं । अब तक लगभग २३ मामलों में जिन में ४५ कोयला खाने आती हैं, विलय हुआ है और लगभग २७ प्रस्थापनायें अभी विचाराधीन हैं ।

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मुख्य कठिनाई कोयला खानों के मालिकों की सहमति का अभाव है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार इन कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार करती है--जिन में से आधी -- ६०० इकाइयों में से -- अधिकतर अलाभकर हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : जी हां ।

भारत में भिखारी

†*१२०६. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आंकड़े हैं कि भारत में कितने भिखारी हैं ;

(ख) क्या सरकार का भीख मांगने के विरुद्ध ऐसा कोई विधान प्रस्तुत करने का विचार है, जो देश के सभी भागों पर लागू हो ; और

(ग) यह समस्या सुलझाने के लिए निकट भविष्य में और दूसरी क्या क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) १९५१ की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भिखारियों और आवारा लोगों की संख्या ४८७९०७ थी । १९६१ की जनगणना के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं, अधिकतर राज्य सरकारों की इस विष्य पर अपनी विधियां हैं ।

(ग) राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भिखारी आश्रम स्थापित कर रहे हैं जहां भिखारियों को निशुल्क भोजन और निवास की सुविधा प्राप्त होगी। विभिन्न कामों और शिल्पों का व्यवसायिक प्रशिक्षण भी वहां रहने वाले लोगों को दिया जाता है । भारत सरकार ऐसे आश्रम स्थापित करने के लिए अनुमोदित योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता देती है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी** : क्या सरकार को पता है कि बहुत से बच्चे अपहृत किये जाते हैं उन को भिक्षावृत्ति करने के काम में लगाने के लिये पाला जाता है और यदि हां तो ऐसे कितने अपराधियों को पिछले दो वर्षों में दण्ड दिया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये जो बच्चों को भिक्षावृत्ति के काम में लगाने के लिये अपहृत करते हैं, भारत दंड संहिता (संशोधन) अधिनियम, १९५९ पारित किया गया था और १५ जनवरी, १९६० से समूचे देश में लागू किया गया ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । ऐसे कितने अपराधियों को दण्ड दिया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

डा० गोविन्द दास: क्या यह बात सही है कि ये भीख मांगने वाले दो तरह के हैं, एक तो वे जो अंधे हैं या लंगड़े लूले हैं और दूसरे वे जिनके अंग साबित दस्तूर हैं। क्या कम से कम ऐसे आदमियों के लिये जो दूसरा काम कर सकते हैं केन्द्रीय सरकार कोई कानून बनाने का विचार कर रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : नहीं। अभी जितने कानून हैं उन पर ही ठीक से अमल किया जाये तो बेहतर होगा ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या सरकार ने भिक्षावृत्ति के कारणों का विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है अर्थात् यह कि क्या वे स्वभाव के कारण भिखारी बने हैं या उन्होंने इस कारण भिक्षावृत्ति स्वीकार की है कि क्योंकि उन्हें और कोई रोजगार नहीं मिल सकता था ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हो सकता है दोनों कारण हों ।

†**श्री नारायण दास** : उपमंत्री ने अभी कहा है कि केन्द्रीय सरकार भिखारियों के लिये आश्रम स्थापित करने के लिये कुछ सहायता देती है। अब तक पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं में इस संबंध में कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : मैं कुल व्यय नहीं बता सकती किन्तु मैं यह कह सकती हूं कि राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई अनुमोदित योजनाओं के आवर्ती व्यय के ५० प्रतिशत तक व्यय केन्द्रीय सरकार देगी ?

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : कितने भिखारी भिखारी आश्रमों से बाहर चले गये हैं और १९६१–६२ में लाभदायक कार्यों पर लगा दिये गये हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इसका उत्तर देना बहुत सरल नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अचल सिंह : ये बैगर होम किस किस स्टेट में खोले गये हैं और कहां कहां खोले गये हैं क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : ठीक आंकड़े तो मैं नहीं दे सकता। इस बारे में बहुत से सवाल पूछे गये हैं। यह काम राज्य सरकारें करती हैं और हर एक प्रदेश की सरकार ने अपने अपने कानून भी बना रखे हैं या बना रही हैं। अब इनमें से कितने आदमी निकले और उनको किस किस काम में लगाया गया, इसका ब्योरा तो हम यहीं नहीं दे सकते, लेकिन अगर किसी खास जगह के संबंध में माननीय सदस्य लिखेंगे तो मैं उसका उत्तर उन्हें मंगाकर दे दूंगा।

†**श्री वारियर** : क्या सरकार के पास उपलब्ध सांख्यिकी से यह पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में भिखारियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : भिक्षावृत्ति में काफी कमी हुई है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : माननीय मंत्री ने प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर ना दिया है, जबकि तीसरी योजना में कहा गया है कि भिक्षावृत्ति तथा आवारगी के उन्मूलन के लिये केन्द्रीय विधि बनाना वांछनीय होगा। क्या माननीय मंत्री इस असंगति की व्याख्या करेंगे ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : कुछ कठिनाइयां हैं। इन बातों की जांच की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य सरकार के अपने क्षेत्र में कुछ अधिनियम हैं। अतः कोई विधि बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार के लिये अधिक आवश्यकता नहीं है।

लड़कियों तथा स्त्रियों की शिक्षा

+

†*१२०७. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या लड़कियों तथा स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में लगे ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के बारे में किसी योजना पर निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य विशेषता क्या है ;

(ग) क्या यह बिल्कुल केन्द्रीय योजना होगी या इसमें राज्य भी भाग लेंगे ; और

(घ) यदि राज्य भी भाग लेंगे तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम्रामचन्द्रन्)** : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) योजना के अन्तर्गत सहायता निम्न तीन कार्यों को करने के लिये लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को दी जायेगी :—

(१) प्रयोगात्मक अथवा शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्वरूप वाली परियोजनाएं;

(२) लड़कियों के मिडल तथा सैकेंडरी स्कूलों और अध्यापिकाओं की प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की व्यवस्था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) मिडल तथा सैकेंडरी स्कूलों में लगे होस्टलों तथा प्राथमिक अध्यापिकाओं की प्रशिक्षण संस्थाओं का निर्माण ।

सहायता अंशदान के आधार पर होगी । केन्द्रीय सरकार का अनुदान इस प्रकार होगा :—

(१) कुल व्यय के ७५ प्रतिशत की दर पर सब आवर्तीव्यय के लिये ;

(२) कुल व्यय के ६० प्रतिशत तक सब अनावर्ती व्यय के लिये, किन्तु इमारतों के लिये सहायतानुदान ४५,००० रुपये से नहीं बढ़ेगा ।

(ग) यह केन्द्रीय योजना है ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : विवरण से यह प्रतीत होता है कि तीन प्रकार के कार्यों के लिये सहायता दी जाती है ? क्या इन तीनों श्रेणियों के लिये पृथक २ धन आवंटित किया गया है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : प्रत्येक श्रेणी के लिये धन का पृथक आवंटन नहीं है, किन्तु इकट्ठी राशि रखी गई है जिसमें ये तीनों और अन्य कल्याण वाली योजनाएं शामिल हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या यह राशि केवल विभाग द्वारा दी जाती है या धन बांटने के लिये एक पृथक बोर्ड है ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : नहीं । समाज कल्याण बोर्ड आदि के समान अन्य बोर्ड कुछ राशि बांटते हैं । किन्दु जहां तक इस विशिष्ट धन का संबंध है, यह केन्द्र द्वारा चालित योजना है और धन शिक्षा मंत्रालय द्वारा बांटा जाता है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह योजना स्थायी रूप से चालू की गयी है या कुछ वर्षों के लिये ? यदि कुछ वर्षों के लिये तो कितने वर्षों के लिये ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : यह इस समय तो तीसरी योजना अवधि के लिए है । यदि यह सफल रहा तो हम चौथी योजना अवधि के लिये भी योजना कर सकते हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या यह अनुमान लगाया गया है कि जो व्यवस्था की गई है वह कहां तक पुरुषों और स्त्रियों की शिक्षा के बीच के वर्तमान असन्तुलन को ठीक कर सकेगी ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्**: यह बड़ा व्यापक प्रश्न है । यहां प्रश्न का स्वयंसेवी संगठनों से संबंध है । स्त्रियों के कल्याण शिक्षा और पुनर्वास के लिये बहुत से स्वयंसेवी संगठन हैं और बहुत से बोर्ड तथा अन्य अभिकरण एवं गृह कार्य मंत्रालय हैं जो धन देते हैं । उन स्वयंसेवी संगठनों को लेने के लिये जिन्हें सहायता नहीं मिलती, बहुत थोड़ी राशि दी जाती है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या राज्यों में शिक्षा संस्थाओं को दी गई राशि उनको राज्यों के द्वारा दी जाती है या सीधे कन्द्र के द्वारा ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन्** : नहीं, यह सीधी केन्द्र द्वारा चालित योजना है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : इसलिये तीसरी योजना में कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : लगभग २५ लाख रुपये। इसमें यह और कुछ अन्य योजनाएं भी शामिल हैं ।

अंकलेश्वर गैस

†*१२०८. **श्री पु० र० पटेल :** क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंकलेश्वर क्षेत्र के तेल कुओं से निकलने वाली गैस जला दी जाती है और उसका आर्थिक रूप से कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन कितनी गैस जलाई जाती है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) :** (क) जी नहीं ।

(ख) लगभग ७०,००० घन मीटर ।

†**श्री पु० र० पटेल :** इस गैस का बेहतर उपभोग क्यों नहीं किया गया और इसे क्यों जलाने दिया गया ?

†**श्री तिम्मय्या :** इस समय भण्डार करने की सुविधाओं की कमी है और गैस जलाई जाती है। इस प्रकार गैस का जलाया जाना तेल उद्योग में असाधारण बात नहीं है । मध्य पूर्व देशों में भी साधारणतः ऐसा किया जाता है।

†**श्री पु० र० पटेल :** पाइप लाइन बना कर शहरों को गैस देने की लागत क्या है और गैस को जलाने से हमें कितनी हानि हुई है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** कोई ध्यान नहीं है । इसका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है । उस गैस को ले जाने और उतरण बिजली घर में उपयोग करने के लिये गुजरात राज्य बिजली बोर्ड को देने का प्रस्ताव है । जब पाइप लाइन बन जाएगी तो यह उपयोग के लिये वहां ले जाई जाएगी।

†**श्री मान सिंह पु० पटेल :** सरकार ने प्राप्त गैस का उपयोग करने की क्यों योजना नहीं बनाई ?

†**श्री हजरनवीस :** जब तक हमें उसकी मात्रा का पता न हो, कोई योजना नहीं बनाई जा सकती।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** गैस का किस समय तक उपयोग किये जाने संभावना है और क्या स्थानीय भांडागार व्यवस्था की जाएगी या केवल गैस के ले जाने के लिये पाइप लाइन बिछाई जाएगी ?

†**श्री हजरनवीस :** पाइप लाइन बिछाई जाएगी।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** कब ?

†**श्री हजरनवीस :** लगभग फरवरी १९६३ तक।

†**श्री जसवन्त सिंह मेहता :** गैस की वर्तमान और संभाव्य क्षमता कितनी है ?

†**श्री हजरनवीस :** सीमा की क्षमता ४००,००० घनफुट है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एच० एफ०-२४ सुपरसोनिक विमान

+

*†१२०९. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच० एफ०-२४ सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का विकास करने के लिये परियोजना को बड़ी प्रविधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ये कठिनाइयां किस प्रकार दूर की जावेंगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या ब्रिटिश फर्म, ब्रिस्टल सिडले, ग्रुप ने, जिस ने उन्नत किस्म का ओरफियस इंजन बनाना स्वीकार किया था योजना को छोड़ दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? संविदा भंग के लिये फर्म से कितना हरजाना वसूल किया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : इस मामले में कुछ भ्रमात्मक है । एच० एफ० २४ के वर्तमान नमूने ब्रिस्टल इंजन से मिलता है । जब बहुत वर्ष पहले उसका पहले पहल विचार किया गया था, ब्रिस्टल का अधिक शक्तिशाली नमूनों के लिये अधिक शक्तिशाली इंजन बनाने का विचार था । परन्तु स्पष्टत: उनके पास अन्य ग्राहक नहीं थे । चार या पांच वर्षों से बात-चीत चल रही है । हम अब तक सोचते रहे हैं कि हमारे द्वारा इसका कोई विकास कठिन शर्तों पर होगा और एक प्रयुक्त न हुए इंजन के बारे में । किन्तु जहां तक उनका संबंध है मामला बन्द नहीं हुआ । किन्तु हम इस इंजन का विकास करना अपने लिये व्यावहारिक काम नहीं समझते ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या दो सुपरसोनिक इंजनों के साथ किये गये प्रयोग भी असफल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अब रूसी निर्माताओं को इन इंजनों में परिवर्तन करने के लिए कह रही है ताकि वे प्रस्तावित एच० एफ-२४ में ठीक बैठ सकें और उसका क्या परिणाम निकला है?

†**श्री कृष्ण मेनन** : ये इंजन एच० एफ०-२४ के अग्रेतर विकास में उपयोग के लिये प्रयोगात्मक परियोजनाओं के तौर पर लाये गये थे । उन में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, और इन परिवर्तनों में कुछ गलती न होने पाये, इसलिये हम सभी रूसी सरकार का आवश्यक सहयोग ले रहे हैं, जो हमे प्राप्त हो रहा है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : एच० एफ०-२४ के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री महेश्वर नायक** : यह उत्तर दिया गया है कि अब तक कोई कठिनाई नहीं हुई है । परियोजना की आधुनिकतम प्रगति क्या है और कब तक हम इस ब्रिटिश विमान का पूर्ण निर्माण कर सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन :** एच० एफ०-२४ के बारे में उत्पादन की योजनाएं हैं और वे पीछे नहीं पड़ रही हैं। किन्तु इस प्रकार एक विमान के लिये बहुत अधिक प्रयोग और प्रदर्शन करने पड़ते हैं और उनमे से बड़े पैमाने पर विमान चालक बिठाने से पूर्व बहुत सी बातों की पड़ताल करनी पड़ती है?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सही है कि इन विमानों की वायु में उड़ सकने की क्षमता की जांच करने के पश्चात् यह पाया गया कि वे केवल अब सब-सैनिक गति पकड़ते हैं और सुपरसोनिक गति नहीं पकड़ते ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मुझे पता नहीं कि आया मैं प्रविधिक प्रश्नों. में पड़ूं। कोई भी विमान सुपरसोनिक गति नहीं पकड़ सकता, जब तक यह धीरे धीरे गति न बढ़ाये। गति धीरे धीरे बढ़ानी पड़ती है।

†**श्री हेम बरुआ :** इस में सुपरसोनिक गति नहीं बढ़ाई ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह उस गति को प्राप्त कर सकता है?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह बना ही उसके लिये है; यह इसको बढ़ाएगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** प्रश्न यह है कि क्या इसने वह गति बढ़ा ली है या नहीं।

†**श्री कृष्ण मेनन :** ऐसी स्थिति लाना असम्भव है जिस में सब कुछ जाना जा सके। काम के तथ्य केवल काम के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। एक विमान हिसाब के आधार पर बनाया जाता है। इंजन की शक्ति, और इसके ऐरो डिवेमिक सुपरसोनिक क्षमता वाले हैं। जब तक विमान पूरी तरह से तैयार न हो जाए इसे सुपरसोनिक गति पर उड़ाना ठीक नहीं होता। यह जांच विमान चालकों और निर्माताओं तथा अन्य लोगों के विचार का विषय है न कि सरकार के लिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं औचित्य प्रश्न के रूप में पूछता हूं कि श्री हेम बरुआ का प्रश्न यह था कि क्या उस विशिष्ट उड़ान में इस विमान ने वास्तव में "सुपरसौनिक" गति बढ़ाई थी या "सब सौनिक" गति ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्तर दिया गया है। मंत्री ने कहा है कि इसको सुरन्त उस गति पर उड़ाना ठीक नहीं है। यह कारीगरों और अन्य लोगों तथा निर्माताओं का काम है कि देखें कि क्या किसी विशिष्ट स्तर पर तो उस विशिष्ट गति को प्राप्त करें। उस समय वे उस के लिए बनाये जाते हैं। इसका प्रयोग करना उनका काम है और उन्होंने यह नहीं किया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** आप स्वीकार करेंगे कि माननीय मंत्री सीधा उत्तर देने से बच रहे हैं। प्रश्न यह था कि क्या इस ने उस समय 'सुपरसौनिक' गति बढ़ाई या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कई बार एक अत्यंत संक्षिप्त उत्तर से भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है। इस बात की व्याख्या की जानी चाहिये कि यह उस गति पर क्यों नहीं उड़ाया गया।

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि यह अपेक्षा तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि एक विमान एक बार आवाज की गति से तेज चल पड़ता है, सरकार के लिये यह घोषणा करना ठीक नहीं है कि इसने सुपरसोनिक उड़ान की है। हो

---

†मूल अंग्रेजी में

सकता है कि यह आवाज की गति से तेज चल पड़ा हो । इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सब प्रयोजनों के लिये सुपरसोनिक विमान बन गया है । जब हम सब कुछ न कर लें, हमारे लिये इस के बारे में चुप रहना ही बेहतर है ।

†श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सही है कि हिन्दुस्तान विमान फैक्टरी ने इस एच० एफ०-२४ विमान के विकास के लिये एक ब्रिटिश फर्म के साथ संविदा किया है और क्या फर्म उस संविदा से मुकर गई है। यदि हां, तो इस कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†श्री कृष्ण मेनन : पहले भाग का उत्तर 'न' है । इसका सवाल पैदा नहीं होता ?

†श्री त्यागी : सुपर सौनिक फाइटर एच० एफ०-२४ का विकास करने के पश्चात् क्या विशेषज्ञों का जर्मन दल ने कोई दूसरा विकास कार्य किया है ?

†श्री कृष्ण मेनन : श्री त्यागी भली भान्ति जानते हैं कि यह विकास समाप्त नहीं हुआ । यह अभी विकासोन्मुख है। १ चिन्ह प्राप्त करके यह चिन्ह २ पर जाता है । और तब चिन्ह ३ पर और यही एक विमान का तरीका होता है ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या और फियस-३, जिस में इस को पहली उड़ान मे एच० एफ०-२४ की शक्ति थी, सुपरसौनिक इंजन होना था या सब-सौनिक इंजन ?

†श्री कृष्ण मेनन : जो इंजन अब एच० एफ०-२४ को चला रहा है विमान सुपरसौनिक गति तक ले जाने के लिये सक्षम है ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या औरफियस-३, जिन ने एच० एफ०-२४ को अपनी पहली प्रयोगात्मक उड़ान में गत वर्ष चलाया था, सुपर-सौनिक इंजन होना अपेक्षित था, सब-सौनिक इंजन नहीं ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह सुपरसौनिक गति से उड़ सकता है । इसी कारण इंजन इस में लगाया गया था ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या इससे यह अपेक्षा थी ।

†श्री कृष्ण मेनन : जी, हां ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि उस अवसर पर सभी भारतीय समाचार-पत्रों में बड़ा व्यापक प्रचार हुआ था कि विमान ने सुपरसौनिक गति उड़ाई थी और स्वयं मंत्री जी उस अवसर पर उपस्थित थे ? क्या सभा अब यह समझे कि इसने सुपर-सौनिक गति नहीं पकड़ी और प्रैस समाचार गलत थे ?

†श्री कृष्ण मेनन : यह बात किसी ने भी नहीं कही कि इस ने सुपरसौनिक गति पकड़ी थी। यह उन अर्थों में सुपर सौनिक विमान था कि यह इस गति के लिये बनाया गया था ?

†श्री हेम बरुआ : हम जानना चाहते थे कि क्या एच एफ०-२४ में सुपर-सौनिक गति के लिये इंजन लगाया गया था और क्या इसने वह गति प्राप्त की। (अन्तर्बाधायें)

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : इसका स्पष्टीकरण हो चुका है । मा० सदस्य अन्य साधनों से इसका अग्रेतर स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

सनन्द (गुजरात) में तेल

†*१२१०. श्री मान सिंह पु० पटेल : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात राज्य में सेरठा (कलोल) के समीप सनन्द में एक अन्य तेल भंडार का पता लगाया है ।

(ख) यदि हां, तो सनन्द के आस पास छिद्रण के लिये कितने स्थान निर्धारित किये गये हैं ! और

(ग) इस कार्य को वर्षाकाल में जारी रखने या आरम्भ करने के लिये सरकार ने कोई सावधानी बरती है ?

†खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) सनन्द के उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर एक बड़े पैमाने पर भंडार मिला है । अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस में तेल है ।

(ख) सनन्द के उत्तर में इस स्थान पर छिद्रण के लिये चार स्थान चुने गये हैं।

(ग) जी हां ।

†श्री मान सिंह पु० पटेल : क्या वर्षा ऋतु में सनन्द से छिद्रण स्थान तक सड़क मार्ग उपलब्ध होता है ?

†श्री तिम्मय्या : वर्षा ऋतु में इस कार्य में बाधा न पड़ने देने के लिये हम इस स्थान पर नियंत्रण निर्माण कार्य पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि छिद्रण-कार्य चालू रहे ।

†श्री मान सिंह पु० पटेल : क्या यह सच नहीं है कि सड़कों के टेंडरों के लिये विज्ञापन दिये गये थे, परन्तु बाद में सरकार ने वह विचार छोड़ दिया ?

†खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरतवीस): यह कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जाता है । यह उस आयोग का प्रतिदिन का कार्य है ताकि इस मामले में सरकार की कोई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी न हो ।

†श्री पु० र० पटेल : यह बताया गया है कि छिद्रण के लिये चार स्थान चुने गये हैं । वह स्थान कौन से हैं और वे किन गांवों में स्थित हैं ?

†श्री हजरतवीस : मैं अभी ठीक स्थान नहीं बता सकता । यदि माननीय सदस्य मेरे को पत्र लिखें, तो मैं जानकारी दे दूंगा ।

†श्री याज्ञिक : क्या यह सच नहीं है कि प्रस्तावित गांधी नगर में जो कुंआ खोदा गया है, वह सीमेंट से बन्द कर दिया गया और अब यह तेल की खोज के लिये फिर खोदा जा रहा है ?

†श्री तिम्मय्या : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता । यह प्रश्न सनन्द के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्य निषेध

+

†*१२११. { **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्र० के० देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री २६ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि मैसूर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार और केरल के राज्यों में पूर्ण मद्य निषेध लागू किया जाता, तो उनमें से प्रत्येक राज्य में आबकारी राजस्व में कितनी हानि होती ;

(ख) उपरोक्त राज्यों में से प्रत्येक में मद्य निषेध लागू करने पर कितना व्यय हुआ ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक राज्य में पुनः स्थापन पर कितना व्यय हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग) जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह मामला कुछ दिन पूर्व भी सदन में उठाया गया था । उसकी सूचना उससे २० दिन पूर्व दी गयी थी । जानकारी कब तक एकत्र की जाती रहेगी ? इसको लगभग १ महीना हो गया है ।

†**श्री दातार** : जो कुछ निर्णय किया गया था वह यह था कि तीसरी योजना के समाप्त होने से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और पूर्ण मद्य निषेध हो । यह निर्धारित करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे कब तक पूर्ण मद्य निषेध लागू करेंगे और फिर वे उसके वित्तीय व्यय का भी अनुमान लगायेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या संघ सरकार ने निश्चय किया है कि यह उन राज्य सरकारों को, जो सहायता मांगें, व्यय का पूरा भाग देगी या कुछ भाग ?

†**श्री दातार** : आधा–आधा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रज्य सरकारें उस प्रस्ताव से सहमत हैं ?

†**श्री दातार** : कुछ राज्य सहमत नहीं हैं । वे शत प्रतिशत सहायता मांग रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कौन से राज्य सहमत हैं और कौन से नहीं ?

†**श्री बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि क्योंकि भारी करों सेजनता दबी जा रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह सोच रही है कि यदि मद्य निषेध जारी रखा जाये तो लोगों को अधिक सहायत दी जा सकती है ?

†**श्री दातार** : मैं यह प्रस्ताव नहीं मानता ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : मंत्री महोदय ने बताया कि तथ्यों को एकत्र किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इन तथ्यों को प्राप्त किये बिना सरकार ने राज्य सरकारों को पूर्ण मद्य निषेध का परामर्श कैसे दिया ?

†**श्री दातार** : सरकार ने चाहे जो किया और केन्द्रीय मद्य निषेध समिति ने चाहे जो किया, उसमें यह निर्णय करना था कि तृतीय योजना के अन्त से पूर्व पूर्ण मद्य निषेध हो जाना चाहये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत : यह समझदारी नहीं है।

†श्री दातार : राज्य सरकारों के सभी प्रतिनिधियों ने सिद्धांत रूप से इसे स्वीकार कर लिया था। फिर उनसे विभिन्न प्रावस्थायें बनाने को कहा गया जो पूर्ण मद्य निषेध से पूर्व लागू की जा सकें।

†श्री हेम बरुआ : औचित्य प्रश्न पर।

†अध्यक्ष महोदय : हर प्रश्न के बाद वह औचित्य प्रश्न उठाते हैं।

†श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि सभी राज्य इस मद्य निषेध कार्यक्रम से सहमत हो गये है। परन्तु पंजाब के मुख्य मंत्री ने अपने व्यक्तियों से परामर्श करने का निर्णय किया है कि राज्य में मद्य निषेध लागू किया जाये या नहीं।

†श्री हरि विष्णु कामत : पश्चिम बंगाल भी।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह समझें कि क्या मैं किसी नियम अथवा संविधान अथवा किसी कानून की व्याख्या कर उनको यह बताऊं कि यह औचित्य प्रश्न है या नहीं। यदि माननीय सदस्य कोई औचित्य प्रश्न अथवा जानकारी का प्रश्न उठाना चाहें तो वे स्वयं यह तै करें।

†श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि मद्य निषेध के इस मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद् की अगली बैठक की कार्य-सूची में रखा जायेगा ?

श्री दातार : मैंने समाचारपत्रों में यह पढ़ा है।

केरल में ग्राम्य संस्था

†*१२१२. { +श्री वारियर :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित ग्राम्य संस्था के स्थान के बारे में केरल सरकार का अन्तिम निर्णय बता दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो स्थान कौनसा है ; और

(ग) संस्था द्वारा कब कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†श्री वारियर : क्या सरकार को केरल सरकार से इस संस्था के बारे में उनके निर्णय के संबंध में कोई प्रतिवेदन मिला है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : केरल सरकार ने हमें लिखा है कि वे केरल में ग्रामीण संस्था बनाना चाहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री नम्बियार : क्या केन्द्रीय सरकार का संस्था बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है और उसका स्थान राज्य सरकार द्वारा चुना जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वह कुछ स्थान बतायेंगे । हम स्थान चुनने के लिये एक दौरा समिति भेजने पर सोच रहे हैं ।

(श्री इम्बीचिबावा ने एक प्रश्न पूछा)

श्री नम्बियार : क्या मैं इसका अनुवाद कर दूं ? क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि इसके लिये थावानूर गांव, जहां सर्वोदय सम्मेलन किया जा रहा है और जहां प्राचीन समय में नामांकन समारोह हुआ था, सर्वोत्तम स्थान है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है ।

†**श्री वासुदेवन् नायर :** उपमंत्री महोदया हाल ही में त्रिवेन्द्रम गयी थीं और समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि वहां पर उन्होंने कई व्यक्तियों और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण संस्था के स्थान के बारे में बातचीत की । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उपमंत्री महोदया स्थानीय व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से भी मिली थीं और ग्रामीण संस्था के स्थान को बारे में उनके विचार भी सुने थे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** कोई निर्णय नहीं किया गया है । विभिन्न ऐच्छिक संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं । सरकार इन सभी अभ्यावेदनों की जांच करेगी और स्थान का दौरा करने के बाद अन्तिम निर्णय करेगी ।

†**श्री वारियर :** उनका प्रश्न यह था कि क्या उपमंत्री महोदया ने स्थान का दौरा किया और त्रिवेन्द्रम में अभिरुचित पत्रों से बातचीत की ? यदि हां, तो इस स्थान का दौरा करने वाली उपमंत्री महोदया की क्या राय है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) :** मैंने किसी स्थान का दौरा नहीं किया । मैंने केरल के शिक्षा मंत्री समेत कुछ व्यक्तियों के साथ विचार किया । अभी इस पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि उससे पूर्व कुछ सुविधायें प्राप्त की जानी हैं । परन्तु हम इतना कह सकते हैं कि ग्रामीण संस्था स्थापित करने के लिये केरल सरकार बहुत इच्छुक है और वह अपनी सहायता देने को तैयार है

नर्मदा नदी क्षेत्र में तेल

\+

†*१२१३. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्रीमती जमुना देवी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नर्मदा नदी क्षेत्र में तेल के लिये की जा रही खोज से प्रोत्साहनजनक परिणाम प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या नागपुर के एक सर्वेक्षण दल ने उस क्षेत्र में लोहा और मेगनीज अयस्क खनन की संभाव्यता के बारे में उत्साहवर्धक समाचार दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) और (ख). नर्मादा बेसिन में केवल भूतत्वीय जानकारी प्राप्त करने के लिये सर्वेक्षण किया जा रहा है खड़िया की तरह का समुद्री पत्थर मिला है ।

(ग) इस क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिये नागपुर के भारतीय खान ब्यूरो से कोई दल नहीं भेजा गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : मंत्रालय को प्राप्त प्राथमिक प्रतिवेदन में क्या बताया गया है और क्या वह अनुकूल है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : किस के लिये ? यदि यह तेल के लिये हैं तो संकेत बिल्कुल प्रतिकूल हैं ।

डा० गोविन्द दास : जहां पर नर्मदा के पहाड़ों पर यह खोज की गई है, वह किन-किन स्थानों पर की गई है और क्या और भी ऐसी कुछ खोज किये जाने की सम्भावना है ?

श्री हजरनवीस : इसके बारे में तफसील मेरे पास नहीं है । माननीय सदस्य मुझे अगर इसके बारे में लिखेंगे तो मैं जरूर उनको उसका जवाब दूंगा ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : जब कि प्राथमिक प्रतिवेदन अनुकल नहीं था तो मंत्रालय ने इस प्रदेश में खोज क्यों की ?

†**श्री हजरनवीस** : प्राथमिक प्रतिवेदन कभी प्रतिकल नहीं रहा । देश के प्रत्येक भाग का नक्शा बनाना और जांच पड़ताल करना भारत के तत्वीय सर्वेक्षण विभाग की प्रक्रिया है । यदि हमे तेल न मिले तो कुछ और मिल सकता है ।

प्राइमरी स्कूलों के निर्माण के लिये सहायता

†*१२१५. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने प्राईमरी स्कलों के निर्माण के लिये राज्य सरकार की विकास अनुदान देना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार विशेषतया पश्चिमी बंगाल से अभ्यावेदन मिला है कि विकास अनुदान के भुगतान पर पुन: विचार किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार किसी भी राज्य सरकार की विकास योजनाओं पर केन्द्रीय अनुदान सभी योजनाओं के लिये कट्ठा मंजूर किया जाता है और किसी पृथक् योजना या पृथक् व्यय के लिये पृथक् रूप से नही । तदनुसार, प्राथमिक स्कूलों की इमारतें बनाने के लिये अनुदान बन्द करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) से (घ). उक्त भाग (क) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता चलता है कि राज्य सरकार को पृथक् बातों पर व्यय के लिये पृथक् रूप से धन नहीं दिया जाता । क्या मैं जान सकता हूं कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये राज्य सरकार को कितना धन दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्)** : कोई पृथक् व्यवस्था नहीं की गई है । राज्य सरकारों ने अपनी योजनायें पेश की हैं और उनको स्कूल की इमारतों के लिये सहायता समेत सहायता दी जाती है । अतः यह कहने की कोई बात ही नहीं है कि हम इमारत बनाने के लिये अनुदान दे रहे थे और अब वह रोक दी गई है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मैं अनुदान बन्द करने के बारे में नहीं पूछ रहा हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ।

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : कोई पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । प्राथमिक शिक्षा के बारे में उन्होंने जो भी योजना पेश की, वह स्वीकार कर ली गई । वास्तव में, पश्चिम बंगाल सरकार को अधिक धन दिया गया है क्योंकि वह प्राथमिक शिक्षा का विस्तार कर रही है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण से क्या मैं यह समझूं कि कोई भी राज्य प्राथमिक स्कूलों के लिये मारत बनाने पर धन व्यय नहीं कर सकता ?

†**श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्** : जी, नहीं । वह स्वयं अपनी योजनायें बनाते हैं । इमारतों के लिये उनका निर्धारित कार्यक्रम होता है कि प्रति वर्ष इतनी इमारतें बनाई जायेंगी । उन योजनाओं को क्रियान्वित करना उनका काम है ।

†**श्री कोया** : क्या सरकार को यह पता है कि स्थान की कमी के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को स्कूलों में भर्ती करने से इन्कार कर दिया जाता है, और यदि हां, तो सरकार किस रूप में राज्यों की सहायता करेगी ?

श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन् : शिक्षा राज्य विषय है । उनकी योजनायें मंजूर को जाती हैं । वह धन खर्च करते हैं । वास्तव में हम अधिक आवंटन के लिये योजना आयोग से कह रहे हैं क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य लक्ष्य से आगे बढ़ गया है । अतः प्रत्येक राज्य के लिये वही कठिनाई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** अध्यक्ष महोदय, औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मंत्री महोदय और उनके उपमंत्री महोदय एक ही स्थान पर बैठें ताकि सदस्यों को पता लग जाय कि वह एक ही मंत्रालय से सम्बन्धित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि यह निर्णय करने के लिये कि उन्हें कहां बैठना चाहिये, मेरे लिये यह औचित्य प्रश्न है, तो मेरे लिये कोई निदेश देना कठिन है। संभवत: कुछ ही दिनों में माननीय सदस्य प्रत्येक मंत्री स परिचित हो जायेंगे और फिर उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

उर्वरक परियोजनायें

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३. श्री सुबोध हंसदा :** क्या खान और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा न मिलने के कारण गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में कुछ बड़े उर्वरक संयंत्र बन्द हो गये हैं ;

(ख) क्या इससे तृतीय योजना-काल में 'नाईट्रोजिनस' उर्वरक के उत्पादन लक्ष्य पर प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी कमी होगी, और

(घ) क्या इससे तीसरी योजना में इसी अवधि में खाद्य में आत्म-निर्भरता पर भी प्रभाव पड़ेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पल रखा जाता है ।

विवरण

तीसरी योजना में, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में, स्थापना के लिये स्वीकृत बड़ी बड़ी उर्वरक परियोजनाओं में से गैर-सरकारी क्षेत्र में चार परियोजनायें अभी विदेशी सहयोग और परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता में धन लगाने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय नहीं कर सकी हैं। चार परियोजानओं में से एक लाइसेंसधारी ने योजना पर आगे कार्य करने में असमर्थता प्रकट की है।

(ख) से (घ). इस समय यह कहना आसान नहीं है कि उल्लिखित परियोजनाओं को होने वाली प्राथमिक कठिनाइयों के कारण तीसरी योजना के अन्त तक उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा या नहीं। हम अभी तीसरी योजना के आरम्भ में हैं और लक्ष्य प्राप्त करने के लिये हर प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा :** विवरण में लिखा है :

> "इस समय यह कहना आसान नहीं है कि उल्लिखित परियोजनाओं को होने वाली प्राथमिक कठिनाइयों के कारण तीसरी योजना के अन्त तक उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा या नहीं।"

---

†मूल अंग्रेजी में

उसी विवरण में उन्होंने अन्य स्थान पर बताया है :

"चार परियोजनाओं में से एक लाइसेंसधारी ने योजना पर कार्य करने में असमर्थता प्रगट की है।"

उन का भी यही कहना है कि मशीनों के लिये भुगतान करने के लिये उन्हें विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। यदि हां, तो सरकार यह कैसे कह सकती है कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उर्वरक का उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा या नहीं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : अन्य तीन गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें विदेशी सहयोग की व्यवस्था के बारे में बातचीत कर रहे हैं और मुझे बताया गया है कि वे अग्रिम स्थिति में हैं। अतः वे इसको अन्तिम रूप देना चाहेंगे। जहां तक उसका सम्बन्ध है, जिसने लाइसेंस छोड़ दिया है, हम मध्य प्रदेश में उस परियोजना को चालू करने के लिये भी वैकल्पिक संसाधन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : विवरण में केवल गैर-सरकारी क्षेत्र की चार परियोजनाओं का जिक्र किया गया है। सरकारी क्षेत्र में स्थिति क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : परियोजनाओं के लिये पर्याप्त उपबन्ध किया गया है और वे क्रियान्वित की जा रही है।

†**श्री महेश्वर नायक** : विवरण से पता चलताहै कि चार लाइसेंसधारियों में से एक ने उर्वरक कारखाना स्थापित करने से इन्कार कर दिया है। परियोजना क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार किसी पक्ष को लाइसेंस देने से पूर्व उसकी योग्यता पर विचार नहीं करेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जब प्रस्ताव रखे गये थे तो इसको अच्छा समझा गया था। बाद में हमें पता लगा कि लाइसेंस धारी विदेशी सहयोग प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। अतः इसको चलाना संभव नहीं हुआ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच नहीं है कि भारत में उर्वरक के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है ? यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह विदेशी मुद्रा न दिये जाने का प्रश्न नहीं है। दूसरी ओर, यह विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रश्न है। जहां तक अन्य तीन सार्थों का सम्बन्ध है, वे बातचीत कर रही हैं और काफी आगे बढ़ी हैं और शीघ्र ही वे सहयोग के बारे में अन्तिम रूप दे देंगे।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह भी सच है कि सल्फरिक एसिड पर अधिक नये कर लगा देने के कारण वर्तमान उर्वरक कारखानों के उत्पादन में भी कमी हुई है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम्: मुझे आशा है कि इस प्रश्न का वित्त मंत्री महोदय वित्त विधेयक पर विचार के समय उत्तर देंगे।

---

†मूल अंग्रजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर को मशीनों का बिक्रय

†*१२०२. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई मशीन, अर्थात् हाइड्रोलिक प्रेस, जो वर्ष १९४६ में युद्ध के बाद जर्मनी से लाई गई थी, मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर ने बेची है ;

(ख) यदि हां, तो इस मशीन का पुस्त-मूल्य कितना है ;

(ग) कितने मूल्य पर बेची गई ;

(घ) क्या मशीन के अलग-अलग हिस्से कर के बेची गई ;

(ङ) क्या कार्य १९६२ में किया गया ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या काण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, नहीं। हाइड्रोलिक प्रेस समेत जर्मनी से लाई गयी कुछ बेकार मशीनें, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, उन्हें फालतू घोषित कर बिक्री के लिये संभरण तथा निपटान महा निदेशालय को दिया गया।

(ख) ३१–३–१९४६ को २७,८८,१२१ रुपये।

(ग) ६,०९,१९७ रुपये।

(घ) जी, नहीं। मशीन इसकी मूल स्थिति में बेची गयी। तथापि, एक खरीदान ने खरीदी हुई मशीन के टुकड़े करने को कहा था ताकि वह उसका सामान ले जा सके परन्तु यह अनमति नहीं दी गयी।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पोर्टब्लेयर में मछली कपड़ने की नौकाओं का रोका जाना

†*१२०३. श्री अ० सि० सहगल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर,/दिसम्बर, १९६१ में किसी समय अन्दमान और निकोबार समुद्र में जो चीनी नाव पकड़ी गयी थी उससे पोर्ट ब्लेयर में दो आउटबोर्ड मोटर नौकायें और एक छोटी नाव आयात की (उतारी) गयी थी ;

(ख) क्या इन मोटर नौकाओं और / अथवा नाव को बाद में वहां बेच दिया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(घ) पोर्टब्लेयर में सीमाशुल्क कलेक्टर ने इस अनधिकृत आयात के लिये, जिसमें विदेशी मुद्रा की हानि भी हुई, उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६९]

बड़ौदा म जैटर सुपर ट्रैक्टरों का निर्माण[1]

†*१२१४. **श्री इ० मधसूदन राव :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा में जैटर सुपर ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये भारत सरकार तथा चैकोस्लोवाकिया सरकार के बीच एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख). चेकोस्लोवाकिया के एक सार्थ के सहयोग से एक गैरसरकारी सार्थ को बड़ौदा में अपने वर्तमान कारखाने में जैटर सुपर टैक्टरों के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस दिया गया है । दोनों सार्थों के बीच हुई सहयोग की शर्तें इस समय, सरकार के विचाराधीन हैं ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटड का मुख्य कार्यालय

१२१६. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची (बिहार) में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यालय भवन तथा कर्मचारियों के लिये निवास-गृहों के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; तथा

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का मुख्य कार्यालय भवन लगभग तैयार है । जहां तक निवास-गृहों के निर्माण का सम्बन्ध है, कुल ४२१ क्वार्टर बनाये जाने हैं जिन में से २३५ क्वार्टर अब तक तैयार हो चुके हैं।

भयोत्पादक विनोद पत्रिकाओं की बिक्री

†*१२१७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भयोत्पादक विनोद पत्रिकाओं की बिक्री तथा परिचालन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जून, १९५५ में भारत में ऐसी सामग्री के आयात पर प्रतिबन्ध के बारे में समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा १९ के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गई थी । बाद में संसद में युवा व्यक्ति (हानिकारक प्रकाशन) अधिनियम, १९५६ बनाया गया जिससे ऐसी सामग्री की बिक्री और परिचालन अपराध है । इन उपायों का अपेक्षित प्रभाव पड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Zetor Super Tractors

जाली डालरों का परिचालन

†*१२१८. श्री हेम बरुआ :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री अ० व० राघवन :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिफेंस कालोनी, दिल्ली में जाली नोट छापने वाले एक गिरोह का पता लगा है जो जाली अमरीकी डालरों का परिचालन करने के लिये जिम्मेदार बताया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं तथा कितनी रकम के जाली डालर बरामद हुये हैं ?

(ग) क्या विदेशी भी अन्तर्गस्त हैं : और

(घ) अब तक की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). कुल १६४५ डालर के मूल्य के जाली अमरीकी ५० और ५ डालर के बिल उसके पास से बरामद किये जाने पर डिफेन्स कालोनी में एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया । अब तक बारह व्यक्तियों से पूछतांछ की गयी है ।

(ग) और (घ). अब तक की गयी पुलिस जांच में यह पता नहीं चलता कि इस मामले में किसी विदेशी का हाथ है परन्तु और जांच पड़ताल जारी है ।

विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां

†*१२१९. श्री सुबोध हंसदा :
श्री उमानाथ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों के निकट औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन से विश्वविद्यालय चुने गये हैं ;

(ग) क्या बस्तियों का निर्माण आरम्भ हो गया है ; और

(घ) प्रत्येक के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां । इनका नाम अब प्रमुख उत्पादन-एवं-प्रशिक्षण केन्द्र (पाइलट प्राडक्शन-कम-ट्रेनिंग सेंटर) है ।

(ख) इलाहाबाद, बड़ौदा, जाधवपुर और राजस्थान ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) विश्वविद्यालय आवश्यक योजना और प्राक्कलन तैयार कर रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोहियों के अड्डे

†*१२२०. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा बल ने नागालैंड में अपनी हाल की कार्यवाही के दौरान नागा विद्रोहियों के अड्डों पर कब्जा कर लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यवाही के दौरान कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, कितने गोला बारूद और सम्पत्ति पर कब्जा किया गया और उनसे क्या कागजात बरामद किये गये ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) २४ अप्रैल, १९६२ को नागा विद्रोहियों के एक बड़े अड्डे पर कब्जा किया गया ।

(ख) चार विद्रोही पकड़े गये, एक मारा गया और एक जो घायल हो गया था, भाग गया । एक रिपीटर राइफल, एक १२ बोर की बन्दूक और कुछ गोलाबारूद और कागजात पकड़े गये । पकड़े गये कागजात का परीक्षण किया जा रहा है ।

एम० वी० 'प्रेमा' और एम० बी० 'वाराचा'

†२३१६. श्री अ० सि० सहगल : क्या गृहकार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकोबार द्वीप समूह में मछली पकड़ने में लगे एम० वी० 'प्रेमा' के पास भार-रेखा प्रमाणपत्र है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह जहाज पासवर्ती द्वीपों से नारकौरी पत्तन को गोला और सुपारी कैसे ले जाता है ; और

(ग) (निकोबार द्वीप समूह में चल रहे) एम० वी० 'वाराचा' का पिछला वार्षिक सर्वेक्षण कब किया गया और कहां किया गया और किसने किया ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) एम० वी० 'प्रेमा' जहाज के पास शेल फिशिंग लाइसेंस है और इसलिये उसको नियमों के अन्तर्गत भार-रेखा प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है ।

(ख) अन्दमान प्रशासन को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है जिसमें यह जहाज समीपवर्ती द्वीप समूहों से नारकौरी पत्तन तक गोला और सुपारी ले गया हो ।

(ग) इस जहाज का पोर्ट ब्लेयर में १२ अप्रैल, १९६१ को कलकत्ता के नौवाणिज्यिक नौवहन विभाग के सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण किया गया ।

भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र

२३१७. श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सम्पूर्ण भारत के विश्वविद्यालयों में कुल कितने विदेशी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनकी अलग-अलग राष्ट्रीयता क्या हैं ; और

(ग) कुल कितनी धन राशि वजीफे के रूप में इस समय दी जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) १९५९–६० में भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विदेशी छात्रों की कुल संख्या ३,३७१ थी ।

(ख) इन छात्रों का देश-वार विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[देखियेप रिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७०]**

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्रियों आदि के वेतन और भत्ते

२३१८. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७ से अब तक कुल कितनी धन राशि केन्द्रीय मंत्रियों, उप-मंत्रियों, राज्य-मंत्रियों तथा सभा-सचिवों को वेतन, यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के रूप में अलग अलग वर्ष-वार दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बर्दवान में राजार धीबी क्षेत्र में खुदाई

†२३१९. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बर्दवान ज़िले में राजार धीबी क्षेत्र में पुरातत्वीय खुदाई से पता चला कि इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा पिछले ३००० वर्षों से भी पहले से कार्बानाइज्ड लोहा अथवा इस्पात युद्ध के औजार तैयार करने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं ;

(ख) क्या इस संस्कृति का उसी काल की भारत की संस्कृति के साथ कोई सम्बन्ध स्थापित किया गया है ; और

(ग) क्या इस खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के पूर्ण ब्यौरे समेत एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). राजार धीबी क्षेत्र में खुदाई पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गयी थी । उनसे कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, अत: खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

कोटा और झालावाड़ में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२३२०. **श्री बृजराज सिह कोटा** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कोटा और झालावाड़ जिलों में कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का सर्वेक्षण करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का इरादा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां। दोनों जिलों का प्रावेक्षण सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त झालावाड़ जिले के ३४०० वर्ग मील क्षेत्र का एक नक्शा बनाया गया है जिसका पैमाना १ मील के लिये १ इंच है। इसी तरह कोटा जिले के १०,००० वर्ग मील के क्षेत्र का भी एक नक्शा बनाया गया है।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वेक्षण के परिणाम इस प्रकार हैं :—

झालावाड़ जिला : सतह पर मैलाचाइट (ताम्बे का कार्बोनेट) के कुछ अंश तथा गहराई पर चाल्कोपायराइट के कण उपलब्ध हैं। ताम्बे का अंश ०.९९ और ०.६७ प्रतिशत है। इनके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है।

कोटा जिला : जुलनी और मैलो और निमाना तथा देवली के बीच निंबहेरा काल का चूने का पत्थर उपलब्ध होता है। इस क्षेत्र में ३२ किलोमीटर लम्बे और ६ ० से लेकर ७५ किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में चूने का पत्थर मिलता है जिसकी मोटाई लगभग ४०० मीटर है। मुकन्दवारा क्षेत्र में लगभग ५४ किलोमीटर तक बन्देर काल के चूने के पत्थर होने का पता चला है। ये निक्षेप ६ से लेकर १५ मीटर तक की मुटाई के हैं। यह पत्थर चूने की भट्टी के काम आ सकता है।

शीशा बनाने के काम आने वाली रेत कुन्डी और देवपुरा में ११ किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में मिलती है। यह रेत मिलने का क्षेत्र ९ मीटर से अधिक गहरा है। अनुमान है कि धोलाघाटी, बराओदिकीबारी, सियालोक ह, मोतीपुरा, माल्या, बालाजी की घाटी और देवपुरा में ५३·८ लाख टन का भण्डार है। इसमें सिलिका का अंश ९१·५१ से लेकर ९५·७६ प्रतिशत और लोहे का अंश ०·२१ से लेकर ०·५८ प्रतिशत है। इसे काम में लाने से पहले उसकी किस्म को सुधारना पड़ता है। खेमाज के निकट सफेद पत्थर के निक्षप के विश्लेषण से पता चलता है कि उनमें सिलिका का अंश ९४·५२ प्रतिशत और ०·२ लोहे का अंश होता है। चूंकि ये निक्षेप रेलवे स्टेशन से ८० किलोमीटर दूर स्थित है इसलिये इन निक्षेपों को काम में लाना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं में बैठे अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार

†२३२१. **श्री राम हरख यादव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गत पांच वर्षों में ली गई विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश और बिहार के अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कितने उम्मीदवार बैठे ;

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न पदों के लिये इन राज्यों के कितने उम्मीदवार चुने गये ; और

(ग) उपरोक्त वर्गों के कितने व्यक्ति इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य कर रहे है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है। जानकारी उपलब्ध होते ही एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश मे पोलीटेक्नीक

†२३२२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-काय** मंत्री

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में १९६१–६२ में कितने पोलीटेक्नीक खोले गये और किन-किन स्थानों में ; और

(ख) उक्त अवधि में केवल महिलाओं के लिये कितने पोलीटेक्नीक खोले गये ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख). श्रीकाकुलम् में एक पोलीटेक्नीक खोला गया और लड़कियों के लिये हैदराबाद और काकीनाड़ा में दो पोलीटेक्नीक खोले गये ।

जापान के मद्य निषेध के तरीके

२३२३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान में जो शराब पीता है और जब वह शराब पीकर बेहोश हो जाता है तब उसकी फोटो वहां को सरकार उतरवा लेती है और उसके होश में आने पर उसको वह दिखलाती है जिसको देख कर वह प्रायः शराब पीना छोड़ देता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली में इस तरीके को लागू करने जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ रिपोर्टें प्रेस में प्रकाशित हुई हैं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दक्षिण एशियाई देशों में शिक्षा सम्बन्धी कराची योजना

†२३२४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण एशियाई देशों में शिक्षा सम्बन्धी २० वर्षीय कराची योजना के, जिसके कार्यान्वय के लिये रूस ने पूरी सहायता देने का प्रस्ताव किया है, महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं ;

(ख) क्या भारत ने कराची योजना के कार्यान्वय के सम्बन्ध में आवश्यकताओं की कोई सची प्रस्तुत की है ;

(ग) उक्त सूची के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) कराची योजना के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं :—

(१) १९८० तक एशिया के सभी देशों में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा दी जाये जिसकी अवधि ७ वर्ष से कम न हो । कुछ एशियाई देश इस लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं ; किन्तु आशा है कि सभी देश नियत तिथि तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) प्रत्येक देश की समग्र शिक्षा के विकासार्थ एक सर्वांगीण योजना बना कर तथा उसे कार्यान्वित करके यह लक्ष्य प्राप्त किया जाने वाला है। योजना में एशियाई देशों द्वारा आन्तरिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग तथा देश के अधिक उन्नत देशों द्वारा बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता की कल्पना की गई है।

किन्तु रूस ने एशियाई देशों को इस योजना के लिये पूर्ण सहायता देने का प्रस्ताव किया है यह बात सरकार को ज्ञात नहीं है।

(ख) और (ग). भारत ने 'युनेस्को' को सूचित किया है उसे पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिये उपहार के तौर पर छापने की मशीनें तथा भारतीय कागज़ उद्योग के विकास के लिये प्रविधिक तथा अन्य सहायता और जब तक भारतीय कागज़ उद्योग पर्याप्त रूप से विकास न कर ले तब तक संक्रमण काल में उपहार के तौर पर कागज़ की आवश्यकता हैं।

(घ) और (ङ). 'यूनेस्को' एशिया के सभी देशों की आवश्यकताओं से मित्र देशों को अवगत करायेगा तथा उभय-पक्षीय तथा बहु-पक्षीय आधार पर ऐसी सहायता दिलाने का प्रयत्न करेगा।

रेल की खराब पटरियां

†२३२५. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल की खराब पटरियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ हैं; और

(ख) उन्हें खपाने के लिये कौन सा तरीक़ा काम में लाया जा रहा है।

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)**: (क) जी नहीं। १९६१ में खराब पटरियों का उत्पादन अच्छी किस्म की पटरियों के उत्पादन का केवल ६ प्रतिशत था। "खराब" पटरियों का उत्पादन नहीं किया जाता है और खराब पांतें, अधिकांशतः कम लम्बाई वाली और ऐसी वस्तुओं से बनी होती हैं जो पटरियों के निर्माण के समय खराबी उत्पन्न कर देती हैं।

(ख) खराब पटरियां लोहे की छड़ें बनाने वालों को कच्चे माल के तौर पर और रद्दी लोहे के व्यापारियों को रद्दी लोहे के तौर पर दे दी जाती हैं। ये व्यापारी राज्य के इस्पात देने वाले अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार इस माल का वितरण उपभोक्ताओं को कर देते हैं।

"स्टीमशिप प्रोम" द्वारा लाये गये बचे हुये भारतीय

†२३२६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ अप्रैल १९६२ को उन्नीस भारतीयों को जिनमें एक ३० वर्ष की आयु की महिला भी थी और जिन्होंने अन्डमान द्वीप के पास समुद्र में एक नाव में खाने पीने की चीज़ों के अभाव में तूफान का सामना किया, 'स्टीमशिप प्रोम' ने बचाया और रंगून पहुंचाया; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री दातार)** :(क) और (ख). २७ मार्च, १९६२ को निकोबार द्वीप समूह के निवासी २४ भारतीय जिन में एक महिला भी थी, एक नाव पर सवार होकर कार निकोबार के लिये रवाना हुए। ३१ मार्च को चार और नावें चौरा से कार निकोबार के लिये रवाना

---

†मूल अंग्रेजी में

हुई। ये सभी नावें समुद्र में बह गईं और २ अप्रैल को उनके लापता होने की सूचना मिली। निकोबार द्वीप के आसपास जितने विमान और जहाज थे उन्हें तुरन्त इस बात की सूचना दे दी गई। साथ ही इन नावों की खोज आरंभ की गई। इनमें से चार नावों का पता चल गया और उन पर सवार सभी व्यक्ति स्वस्थ पाये गये। चौरा से २७ अप्रैल को जो पांचवी नाव रवाना हुई थी वह 'स्टीमशिप प्रोम' को ७ अप्रैल को दिखाई दी इस जहाज के इस नाव का पता लगाने से पहले २४ व्यक्तियों में से दो की मृत्यु हो गई थी और जहाज द्वारा इन व्यक्तियों को बचा लेने के बाद तीन और व्यक्ति दुर्बलता आदि के कारण मर गये। जो १९ व्यक्ति बच गये थे उन्हें ९ अप्रैल को रंगून लाया गया और भारतीय दूतावास के सुपुर्द कर दिया गया। उनके निवास की व्यवस्था स्थानीय भारतीय संगठन ने की इन सभी को भारतीय वायु सेना के विमानों द्वारा १३ अप्रैल और २ मई को निकोबार पहुंचा दिया गया।

आन्ध्र में भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२३२७. **श्री वेंकटासुब्बया :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के ढोन तालुक में रामाल्लकोटा क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). जी, हां भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने १९४६–४७ में रामाल्लकोटा क्षेत्र का १:६३३६० के पैमाने पर नक्शा तैयार किया था। वहां पाये जाने वाले खनिजों की जानकारी इस प्रकार है :—

लौह अयस्क : रामाल्लकोटा क्षेत्र के आसपास लौह अयस्क मिलता है। वहां कुल मिलाकर ३७.६ लाख टन लौह अयस्क होने को संभावना हैं जिसमें ४८ से लेकर ६५ प्रतिशत लोहा होता हैं। अनुमान है कि ६५ प्रतिशत लोहे के अंश वाले लौह अयस्क का निक्षेप ५.६० लाख टन है।

स्टीएटाइट : रामाल्लकोटा के दक्षिण पूर्व में लगभग १० किलोमीटर की दूरी पर तथा मारीकुन्टा के दक्षिण-पूर्व में ०.४ किलोमीटर की दूरी पर उच्च श्रेणी का स्टीएटाइट मिलता हैं यह खनिज १.६ मील लम्बे तथा २०० मीटर चौड़े क्षेत्र में मिलता है।

ओकर्स : गुट्टुपल्ली और वेलदुरती में लाल ओकर्स पाया जाता हैं रामाल्लकोटा में पीला ओकर्स पाया जाता है।

मिट्टी (क्ले) : रामाल्लकोटा के उत्तर में ३ किलोमीटर से कम दूरी पर मिट्टी मिलती हैं। वहां २१५,००० टन मिट्टी के निक्षेप होने का अनुमान हैं। यह मिट्टी बर्तन, पाइप आदि तथा वस्त्र उद्योग, रबड़ आदि के उत्पादन में 'फिलर' के रूप में काम में लायी जा सकती है।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

†२३२८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पुनर्वास वित्त प्रशासन के आठवें प्रतिवेदन की ओर, जिसमें कहा गया है कि पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग ७० प्रतिशत ऋण दावा प्रस्तुत कर प्राप्त किये जाते हैं जब कि पूर्वी क्षेत्रों में कोई दावे नहीं हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि पुनर्वास वित्त प्रशासन से जो धन ऋण के तौर पर जिस उद्देश्य से अर्थात् पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों का पुनर्वास, लिया गया वह पूरा नहीं हो सका ;

(ग) क्या यह सच हैं कि सम्बन्धित व्यक्तियों से ऋण वसूल करने का कोई भी प्रयत्न किया गया तो उससे उनका अस्थायी आश्रय भी छिन जायेगा ; और

(घ) क्या सरकार इन लोगों की दयनीय दशा को देखते हुए इस प्रश्न की जांच करने और सिफारिश करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का इरादा रखती हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** (क) जी हां ।

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से आये कई विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिये गये ऋण का सदुपयोग नहीं कर सके और अपने आप को बसा नहीं सके ।

(ग) और (घ). आम तौर पर कहा जा सकता हैं कि वही लोग ऋण लौटाने की स्थिति में हैं जिन्होंने ऋण का सदुपयोग किया हैं । जिन मामलों में ऋण वसूल करने के फलस्वरूप विस्थापितों को कठिनाई हो सकती हैं वहां सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता हैं । दोनों क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों के ऐसे मामलों पर विचार करने के लिये एक विभागीय समिति नियुक्त कर दी गई है जो मार्च, १९६१ से काम कर रही है और प्रत्येक मामले में गुणों के आधार पर रियायत दी जा रही है ।

भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियां

२३२९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व राजा-महाराजाओं की निजी थैलियों में कुछ और कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां तो क्या उन राजा-महाराजाओं की ओर से इस सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां की गई थीं ;

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ;

(घ) निजी थैलियों में कमी से कुल मिला कर धन की बचत हुई है ; और

(ङ) जिन राजा-महाराजाओं की निजी थैलियां में कमी की गई है क्या उनका एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) २५ लाख रुपये ।

(ङ) १४ अप्रैल १९६१ को इस विषय पर अंतिम प्रश्न के उत्तर देने के बाद निम्नलिखित कमी की गई ;

	मूल राशि	कम की गई राशि	बचत
	रु०	रु०	रु०
१. ग्वालियर के नरेश	२५ लाख	१० लाख	१५ लाख
२. इंदौर के नरेश	१५ लाख	५ लाख	१० लाख

†असल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में कदाचार

†२३३०. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में कदाचार की शिकायतों की जांच करने के लिये कोई संगठन है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन ने १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में कुल कितने मामलों की जांच की ; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां त्रिपुरा प्रशासन के संगठन और रीति तथा निगरानी विभाग के अन्तर्गत २० जुलाई, १९६१ को भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा खोली गई है ।

(ख) इस संगठन ने २० जुलाई, १९६१ से १८ मामलों की जांच की है ।

(ग) तीन मामलों में चेतावनी दी गई, सात मामले निराधार पाये गये, पांच मामलों में जांच जारी है और तीन मामलों में अनुशासन की कार्यवाही की जा रही है ।

त्रिपुरा में वार्षिक घरचुटकी कर

†२३३१. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा के रैमा-सर्मा क्षेत्र के झुमियों से प्रति परिवार पीछे लिये जाने वाले वार्षिक घरचुटकी कर की दर घटाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) त्रिपुरा के अन्य भागों में झूमियों के प्रत्येक परिवार से लिये जाने वाले वार्षिक कर की दर क्या है ;

(घ) त्रिपुरा के रैमा-सर्मा क्षेत्र में ऊंची दर से यह कर वसूल करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार त्रिपुरा में सर्वत्र इस कर की दर को समान कर देने का इरादा रखती हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) त्रिपुरा के रेमा-सर्मा क्षेत्र के कुछ आदिम जाति के निवासियों ने अभ्यावेदन किया था कि चूंकि उनका लकड़ी और वनोपज का निर्यात समाप्त हो गया है इसलिये उन्हें अतिरिक्त घरचुटकी कर के भुगतान से मुक्त किया जाये ।

(ख) रेमा-सर्मा क्षेत्र के सभी झूमियों को १४ अप्रैल, १९६२ से ४ रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त कर के भुगतान के से मुक्त कर दिया गया है ।

(ग) त्रिपुरा के अन्य भागों में घरचुटकी कर की दरें इस प्रकार हैं :—

१ जमातिया	३ रु० ५० न० पै०
२. मोरसूम . .	३ रु० ५० न० पै०
३. कलाई	३ रु० ५० न०पै०
४. रिआंग	५ रु०
५ गारों .	५ रु०
६ चाकमा	५ रु०
७ पुरन त्रिपुरा	५ रु०

†मूल अंग्रेजी में

८. नोऊटिया	४ रु०
९. रंगकाल	३ रु०
१०. कुकी	२ रु०
११. हालम	३ रु०
१२. मोग	५ रु०
१३. कपान्ना	३ रु० ५० न०प०

(घ) रैमा-सर्मा क्षेत्र के आदिम जाति के लोगों से प्रति परिवार पीछे ४ रु० वार्षिक अतिरिक्त कर महाराजा के समय से लिया जाता रहा है क्योंकि उन्हें वनों से चितगांव पहाड़ी क्षेत्रों और राज्य-क्षेत्र के बाहर स्थित अन्य स्थानों को लकड़ी आदि का आयात करने दिया जाता था।

(ङ) चूंकि राज्य-क्षेत्र से बाहर वनोपज का निर्यात करने पर रोक लगा दी गई इसलिये अतिरिक्त कर हटा दिया गया है।

भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा नक्शों का प्रकाशन

†२३३२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सर्वेक्षण विभाग के हाथीबारकला लिथो कार्यालय, फोटो लिथो कार्यालय और फोटो जिंको कार्यालय द्वारा १९५८–५९, १९५९–६० और १९६१–६२ में विभिन्न पैमाने के कितने नक्शे तैयार किये गये तथा उनकी कितनी प्रतियां छापी गईं ; और

(ख) १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में अलग-अलग कितने कर्मचारी भर्ती किये गये ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कार्यालय का नाम	१९५८–५९		१९५९–६०		१९६०–६१		१९६१–६२	
	छापे गये नक्शों की संख्या	प्रतियों की संख्या	छापे गये नक्शों की संख्या	प्रतियों की संख्या	छापे गये नक्शों की संख्या	प्रतियों की संख्या	छापे गये नक्शों की संख्या	प्रतियों की संख्या
हाथीबरकला लिथो कार्यालय	४४६	४,८७,५४२	३६६	४,५०,९४९	३५२	४,००,८०९	३७४	४,१४,०६५
फोटो लिथो कार्यालय	२२४	७,९४,३११	२०५	३,८४,५४६	१४०	५,०९,९०३	११९	२,२९,७५१
फोटो जिंको कार्यालय	९४	८६,१८१	६५	१,२३,५००	१५४	२,३९,२७८	१५१	२,२६,२६०

†मूल अंग्रजी में

ईसाई बन गये अनुसूचित जातियों के लोगों को आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

†२३३३. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों के जो व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेते हैं उन्हें वे आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें क्यों नहीं मिलतीं जो हिन्दुओं और सिक्खों के अनुसूचित जाति के लोगों को उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार कैथोलिक यूनियन आव इंडिया के अध्यक्ष से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही की गई अथवा की जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) :** (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) अधिनियम, १९५६ द्वारा संशोधित रूप में संविधान अनुसूचित जातियां आदेश, १९५० के पैरा ३ के अनुसार कोई व्यक्ति जो हिन्दू या सिख धर्मावलम्बी नहीं है, अनुसूचित जाति का सदस्य न समझा जायेगा । इसलिये अनुसूचित जाति के जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाते हैं उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल सकतीं जो अनुसूचित जातियों को उपलब्ध हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कथोलिक यूनियन आव इंडिया के अध्यक्ष को इस स्थिति से अवगत कराया गया हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भूतपूर्व राजाओं को दी गई निजी थैलियां

२३३४. **श्री विभूति मिश्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४८ में कुल जोड़ कर कितनी राशि निजी थैलियों के रूप में विभिन्न भूत-पूर्व राजाओं को दी गई थी तथा इसके बाद तक याने १५ अप्रैल, १९६२ तक प्रत्येक वर्ष क्रमशः किस मात्रा में कम होती गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : राजाओं की प्रिवी पर्सेस की अदायगी का दायित्व केन्द्रीय सरकार पर केवल १ अप्रैल, १९५० से हुआ । सबसे प्रथम वर्ष जिसकी सूचना उपलब्ध है वह सन् १९५२–५३ है जिसमें ५,२३,५५,०३९ रुपये की राशि भुगतान की गई थी । प्रत्येक वर्ष में की गई कमी इस प्रकार है :—

	रुपये
१९५०	७,००,६००
१९५१	११,९६,०००
१९५२	७,५०,६००
१९५३	६००
१९५५	४६,०००
१९५६	६००
१९६०	४,३०,०००
१९६१	२५,६५,१००

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त निम्नांकित नरेशत्व समाप्त हो गए :—

		रुपये
१९५४	कुठार	९,०००
१९५६	बौध	६९,३००
१९५८	नंदगांव	३,५३,६५० ।

अभ्रक सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था

†२३३५. **श्री यलमंदा रेड्डी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभ्रक के विभिन्न औद्योगिक उपयोगों के बारे में अनुसन्धान की आवश्यकता को देखते हुए आन्ध्र प्रदेश के नेलोर जिले में गुडूर नामक स्थान में अभ्रक सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था स्थापित करने का इरादा रखती है; और

(ख) यदि हां, तो यह संस्था कब स्थापित की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, नहीं। अभ्रक के बारे में सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता में अनुसन्धान किया जाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर प्रशासन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२३३६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये अब तक कितने क्वार्टर बनाये गये हैं ;

(ख) अभी तक कितने कर्मचारियों को क्वार्टर देने बाकी हैं; और

(ग) मनीपुर प्रशासन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि आवंटित की गई ह ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) प्रशासन के कर्मचारियों के लिये मनीपुर के लोक निर्माण विभाग द्वारा ४४२ क्वार्टर बनाये गये हैं। इन आंकड़ों में कुछ विभागों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये विभागीय तौर पर अस्थायी रूप से बनाये गये क्वार्टरों की संख्या शामिल है।

(ख) अभी तक १२८ आवेदनकर्ताओं को क्वार्टर नहीं दिये गये हैं।

(ग) इस प्रयोजन के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में योजना योजनाओं के अन्तर्गत ९,२१,१०० रुपये का उपबन्ध किया गया है। गैर-योजना योजनाओं के अधीन क्वार्टरों के निर्माण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २७,७४,५५४ रुपये और धनराशि आवंटित की गई है।

विदेशी राष्ट्रजन

†२३३७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० और १९६१ में भारत से निकाले गये विदेशी राष्ट्रजनों की क्या संख्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनको निकालने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष १९६०-६१ में भारत से निकाले गये विदेशी राष्ट्रजनों की कुल संख्या १४१ हैं। इन आंकड़ों में पाकिस्तानी और अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक शामिल नहीं हैं।

(ख) (१) अवैध प्रवेश।

(२) अधिक समय तक ठहरना।

(३) भारत-विरोधी और समाज-विरोधी कार्यवाही करना।

डम डम हवाई अड्डे पर घड़ियों का पकड़ा जाना

†२३३८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि डमडम हवाई अड्डे पर एक पाकिस्तानी राष्ट्रजन के पास से, जो अपने आप को पाकिस्तानी इंटर नेशनल एयरवेज कारपोरेशन का प्रतिनिधि बताता था, २५० घड़ियां पकड़ी गयीं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : २१ अप्रैल, १९६२ को कलकत्ता सीमा-शुल्क अधिकारियों ने पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयरवेज के एक कर्मचारी (विक्रय प्रतिनिधि) के पास से ३०१ घड़ियां पकड़ी। सम्बन्धित व्यक्ति भारतीय राष्ट्रजन है।

ग्रामीण उपविभाग (रूरल सेल)

२३३९. **श्री बाल्मीकी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत ग्रामों के शासकीय प्रबन्ध में तीव्रता लाने के लिये क्या सरकार का ध्यान बम्बई राज्य की तरह ग्रामीण उप-विभाग (सेल) स्थापित करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

२३४०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में कितने अफसर तथा कर्मचारी हिन्दी जानते हैं और कितने हिन्दी नहीं जानते हैं;

(ख) इन में से जो व्यक्ति हिन्दी नहीं जानते उन को हिन्दी सिखाने की क्या व्यवस्था की गई है और उसके अनुसार इस समय कितने व्यक्ति हिन्दी सीख रहे हैं; और

(ग) इन में से जो व्यक्ति हिन्दी जानते हैं उनको हिन्दी के कार्य करने के क्या अवसर प्रदान किये गये हैं तथा अन्य और क्या अवसर किस प्रकार प्रदान किये जाने वाले हैं ?

गृहक-र्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) हिन्दी जानने वाले अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या ६४७।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी न जानने वाले अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या २७९ ।

(ख) २० अगस्त, १९६० को तीस हजारी कोर्ट बिल्डिंग में हिन्दी प्रशिक्षण के लिये एक केन्द्र का निर्माण किया गया । इस समय डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय के १५० कर्मचारी हिन्दी का प्रशिक्षण ले रहे हैं ।

(ग) धीरे-धीरे अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी लाने के कार्यक्रम के अनुसार कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग करने के हेतु निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(१) अन्तर विभागीय अनुस्मारक, प्राप्ति की सूचना, नेमी पत्र व्यवहार में हिन्दी लागू करना ।

(२) विशिष्ट विषयों में हिन्दी में टिप्पण लागू करना ।

(३) हिन्दी की याचिकाओं का हिन्दी में उत्तर देना । दिल्ली में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के लिये न्यायालय की अतिरिक्त भाषा हिन्दी देवनागरी सहित घोषित कर दी गई है । कुछ फार्म जैसे गिरफ्तारी के वारंट, साक्षियों के वारन्ट, अभियुक्तों के लिये वारंटों का अनुवाद हो चुका और ये प्रयोग में लाये जा रहे हैं । अन्य न्यायायिक फार्मों का अनुवाद हिन्दी में किया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश में बोक्साइट के निक्षेप

†२३४१. **श्री सुबोध हंसदा : क्या खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोक्साइट निक्षेपों का पता लगाने के लिये मध्य प्रदेश में अमरकण्टक क्षेत्र में पूरा सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त बोक्साइट की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(ग) क्या इस प्रदेश का सर्वेक्षण हमारे भूतत्वेत्ताओं द्वारा किया गया अथवा इस में कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी लगाये गये थे ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). अमरकण्टक प्रदेश के बोक्साइट निक्षेप का प्राथमिक सर्वेक्षण भारत के भूतत्वीय विभाग द्वारा किया १९४७–५३ की अवधि में पूरा किया गया । लगभग ५० प्रतिशत अल्युमिनियम मिले हुए बोक्साइट निक्षेपों का अनुमान लगभग ९,४५,००० टन लगाया गया ।

(ग) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये प्राथमिक सर्वेक्षण के लिये कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं रखे गये । इस क्षेत्र में बाक्साउट के निक्षेपों की संभावना और खोज सम्बन्धी विस्तृत कार्य हाल ही में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया गया है । कार्य प्रगति पर है ।

तीन वर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम

†२३४२. **श्री भागवत झा आजाद : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उन विश्वविद्यालयों को जिन्होंने तीन वर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम लागू किया है और जिनको इसने वचन दिया था, धन दे रहा है ; और

(ख) क्या लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर विश्वविद्यालयों को यह धन आवंटित किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं। इन विश्वविद्यालयों ने अभी तीन वर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम लागू नहीं किया है।

दिल्ली की जेलों में योग

†२३४३. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बन्दियों को स्वस्थ रखने के लिये दिल्ली की जेलों में योग आरम्भ किया गया है और बीस बन्दियों को शीघ्र ही योग शिक्षक के रूप में अर्हता प्राप्त हो जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातर) :** जी, हां। अब तक १४ बन्दियों को शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। लगभग ३ सप्ताह में तीस और बन्दियों को योग शिक्षक के रूप में अर्हता प्राप्त हो जायेगी।

बलाडिला परियोजना

२३४४. **श्री लखू म भवानी:** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बलाडिला प्रोजेक्ट में पढ़े-लिखे आदिवासी छात्रों को नौकरी में प्रमुखता क्यों नहीं दी जाती ?

खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): इस समय भारतीय खान विभाग राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की तरफ से बलाडिला क्षेत्र के विभिन्न निक्षेपों के विस्तृत अन्वेषण कार्य में लगा हुआ है। जब यह विभाग इस कार्य को पूरा कर लेगा तब निगम द्वारा प्रत्येक निक्षेप के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी और उनको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी अतः मौजूदा स्थिति में उपर्युक्त परियोजना में नौकरी का प्रश्न परिपक्व नहीं है।

अवैध गांजे का पकड़ा जाना

†२३४५. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २९ अप्रैल, १९६२ को उत्तर प्रदेश के एटा जिले में आबकारी विभाग द्वारा ३ मन अवैध गांजा बरामद किया गया; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) और (ख). २२ अप्रैल, १९६२ को स्टेशन मास्टर, सहवार, सर्किल इन्सपेक्टर 'के' और एक्साइज़ इन्सपेक्टर, कासगंज के एक दल ने एक छापा मारा और सहवार कस्बे के उत्तर में ३ फर्लांग पर स्थित एक बगीचे से ३ मन वजन के गांजे के पौदे पकड़े। यह बगीचा सहवार कस्बे के रफन मियां और मुशीर मियां का है। इस समय इस बगीचे पर सर्वश्री मासो माशूक अली सुपुत्र मोसम अली, मोहम्मद शरीफ सुपुत्र अब्दुल वहीद और छम्मी सुपुत्र विलायत खां के कब्जे में है। ये सब सहवार के निवासी हैं। बगीचे में उपस्थित मुहम्मद शरीफ और छम्मी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध सहवार पुलिस स्टेशन में राज्य आबकारी अधिनियम की धारा ६० के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी जांच की जानी है।

त्रिपुरा प्रशासन द्वारा निकाले गये प्रकाशन

†२३४६. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ से ३० मार्च, १९६२ तक, पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के बारे में विभिन्न

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विभागों के कार्य के सम्बन्ध में त्रिपुरा प्रशासन ने कितने प्रकाशन निकाले हैं; और

(ख) क्या ये पुस्तिकाएं त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् के सदस्यों और संसद् सदस्यों को बांटी जा रही हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) १२ ।

(ख) जी हां ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

†२३४७. **श्री शिवचरण गुप्त**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के मंजूरशुदा ले आउट प्लानों में सामुदायिक सुविधाओं के लिये निवास वाले कितने प्लाट निश्चित किये गये हैं ;

(ख) इन बस्तियों के ले आउट प्लानों में निवास वाले कितने प्लाट छोड़े गये थे;

(ग) अब तक मंजूर न हुई अनधिकृत बस्तियों के निवास वाले कितने प्लाट हैं; और

(घ) सरकार इन प्लाटों के मालिकों को वैकल्पिक विकसित प्लाट देने के लिये क्या करने का विचार करती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) दिल्ली नगरपालिका निगम की स्थायी समिति ने, विभिन्न बस्तियों के ले आउट प्लानों को अनुमोदित करते समय यह संकल्प पारित किया था कि इमारतों और प्लाटों के मालिकों को, जिन की सम्पत्तियां अधिग्रहण की जायेंगी, दिल्ली प्रशासन द्वारा या दिल्ली नगरपालिका निगम द्वारा मकान बनाने के लिये समीप के विकसित क्षेत्रों में विकसित प्लाट दिये जायेंगे, यदि उस संबद्ध व्यक्ति का अपने नाम में या अपनी पत्नि/पति या अन्य किसी आश्रित सम्बन्धी, जिन में अविवाहित बच्चे शामिल हैं, के नाम में दिल्ली में निवास करने वाला प्लाट या मकान नहीं है ।

त्रिपुरा में तेज आंधी से तबाही

†२३४८. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६२ के महीने में, खोवाई कस्बे समेत खोवाई सब-डिवीजन भर में, हाल में आई बहुत तेज आंधी के कारण जनता और सरकार को कितनी हानि हुई थी;

(ख) क्या सरकार ने इस तेज आंधी से प्रभावित हुए लोगों को कोई सहायता या सुविधा प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सहायता दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) कम तेज वाले एक तूफान के द्वारा, जो अप्रैल, १९६२ में खोवाई सब-डिवीजन में से गुजरा था, १५६० गैर सरकारी मकान और २० सरकारी इमारतों तथा पुलों को हानि पहुंची थी । लगभग ९२,६४५ रुपये की हानि का अनुमान है।

(ख) और (ग). तूफान से प्रभावित उचित लोगों को नकद सहायता देने के लिये ५,००० रुपये की राशि मंजूर की गई है। अनुदान की राशि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते

†२३४९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जिन्हें अप्रैल, १९६१ में नई दिल्ली में हुए उप चुनाव को करवाने और उसका पर्यवेक्षण करने के लिये लगाया गया था, अभी तक उस सम्बन्ध में उनका यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता आदि नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) ये भत्ते कब तक दिये जाने की संभावना है ?

†**विधि मंत्रालय म उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** :(क) अप्रैल, १९६१ में नई दिल्ली में हुए उपचुनाव को करवाने और पर्यवेक्षण करने के लिये तैनात किये गये केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का कोई दावा मुख्य निर्वाचक अधिकारी दिल्ली के पास लंबित नहीं पड़ा, जो इन बिलों पर कांउटरसाइन (प्रति हस्ताक्षर) करने के लिये समर्थ है ।

(ख) और (ग). सवाल पदा नहीं होते ।

चन्देरी का किला

†२३५०. { **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्रीमती जमना देवी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार चन्देरी गढ़ की दीवारों को गिरा रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने यह कदम उठाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि नहीं तो क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इन दीवारों को गिराने से रोकने के लिये कहने का इरादा करती है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये माल डिब्बे

२३५१. { **श्री सरजू पाण्डेय:**
श्री ज० ब० सिंह:

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश का उद्योगों के लिए जो प्रदेशीय कोटा पहले २२,९९६ वेगन निर्धारित था वह घटाकर २,२२६ वेगन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस का कारण क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र के पास कोई विरोध-पत्र भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कारवाई हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० डे० मालवीय): (क) तथा (ख). पूर्व समय में उपलब्ध रेल परिवहन के मुकाबले पर कोयले का कोटा बहुत अधिक था। यह महसूस किया गया कि यह उपभोक्ताओं के हित में होगा यदि आवंटन इस प्रकार किया जाये; जिसके वास्तविक रूप में परिवहन करने की आशा की जा सकती है। इस उपर्युक्त आवंटन के परिणामस्वरूप उपभोक्ता लोग अपने यूनिटों के काम करने की योजना को ठीक ढंग से बना सकते हैं। अतः १९६२ के लिए सारे राज्यों के, जिस में उत्तर प्रदेश भी शामिल है, कोटे का तदनुसार संशोधन किया गया ताकि वह (कोटा) उपलब्ध रेल परिवहन क्षमता से निकटतम बराबरी पा सके। उत्तर प्रदेश में राज्य नियंत्रित अग्रताओं के लिए कोयले के पुनरीक्षित कोटे के, जोकि जून, १९६२ से कार्यान्वित होगा, प्रति मास में ५३२६ वैगन नियत किये गये हैं जबकि १९६१ के दौरान में प्रति मास में ७५७६ वैगनों का कोटा नियत किया गया और ५१२४ वैगनों का प्रेषण किया गया।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने संशोधित कोटे का विरोध किया है और उपर्युक्त स्थिति उनको बता दी गई है।

मद्रास में जिप्सम की खानें

†२३५२. **श्री नम्बियार**: क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के अरियालूर तालुक की जिप्सम खानें खनन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार काम कर रही हैं;

(ख) क्या 'डेडरेन्ट' और 'रायल्टी' इकट्ठी की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी रकम इकट्ठी की हुई है;

(घ) क्या स्थानीय खनन पट्टेदार खान में काम करने वालों से ठेके की प्रणाली पर काम कराते हैं, और

(ङ) क्या मजदूरों को मकान, अस्पताल, स्कूल और दूसरी सुविधाएं दी जाती हैं जैसा कि अधिनियम के अधीन आवश्यक है ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय म उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) जी हां। खानों के मुख्य निरीक्षक समय समय पर जो निरीक्षण करते हैं उस में यदि कोई कमी नजर आती है तो वह खान अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ठीक की जाती है।

(ख) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) खान मालिकों द्वारा मकान, अस्पताल और स्कूलों की व्यवस्था खान अधिनियम, १९५२ के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती। फिर भी खान मालिकों द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं, जैसा कि खान अधिनियम के अधीन आवश्यक है :—

(१) कर्मचारियों के लिये पीने का पानी

(२) फर्स्ट एड के लिये आवश्यक वस्तुएं

(३) शौचालय (सरफेस लैट्रिन्स)

(४) अस्पताल में रोगियों को तुरन्त पहुंचाने के लिये व्यवस्था

(५) आराम करने के लिये कर्मचारियों के लिये अस्थायी विश्राम-स्थल।

---

†मूल अंग्रेजी में

लक्कदीव, मिनीकाय और अमीन दीवी द्वीपों के निवासियों को ऋण

†२३५३. **श्री नल्लाकोया :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव, मिनीकाय और अमोनदीवी द्वीप समूहों के निवासियों ने उन द्वीपों में महाजनों के पास जो नारियल के पेड़ गिरवी रखे थे उन्हें वापस लेने के लिये उन निवासियों को सरकारी ऋण देने की योजना के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) यदि यह योजना अन्तिम रूप से तैयार हो गयी हो, तो किस तारीख तक इन निवासियों को उस कारण भुगतान सम्भवत: किया जायगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) और (ख). वह विनियम तैयार किया जा चुका है और उसकी छानबीन हो रही है ।

पांडिचेरी से कन्याकुमारी क्षेत्र तक तेल

†२३५४. **श्री मलाइछामी :** क्या **खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की समिति को जिसने तिरुचिरापल्ली जिले सर्वेक्षण किया था, पांडिचेरी से कन्याकुमारी तक तेल का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के तेल संसाधनों का उपयोग करने की परियोजना कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेना म भर्त्ती

२३५५. **श्री बाल्मीकी:** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना में भर्ती करने में जातिगत विचारधारा का कहां तक ध्यान रखा जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि जातिगत आधार पर कुछ जातियों को केवल छोटे पेशे तक ही सीमित रखा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) सेना की भर्ती में जातीयता का विचार नहीं किया जाता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय छात्र सेना दल के प्रशिक्षण के लिये अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी

२३५६. **श्री बाल्मीकी:** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना से अवकाश प्राप्त कितने अधिकारियों को राष्ट्रीय छात्र सेना दल में प्रशिक्षण देने के लिये १९५९ से मई, १९६२ तक नियुक्त किया गया; और

(ख) इससे कितनी बचत हो सकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) १९५९ से मई, १९६२ तक की अवधि में स्थायी सेना में पुनर्नियुक्त अफसरों में से २३ को राष्ट्रीय छात्र दल की यूनिटों में प्रशिक्षण कार्य पर लगाया गया है।

(ख) पुनर्नियुक्त अफसरों को काम पर लगाने से कोई विशेष वित्तीय बचत नहीं होती, क्योंकि पुनर्नियुक्ति पर उन्हें वही वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो कि सेवा कर रहे अफसरों को, सिवाये ३० रुपये विस्थापन भत्ता के, जो स्थायी सेना के अफसरों को तो देय है, परन्तु इन अफसरों को नहीं।

हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क

†२३५७. **श्री हेमन राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क बनाने और उसे चौड़ा करने पर अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ;

(ख) कितने मील सड़क पूरी की जा चुकी है ;

(ग) अभी कितने मील सड़क पूरी करना बाकी है ; और

(घ) वह सम्भवत: कब तक पूरी हो जायगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** (क) लगभग ३७०.२७ लाख रूपये।

(ख) से (घ). और अधिक जानकारी देना लोक-हित में उचित नहीं है।

बुनियादी शिक्षा

†२३५८. **श्री गो० महन्ती :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक दशा में भी बुनियादी शिक्षा और प्राचीन शिक्षा पद्धति को साथ ही साथ प्रोत्साहन देने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला०श्रीमाली):** दोनों प्रकार के स्कूल अनिवार्य रूप से तब तक साथ-साथ चलते रहेंगे जब तक कि सभी स्कूलों को बुनियादी ढंग के स्कूलों के रूप में बदल नहीं दिया जाता, जो कि सरकारी नीति का उद्देश्य है।

प्रक्षेपणास्त्र-नाशक अस्त्र

२३५९. **श्रीमती मिनोमाता:** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रक्षेपणास्त्र-नाशक अस्त्र तथा अन्य सुरक्षात्मक अस्त्र निर्माण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क). तथा (ख) विस्तरण देना लोकहित में नहीं है। प्रक्षेपणास्त्रों समेत, आधुनिक हथियारों में अनुसन्धान प्रतिरक्षा अनुसन्धानशालाओं के साधारण कार्यों का हिस्सा है।

साहित्य अकादमी का साहित्य-पुरस्कार

२३६०. **श्रीमती मिनोमाता :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक साहित्य अकादमी का वार्षिक पुरस्कार पचास वर्ष से कम अवस्था के किसी हिन्दी लेखक को प्राप्त हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) पुरस्कार के लिये उम्र का ख्याल नहीं रखा जाता।

द्वारका मंदिर में मरम्मत

†२३६१. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका मन्दिर में मरम्मत करने के लिये मन्दिर के चारों ओर लंकड़ी का ढांचा कब से खड़ा किया गया है ;

(ख) मरम्मत का काम सम्भवत: कब से शुरू किया जायगा और कब समाप्त होगा ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय मे उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) लगभग तीन साल। मन्दिर के चारों ओर लकड़ी का ढांचा कुछ समय के लिये, मरम्मत के लिए नहीं बल्कि सविस्तृत चित्र तैयार करने के लिये खड़ा किया गया है।

(ख) ज्यों ही वह स्मारक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जायगा, मरम्मत का काम शुरू हो जायगा ?

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली/नयी दिल्ली की अदालतों में विचाराधीन मामले

†२३६२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नयी दिल्ली की अदालतों में कितने मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं ; और

(ख) पिछले दो साल से कितने दीवानी और फौजदारी मामले अभी चल रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) ८३८५९।

(ख) दीवानी मामले १, ३८५।
फौजदारी मामले १७५।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने में जैनरेटर

†२३६३. **डा० लक्ष्मीमल सिंघवी**: क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी के उर्वरक कारखाने में जैनरेटरों में गलत किस्म के कोयले के उपयोग से दरारें पड़ गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस तरह का नुकसान हुआ है और मरम्मत का क्या कार्यक्रम है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) १९५९-६० में, सिन्दरी के गैस जेनरेटरों में, और कारणों के साथ साथ, गलत किस्म के कोयले के इस्तेमाल के कारण कुछ गड़बड़ी हुई थी।

(ख) ठीक किस्म का कोयला अब तैयार किया गया है और गैस जेनरेटरों की मरम्मत का पहला दौर पूरा हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिन्दरी उर्वरक कारखाना

†२३६४. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी उर्वरक कारखाने में कुल कितना निवेश किया गया है ;

(ख) निवेश पर कितना लाभ हुआ है ;

(ग) आयात किये गये उर्वरकों की प्रति टन कीमत क्या है ; और

(घ) उत्पादन लागत कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) सरकार ने सिन्दरी उर्वरक कारखाने में सामान्य पूंजी के रूप में १७ करोड़ रुपया लगाया है ।

(ख) कई वर्षों के लिये घोषित लाभांशों के रूप में लाभ इस प्रकार है :—

वर्ष	घोषित लाभांश प्रतिशत	रकम
१९५४–५५	२	३४,००,०००
१९५५–५६	४	६८,००,०००
१९५६–५७	५	८५,००,०००
१९५७–५८	५	८५,००,०००
१९५८–५९	५	८५,००,०००
१९५९–६०	४	६८,००,०००
१९६०–६१	१	३९,२७,१४०
		(३९,२७,१४,००० रुपये की एफ० सी० आई० लिमिटेड की कुल हिस्सा पूंजी पर)

(ग) वर्ष १९६०–६१ के लिये आयातित उर्वरकों की औसत लागत इस प्रकार है :—

अमोनियम सल्फेट .	. २१७ रुपये प्रति मेट्रिक टन
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	. २७१ रुपये प्रति मेट्रिक टन
यूरिया . . .	. ४७९ रुपये प्रति मेट्रिक टन

(घ) उर्वरक के उत्पादन की लागत केवल उत्पादन का स्तर बढ़ाने और संचालन तथा संधारण की कार्य क्षमता बढ़ाने से ही कम हो सकती है । विशेषज्ञयों समिति ने जिसने इस समस्या का पूरा पूरा अध्ययन किया है, इसके लिये कई उपायों की सिफारिश की है । प्रबन्धक इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर रहे हैं ।

समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण

†२३६५. **श्री वारियर:** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ समिति ने समुद्री डीजल इंजन तैयार करने के लिये भारत में एक कार-

†मूल अंग्रेजी में

खाना स्थापित करने की योजना की छानबीन कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख) देश में समुद्री डीजल इंजन तैयार करने की योजना की छानबीन करने के लिये अभी तक कोई समिति कायम नहीं गयी है। इस योजना की प्रगति की वर्तमान स्थिति बताने वाला एक विवरण १४ मई, १९६२ ; तारांकित प्रश्न संख्या ७०९ के उत्तर में सभा पटल पर रखा गया था।

"अन्य पिछड़े वर्गों" को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†२३६६. **श्री वारियर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "अन्य पिछड़े वर्गों" के लगभग ४०० अधिकारी उम्मीदवारों को जिन्हें धन की कमी के कारण छात्रवृत्तियां नहीं दी गयी थीं; जैसा कि केरल सरकार ने बताया है मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां दिलाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). १९५९-६० में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां देने की भारत सरकार की योजना के विकेन्द्रीकरण के बाद, अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए केरल राज्य सरकार के लिए भारत सरकार ने १,४६,६०० रुपये की रकम निर्धारित की है। अन्य पिछड़ वर्गों के बचे हुए उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां देने के लिए ये निधियां राज्य सरकार यदि चाहे तो बढ़ा सकती है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिय छात्रवृत्ति

†२३६७. **श्री वारियर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के कितने विद्यार्थियों ने प्रार्थनापत्र दिये ;

(ख) कितने विद्यार्थियों को सुपात्र माना गया ;

(ग) केन्द्र ने कितना धन व्यय किया ; और

(घ) ऐसा आवंटित कितना धन रहा जो व्यय नहीं हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**:

(क) १९६०-६१ :

	अनुसूचित जाति . . .	४५,९२०
	अनुसूचित आदिम जाति . . .	७,४२९
(ख)	अनुसूचित जाति	४१,४४२
	अनुसूचित आदिम जाति . . .	६,६७७
(ग)	अनुसूचित जाति .	१,५९,०६,५४४ रु०
	अनुसूचित आदिम जाति . . .	३०,००,१८९ रु०

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अनुसूचित जाति २,४२,०५६,६०

अनुसूचित आदिम जाति ८४,०११ ६०

१९६१-६२

पूरी रिपोर्ट राज्य सरकारों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

पश्चिम जर्मनी का ऋण

†२३६८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी के आर्थिक सहयोग मंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार के सारे भावी ऋण इस शर्त पर होंगे कि उनक उपयोग जर्मन वस्तुओं को खरीदने के लिए ही किया जाना चाहिये ; और

(ख) क्या इस घोषणा का प्रभाव किसी प्रकार भारत सरकार पर पड़ता है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) सरकार ने इस बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) दूसरे जर्मन ऋण के बारे में आज कल वार्ता हो रही है और किसी जर्मन सहायता संबंधी परिवर्तन का प्रभाव ऋण के शर्त निश्चित होने पर मालूम होगा ।

अश्लीलता-विरोधी सलाहकार बोर्ड

†२३६९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले साल दिल्ली में एक अश्लीलता विरोधी सलाहकार बोर्ड बनाया गया था जिसका उद्देश्य अश्लील प्रकाशनों के विक्रय और परिचालन के बारे में कार्यवाही करना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या सिफारिशें ह ; और

(ग) उसे लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार):** (क) दिल्ली प्रशासन ने वर्ष १९५५ में एक अश्लीलता विरोधी सलाहकार बोर्ड बनाया था। यह बोर्ड पुलिस द्वारा बताये गये अश्लीलता मामलों के विक्रय परिचालन, आदि के मामलों की जांच करने और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ़ भारतीय दण्ड संहिता की धारा २९२ के अन्तर्गत या अभी लागू किसी अन्य विधि के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा ।

(ख) बोर्ड ने सिफारिश की है कि पुलिस जिन प्रकाशनों को अश्लील समझती है उनकी शीघ्र जांच की जानी चाहिये और जिन मामलों में सन्देह हो कि वे अश्लील हैं या नहीं उन में भी अभियोग चलाये जायें। यह भी सुझाव दिया गया है कि प्राधिकारियों को अश्लील साहित्य पकड़ने में अपने आन्दोलन में शिक्षाविदों और लोकनेताओं का सहयोग प्राप्त करना चाहिये ।

(ग) अश्लील साहित्य का विक्रय तथा परिचालन रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की गई है और पुस्तक की उन दुकानों पर बार बार छापा मारा गया है जिन पर यह सन्देह था कि वे अश्लील साहित्य रखती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

†२३७०. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री विशनचन्द्र सेठ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु ५५ वर्ष से बढ़ाकर ५८ कर दी गई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) आजकल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ ।

सरकारी कर्मचारियों के वेतन की कुर्की

†२३७१. **श्री जेधे** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक न्यायालय की डिग्री पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन की कुर्की योग्य अधिकतम सीमा १०० रुपये निर्धारित करन का नियम किस वर्ष बनाया गया था ;

(ख) उस समय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन क्या था और इस समय वेतन क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों का गैर कुर्की योग्य अधिकतम वतन अब भी वही, अर्थात् १०० रुपये है जब कि मूल वेतन में तीन गुनी अथवा चारगुनी वृद्धि हो गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस समय मूल्यों के सामान्य स्तर में वृद्धि को देखते हुए उसी अनुपात से अधिकतम सीमा में वृद्धि न करने के क्या कारण हैं ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)**: (क) असैनिक न्यायालय की डिग्री पर सरकारी कर्मचारियों के कुर्की योग्य अधिकतम वेतन सीमा १०० रुपय निर्धारित करने का नियम वर्ष १९३७ में बनाया गया था ।

(ख) उस समय कोई न्यूनतम मूल वेतन निर्धारित नहीं किया गया था, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का निम्नतम आरम्भिक वेतन ८ रुपय से १४ रुपये प्रति मास तक था कम आयु के व्यक्तियों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस समय कम से कम वेतन ८५ रुपये प्रतिमास दिया जाता है (मूल वेतन ७० रुपये और मंहगाई भत्ता १५ रुपये)

(ग) जी हां, । यह सच है कि अब भी सरकारी कर्मचारियों की गैर कुर्की योग्य वेतन की अधिक तम सीमा १०० रुपये है ।

(घ) छट की सीमा में वृद्धि करन के प्रश्न पर भारत सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। विधि आयोग ने असैनिक प्रक्रिया संहिता सम्बन्धी अपन प्रारुप प्रतिवदन में, जो विचारार्थ राज्य सरकारों और अन्य अभिरुचित निकायों को परिचालित किया गया है, अन्य बातों के साथ साथ

---

†मूल अंग्रेजी में

संहिता की धारा ६० में संशोधन का सुझाव दिया है ताकि कुर्की के सम्बन्ध में छूट की सीमा १०० रुपये से बढ़ा कर १५० रुपये कर दी जाय। असैनिक प्रक्रिया संहित सम्बन्धी विधि आयोग का अन्तिम प्रतिवदन प्रतिक्षित है ।

पिछड़े वर्ग आयोग

२३७२. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री जि० मंडल :
श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्ग आयोग पर, जो २९ जनवरी, १९५३ को स्थापित किया गया था, कुल कितना व्यय किया गया ; और

(ख) आयोग ने जो सुझाव दिये हैं उन्हें कहां तक लागू किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर): (क) ५,००,१६२ रुपये (पांच लाख एक सौ व्यासठ रुपये) ।

(ख) इस सम्बन्ध में आयोग की रिपोर्ट के साथ ३ सितम्बर, १९५६ को सदन में प्रस्तुत किये गये ज्ञापन तथा १४ अगस्त, १९६१ को दिए गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९०३ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोटा और बूंदी में भूमि

†२३७३. **श्री प० कुन्हन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के कोटा और बूंदी जिलों में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने भूतपूर्व सैनिकों को वहां पर भूमि दी गई है ;

(ग) उनको कितने एकड़ भूमि दी गई है ;

(घ) उन भूतपूर्व सैनिको की क्या संख्या है, जिनको ३० एकड़ या अधिक भूमि दी गयी है ; और

(ङ) क्या कोटा जिले में भूमि के आवंटन के लिये कोई आवदन पत्र लम्बित पड़ा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रघु रामैया) :** (क) से (ङ) जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली के स्कूलों में अध्यापिकाओं को प्रसूति के लिये छुट्टियां

†२३७४. **श्री प० कुन्हन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के अधीन लड़कियों के स्कूलों में अध्यापिकाओं को प्रसूति के लिए छुट्टियां बिताने के बाद स्कूल में पुनःप्रवेश के लिए स्कूल की निरीक्षिका से अनुमति लेनी पड़ती है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह नियम कब बनाया गया था ;

(ग) ऐसा नियम बनाने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). अध्यापकों समेत सरकारी कर्मचारियों को छट्टी देने के नियमों के अन्तर्गत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त, किसी भी सरकारी कर्मचारी को छट्टी से आने के बाद उस पद पर आने की इजाज़त नहीं दी जाती जिस पर वह छुट्टी पर जाने के समय थे । उनको चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, कार्य पर वापस आने की रिपोर्ट देनी पड़ती है और फिर आदेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

पंजाब में ग्रामीण संस्थाएं

†२३७५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ में अब तक पंजाब राज्य में कितनी ग्रामीण संस्थाओं को अनुदान दिये गये हैं ; और

(ख) उनको प्रत्येक को कितना धन मंजूर किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) किसी को नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में शिक्षा सम्बन्धी दौरों के लिये सहायता

†२३७६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ में अब तक पंजाब सरकार को राज्य में राज्य और भीतर विद्यार्थियों के शिक्षा सम्बन्धी दौरों के लिए सहायता की कितनी धनरांशि मंजर की गयी है ; और

(ख) क्या पंजाब सरकार ने सहायता का पूरा इस्तेमाल किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) इस कार्य के लिए वर्ष १९६१-६२ में पंजाब सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार को कोई धन मंजूर नहीं किया गया । वर्ष १९६२-६३ के लिए निधि का आवंटन विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में पुस्तकालयों को सहायता

†२३७७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ में अब तक पंजाब में विभिन्न पुस्तकालयों को कुल कितनी सहायता दी गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):

संगठन का नाम	मंजूर की गयी धन राशि	
	१९६१-६२	१९६२-६३ (अब तक)
	रुपये	रुपये
१. विश्वेश्वरानन्द वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, होशियारपुर	३६,०००	..
२. दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय, हिसार . . .	१,५००	..
३. द्वारका दास लाइब्रेरी, चंडीगढ़ (सर्वेंट्स आफ़ पीपुल्स सोसायटी, लाजपतनगर, नई दिल्ली के जरिये) .	..	२०,०००

राज्य योजना में पुस्तकालयों के विकास की योजना शामिल हैं। इस योजना पर केन्द्रीय अनुदान के बारे में बताना संभव नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सहायता का आवंटन योजनावार नहीं किया जाता है।

आदिवासी

२३७८. **श्रीमती जमुना देवी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किस ज़िले में आदिवासियों का प्रतिशत सब से ज्यादा है तथा वह प्रतिशत कितना है ;

(ख) क्या उस जिले में आदिवासियों के उत्थान हेतु कुछ विशेष योजनायें चलाई जा रही हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर हां में हो, तो उन विकास योजनाओं का क्या विवरण है ?

गृह-काय मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चंद्रशेखर) : (क) नागालेंड के मोकोक चुंग, कोहिमा तथा लेन्सांग ज़िले। जनसंख्या के सही आंकड़े मांगे गये हैं तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) जी हां।

(ग) जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। नागालेण्ड के लिए समग्र रूप से तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए ७१५ लाख रुपये का उद्व्यय स्वीकार किया गया है। कृषि, यातायात, कुटीर उद्योगों, शिक्षण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तृत विकास के लिए प्रबंध किया गया है।

एन० एच० टी० ए० के ग्रामीण क्षेत्र को १२ विकास खण्डों में परिसीमित किया गया है, जिनमें से दो आदिवासी विकास खंण्डों के रूप में समझे जाएंगे, जहां पर अधिक प्रकृष्ट विकास सम्भव होगा। १२ खण्डों के हेतु तृतीय योजना के लिए स्वीकृत उद्व्यय ८३ लाख रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटनवा में कथित विस्फोट

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी): अध्यक्ष महोदय, नियम १५७ के अन्तर्गत मैं प्रधान मंत्री का निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे वक्तव्य दें :—

"उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटनवा में तथा-कथित विस्फोट"।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्तिमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : १३ मई को नेपाल की सीमा के निकटवर्ती गोरखपुर जिले में नौटनवा में एक तिमंजिले मकान की ऊपर की मंजिल पर विस्फोट हुआ था। यह मकान एक भारतीय राष्ट्रजन का था जिस ने उसे दो विख्यात नेपाली राष्ट्रजनों को किराये पर दे दिया था जिन की सीमा के दूसरी ओर उस के साथ ही भूमि थी। उन का मरवस नाम का नौकर है जो भारतीय राष्ट्रजन है। विस्फोट के समय वह वहां पाया गया था। अन्य लोगों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्स्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा ५ के अन्तर्गत पुलिस ने एक अभियोग पंजीबद्ध कर लिया। बाद में यह पता चला कि वह विस्फोट पटाखे से हुआ था हथगोले से नहीं और यह गांव में बना हुआ विस्फोट प्रतीत होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि नौकर को जानवरों को सीमा के पार अपनी भूमि पर जाने से रोकने के लिये पटाखे आदि छिपा कर रखने की आदत थी मुझे यह नहीं पता कि यह पटाखा उसी लिए बनाया गया था कि किसी दूसरे काम के लिए। यही तथ्य है, जिन का मुझे पता है।

†**श्री हेम बरुआ**: यह आरोप कहां तक ठीक है कि भारत-नेपाल सीमा पर सीमा क्षेत्र नेपाली क्रान्तिकारियों द्वारा नेपाल सरकार के विरुद्ध क्रान्तिकारी कार्यवाहियों के लिए प्रयोग में लाया जाता है ? यदि यह सच है तो, सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : केन्द्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह यह नहीं चाहते कि भारत को सीमा पार की हिंसक कार्यवाहियों के लिये आधार बनाया जाय। इस प्रयत्न में सरकार अधिकतर सफल रही है और मेरे विचार में भारत का इस मतलब के लिये प्रयोग नहीं किया गया है। सीमा की लम्बाई के कारण यह कहना असम्भव है कि कब थोड़े से व्यक्ति इधर से उधर चले जाएं।

पाकिस्तान द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण के बारे में सूचना न देना

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास श्री ब्रजराज सिंह, श्री बड़े, श्री युद्धवीरसिंह, श्री लहरी सिंह और डा० लक्ष्मीपत सिंघवी की सूचना है। श्री ब्रजराज सिंह पढ़ें।

†**श्री बड़े** (खांरगौन) : मैं पढ़ूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय**: तो आप पढ़िये।

†**श्री बड़े** (खारगौन) : महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न लिखित विषय की ओर खाद्य एवं कृषि मंत्री का ध्यान दिलाने और मंत्री महोदय से उस पर एक वक्तव्य देने की प्रार्थना करने की सूचना देना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

चाहता हूं :—

"अमृतसर जिले में टिड्डियों के एक बड़े दल ने २९ मई, १९६२ की शाम को पश्चिम पाकिस्तान की ओर से प्रवेश किया और अनेक गांवों में फसलों को भीषण क्षति पहुंचाई। इस संबंध में प्रकाशित समाचार में यह भी बताया गया है कि टिड्डियों के इस दल के गुजरने के बारे में पाकिस्तान के अधिकारियों ने अमृतसर के स्थानीय अधिकारियों को कोई सूचना नहीं दी, जैसाकि अन्तर्राष्ट्रीय टिड्डी-नियंत्रण की प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक था।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : जसाकि अभी कहा गया, २९ मई को संध्या समय टिड्डियों के एक दल का आक्रमण हुआ अमृतसर जिले पर। मगर दूसरे ही दिन यह सारा टिड्डी दल पाकिस्तान की ओर चला गया, और इसलिये पाकिस्तान की तरफ से यदि कोई सूचना नहीं आई तो उस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय: मगर सवाल सिर्फ इतना था जिस वास्ते मैं ने इजाजत दी कि क्या कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है हमारे और पाकिस्तान के दरम्यान कि अगर ऐसा टिड्डी दल आये तो एक मुल्क दूसरे को इत्तला दे और इस हालत में उन्हों ने इतला नहीं दी। सावाल सिर्फ यह था।

डा० रामसुभग सिंह : जी हां यह समझौता है कि एक दूसरे को इतला देनी चाहिये, और दोनों देशों के टकनिकल एक्सपर्ट अक्सर मिलते हैं और सारी बातों पर विचार करते हैं। शायद यह आक्रमण यकायक हुआ इसलिए उन्हों ने सूचना नहीं दी। लेकिन लन्दन के इंटरनेशनल लोकस्ट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दोनों देशों को इस की सूचना दी गई थी, भारत को और पाकिस्तान को, कि टिड्डियों के आक्रमण होंगे, और उस का मुकाबला अच्छी तरह से किया जाना चाहिये।

श्री बड़े : इस से यह इम्प्रैशन तो नहीं मिलता कि पाकिस्तान के अपने से स्ट्रेन्ड रिलेशन्स हैं इसलिये पाकिस्तान ने हमसे इस बारे में नान कोआपरेशन किया और सूचना नहीं दी।

डा० रामसुभग सिंह : इस सम्बन्ध में कोई इस तरह की बात नहीं सोची जानी चाहिये, क्योंकि भारत की अपेक्षा पाकिस्तान को ही टिड्डियों से ज्यादा खतरा है। अप्रैल में भारत में कोई टिड्डी दल नहीं था, हालांकि पाकिस्तान में मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोधा वगैरह में टिड्डियों का बहुत ज्यादा जमाव हो गया था और इसलिये अपने देश की अपेक्षा उन को ज्यादा खतरा था।

श्री बड़े : पाकिस्तान से जो टिड्डी दल आया था . . . . .

अध्यक्ष महोदय: वह टिड्डी दल वापस चला गया है। आर्डर, आर्डर। पेपर्ज टु बि लेड ऑन दि टेबल। श्री भगत।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि . . . . .

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य उसी बात को बार बार कह रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने बता दिया है कि वह टिड्डी दल वापस चला गया है।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि उस टिड्डी दल के आने से कोई नुक्सान हुआ या नहीं। वह टिड्डी दल अमृतसर जिले में आया और आकाश में वैसे ही वापस चला गया, ऐसा नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

है। वह वहां पर फसलों पर बैठा और उन को क्षति पहुंचा कर वापिस गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कितनी क्षति हुई।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इतना इम्पार्टेन्ट नहीं है। मैं ने कालिंग-अंटेन्शन नोटिस का मौका इसलिये दिया है कि इस में यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने इन्टरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक हम को इत्तिला नहीं दी, वर्ना टिड्डी दल के आने में गवर्नमेंट का क्या हाथ है ?

श्री बागड़ी (हिसार) : स्पीकर साहब, क्या हम ने पाकिस्तान को टिड्डियों के बारे में इत्तिला दी है या नहीं ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

समुद्र सीमा शुल्क एक्ट, १८७८ और केन्द्रीय उत्पादन, शल्क तथा नमक अधिनियम, १५५४ के अन्तर्गत अधिसचनाएं

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बा० रा० भगत):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा २८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५७७।
(ख) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५७८।
(ग) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५८०।
(घ) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५८१।
(ङ) दिनांक १२ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६४३।
(च) दिनांक १२ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६४४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० १८५/६२।]

(२) समुद्र सीमाशुल्क एक्ट, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५८६।
(ख) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५८७।
(ग) दिनांक ५ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६२६।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१५९/६२]

समितियों के लिये निर्वाचन

दिल्ली विश्व विद्यालय का कोर्ट

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि २ के खंड १ (१६) के अनुसरण

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, दिल्ली विश्व-विद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय का कोर्ट

†**डा० का० ला० श्रीमाली:** मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि ८ के खंड १ (१८) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये, अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विश्वभारती की संसद् (कोर्ट)

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विश्वभारती विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों की संविधि १० के खंड (५) के साथ पठित, विश्वभारती एक्ट, १९५१ की धारा १९ की उप-धारा (१) (१२) के अनुसरण में लोक-सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जसे अध्यक्ष निदेश दें, विश्वभारतीय की संसद् (कोर्ट) के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें—जारी

प्रतिरक्षा मंत्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय:** हम प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान को आरम्भ करते हैं । प्रतिरक्षा मंत्री अपना वक्तव्य जारी रखें ।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** सदन को प्रस्तुत की गई मांगें ३७६ करोड़ रुपये हैं जो कि पिछले वर्ष से ६५ करोड़ रुपये अधिक हैं । मुझे सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि जो कुछ यहां कहा जाता है, वह न केवल सदस्यों के लिए है, बल्कि सारे देश के लिए और विदेशों के लिए । अत: इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है जब कि ६५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । राष्ट्रीय आय में से प्रतिरक्षा व्यय का अनुपात पिछले वर्ष के २८ प्रतिशत से घट कर इस वर्ष २४·५ प्रतिशत रह गया है, जो कि दूसरे देशों के व्यय के अनुपात से बहुत कम है, पाकिस्तान से ही नहीं, बल्कि और भी कई देशों से । सैनिक व्यय का पूंजी व्यय को मिलाकर कुल सरकार के व्यय का अनुपात पिछले वर्ष १५.४ था और इस वर्ष १४.५ है । इसलिए उनको जो यह कहते हैं कि सैनिक व्यय बढ़ रहा है

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रीय राजस्व से मिल सकता है, हम उससे अधिक नहीं खर्च कर रहे हैं। बजट में २० प्रतिशत वृद्धि हुई है। १९६२–६३ के बजट में १९५९ से लगभग ४५ प्रतिशत वृद्धि है।

हमारी नौसेना की उपेक्षा की गई है, ऐसा आरोप लगाया गया है। निस्संदेह यह हमारी प्रतिरक्षा सेवाओं का छोटा अंग है। यह अधिकांशतः ऐतिहासिक कारणों और प्राथमिकताओं पर निर्णयों के कारण है।

१९६१–६२ में २५.७८ करोड़ रुपये थे और इस बार २४.४२ करोड़ रुपये हैं। यह कमी इसलिए कि नौसैनिक गोदी के काम का एक भाग समाप्त हो चुका है। यह इसलिए भी है कि मैंने वित्त मंत्री जी को बता दिया कि यह पूरे वर्ष के व्यय के लिए नहीं है, और हम फिर अनुपूरक मांगें इस सदन के सामने रखेंगे। नौसेना की ओर कम ध्यान के लिए सदन को चिन्ता नहीं करनी चाहिए। विमान वाहक पोत के साथ जो नाशक पोत होते हैं उनका निर्माण मझगाव नावांगण में किया जायेगा

वर्तमान परिस्थितियों में अपने समुद्रीय द्वीपों की अधिक प्रतिरक्षा की आवश्यकता से उत्पन्न होने वाले नौसेना के सम्बन्ध में और कार्यक्रम भी हैं। गोआ के भारत के साथ मिलने से भी छोटी नौसेना सम्बन्धित समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि हमारे समुद्रतट एक और रास्ता है। उसकी भी देखभाल की जा रही है।

सैनिकों के वेतन और सेवा के सम्बन्ध में अवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा गया है।

कल एक विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कहा कि जवान को ५० नये पैसे वृद्धि मिलती है। आंकड़ों के बारे में 'झूठ, . . . झूठ और आंकड़े' इत्यादि कहा गया। यह बिल्कुल सत्य है अर्थात् यदि आप यह दृष्टिकोण अपनाएं कि जवान को वेतन क्रम से ही मिलता है और उन्हें एक वेतन क्रम से दूसरा वेतन क्रम मिलता है। सितम्बर, १९६० से जारी किए गए विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत १ जुलाई, १९५९ से सशस्त्र सेनाओं के जवानों तथा अफसरों दोनों के ही वेतन और भत्ते में वृद्धि की गई है। कई समय के लिए उन्हें इकट्ठे रुपये मिले हैं। इसका मतलब यह है कि जवान के परिवार को असैनिक परिवार की भांति समझा जाता है। पहले उसके 'राशन' के लिए वेतन खुराक में गिने जाते थे। हम यथा सम्भव उनके लिए अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं। इस वृद्धि के कारण चालू बजट में ११ करोड़ रुपये रखे गये हैं जिनमें से ९ करोड़ रुपये सैनिकों को मिलेंगे और २ करोड़ रुपये अफसरों को। पिछले वर्ष में ये अधिक थे क्योंकि हमने वृद्धि पीछे की तारीख से दी है।

बच्चा सिपाही को पहले ५२ रुपये मिलते थे, अब ६६ रुपये (सशस्त्र दस्तों के जवान को पहले ५७ रुपये मिलते थे, अब ७१ रुपये मिलते हैं। इंजीनियरिंग कोर के जवान को पहले ६७ रुपये मिलते थे, अब ८१ रुपये मिलते हैं। क्लर्कों को पहले ८० रुपया अब ९५ रुपये ; 'आरमामेंट आर्टीफिसर्स' को पहले १०० रु० अब ११५ रु० मिलते हैं। यह औसत दर है। यह सर्वोच्च नहीं है। ये 'राशन' के अतिरिक्त हैं।

जहां तक कनिष्ठ आयुक्त पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, उसी तरह से वृद्धियां होती हैं। चूंकि मैं प्रत्येक मामले के बारे में जो यहां उठाया गया उत्तर नहीं देना चाहता, मैं इन पत्रों को परिचालित कर दूंगा।

पहली जुलाई, १९५९ से अफसरों से नीचे स्तर के प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यक्तियों को नगर प्रतिकर और बुरे जलवायु भत्ता का हकदार भी बना दिया गया है। ये असैनिकों के दो-तिहाई भत्ते के बराबर होता है। अन्तर इसलिए है कि उन्हें वस्तुओं के रूप में और वेतन मिल जाता है।

[श्री कृष्ण मेनन]

इन वृद्धियों के कुछ पहलू ऐसे हैं, जो कि सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि सरकार को सब आश्वासनों को ध्यान में रखना है।

हमारे सैनिक, अफसर और व्यक्ति इतने ऊंचे स्थानों पर काम कर रहे हैं, जहां इस सदन के सदस्य पांच मिनट से अधिक जीवित नहा रह सकते। वहां उन्हें अपने परिवारों को कई देर से अलग रखना पड़ता है। क्योंकि उस जलवायु के अनुकूल रहने वाले सिपाही जल्दी वापिस नहीं बुलाये जा सकते, क्योंकि इससे बिल्कुल हानि होगी। सरकार ऊंचाई पर रहने वाले सैनिकों को ऊंचाई भत्ता देने पर विचार कर रही है। जब निर्णय हो जाएगा तो सदन को बता दूंगा।

चौथे वर्ष में लैफ्टिनैंट कर्नल का वेतन ४४० रु० से ४८० बढ़ा दिया गया है। फौज के पदाधिकारियों को पुलिस के उनके मुकाबले के पदाधिकारियों से कम वेतन मिलता है। वे पहले से अच्छा काम कर रहे हैं। मेजर के वेतन क्रम में अधिकतम को ११०० से १३०० रु० कर दिया है। इसके अतिरिक्त सेना में जो व्यक्ति कमीशंड ऑफिसर बन गया है, उस के लिए उस समय क्रम पर आगे जाना संभव है यदि वह कुछ वर्ष काम करता है और अन्त में लैफ्टिनैंट कर्नल बन जाता है।

लैफ्टिनैंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर को भी काफी वृद्धि दे दी गई है। १७वें वर्ष में लेफ्टिनैंट कर्नल का वेतन, ११५० रु० से १३५० रु०, कर्नल का १५५० रु० से १७३० रु० और ब्रिगेडियर का १८०० रु० से १९५० रु० तक कर दिया है। हम यथार्थ में २,००० रु० कर देते, फिर वित्त मंत्री को और कराधान से रुपये इकट्ठे करने पड़ते।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न पूछा-था--सेना आफिसर को जवान से क्यों अधिक मिलता है। दुनिया में कोई सेना ऐसी नहीं है जहां अफसर को अधिक वेतन न मिलता हो। यह भी पूछा जा सकता है कि संसद् सदस्यों को और लोगों से अधिक क्यों मिलता है ?

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : हमें तो जो अधिक अन्तर है उस पर आपत्ति है।

†**श्री कृष्ण मेनन** : वे भिन्न काम करते हैं। बिल्कुल समानता प्राप्त करके लोकतन्त्र नहीं चल सकता। इसमें कामों का अन्तर, शिक्षा का अन्तर, मांग और संभरण के प्रश्न आ जाते हैं।

अफसरों और सैनिकों के लिए आवास के प्रबन्ध के मामले में कोई ढिलाई नहीं की गई है। १९५६-५७ अफसरों, आदमियों और गोदामों के लिए मकान बनाने पर १०.५६ करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। १९६१-६२ में १८.३३ करोड़ रुपये हो गये और इस वर्ष २३.३१ करोड़ रुपये की व्यवस्था है। अफसर और कनिष्ठ आयुक्त अफसर, यदि उनका विवाह हो जाए तो उनको रहने के लिए स्थान मिल जाता है ; परन्तु जवानों के मामले में ऐसा नहीं है। परन्तु वे भी आबादी के भाग हैं। कई लोगों के पास रहने के लिए स्थान नहीं है।

मुझे अफसोस है कि कल ऐसा कहा गया कि एक अलग से श्रेणी बनाई जाए जोकि सैनिक श्रेणी हो और जिन्हें कुछ विशेषाधकार हों और उन्हें प्रत्येक काम के लिए बुलाना चाहिए।

इस देश में नागरिकों की प्रतिरक्षा बल है। सिपाही वर्दी पहने हुए नागरिक है वे चाहे डाक्टर, पोतचालक या वकील हो या और कोई हों।

आवास परियोजनाओं के बारे में कहा गया था कि ये छोटी परियोजनाएं हैं। ज्याली परियोजना को लीजिए। फीरोजपुर में क्वार्टर बनाए गए हैं, क्योंकि वहां रहने के लिए उचित स्थान नहीं था और यह सीमा पर है। इससे वहां के लोगों का नैतिक उत्थान होगा और यह स्पष्ट होगा कि हम

---

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान की सीमा पर मकान बना सकते हैं। १८ महीनों में उन्होंने २,२५५ मकान बनाए। पहली अवस्था में कुल लागत २.५ करोड़ रुपये है। इस कालोनी में ३८ मील मार्ग अपवटन ; ५३ मील जल का संभरण और १८ मील सड़क है। पहली बार प्रति रक्षा स्थापना ने इतनी बड़ी कालोनी बनाई। यहां समस्त सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं जो वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत संभव थीं। सशस्त्र सेना में जाति इत्यादि पर नाम रखने की काफी आलोचना की गई है। सशस्त्र सेनाओं के प्रवेश के सम्बन्ध में धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। स्त्रियों को भेषजिक सेवाओं को छोड़ सेना में नहीं लिया जाता। इसके अतिरिक्त संविधान के अन्तर्गत जो बुनियादी अधिकार हैं उन्हें माना जाता है। पूर्णतया वितरण में समानता है। पंजाब जैसे प्रान्त में ऐतिहासिक कारणों से भर्ती में अनुपात नहीं रखा जाता। उदाहरणतया कवचयुक्त दस्ते हैं, तोपखाने की रैजमेंट इंजीनियरों के दस्ते हैं, सेना सेवाओं के दस्ते इत्यादि हैं। ये सम्भव है कि सेनासेवा दस्ते में एक व्यक्ति या उसके सम्बन्धी यह सोचें कि सेनासेवा दस्ता तोपखाने से एक श्रेणी नीचे है। सेना सेवा दस्ता भी होना चाहिये। व्यक्ति या तो इसे स्वयं चुनता है या इसके उचित होने के कारण इसमें भेजा जाता है।

कहा गया है कि सेना में सिख, जाट, डोगरा, इत्यदि जैसे कई वर्ग मौजद हैं। भारतीय सेना में डोगरा या जाटों को कोई वरीयता नहीं दी जाती। यदि उनको किन्हीं 'कम्पनियों (गणों) 'यूनिटों', या 'रेजिमेन्टों में उनकी भर्ती भी की जाती है तो उनके एक निश्चित अनुपात में ही। वैसे मराठों की 'मराठा लाइट इन्फैन्ट्री' या मरहटों या सिख या जाटों की यूनिटें भी हैं। पर उनके बारे में यह याद रखना चाहिये कि वे ऐतिहासिक अवशेष हैं और सेना सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये व्यावहारिक तौर पर उनकी उपयुक्तता देखी जाती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उनमें दूसरों को छोड़ कर सिखों या जाटों को ही अधिक संख्या मे लिया जाता है। इस पूरे प्रश्न को हमें समूची सेना की पृष्ठ भूमि में रखना चाहिये। शिक्षा के बारे में भी यदि इसी तरह का तर्क दिया जाये तो कहा जा सकता है कि सभी स्कूलों में शिक्षा सुलभ होने पर भी कुछ बच्चे कुछ खास स्कूलों में ही क्यों जाते हैं? उनके कई बड़े वज़नी कारण हो सकते हैं।

हमने पैदल रेजिमेंट के नम्बर बदलने के प्रश्न पर भी विचार किया था। और विकल्प क्या है? क्या हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखे बिना उसे ३६६ वीं या ३६४ वीं रेजिमेंट कहने लगें? इंग्लैंड में भी स्कॉटिश हाइलैण्डर्स, लन्कास्टर रेजिमेंट, रोशेस्टर रेजिमेंट जैसी रेजिमेंटें मौजूद हैं। रेजिमेंटों को कभी-कभी स्थान, या संस्थापकों के नाम पर नामकृत कर दिया जाता है। जैसे कि हमने अपने देश में 'होडगोन्स होर्सेज़' का नाम दिया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के दिमाग में यदि सचमुच ऐसी कोई शंका है तो न रहे। सेना में किसी भी किस्म की जातियां, या वर्ग, इत्यादि बनाने का कोई प्रयास नहीं होता। ऐसा आरोप निराधार है। सारे देश में सेना ही एक ऐसी संस्था है जहां संस्था के गठन और उसकी परिस्थितियों के कारण सचमुच ही राष्ट्रीय एकता पैदा हो रही है। वहां ब्राह्मणों और अब्राह्मणों के लिये अलग अलग रसोइयां नहीं हैं। हां, शाकाहारी सैनिकों के लिये शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जाती है।

अब सेना में अफसरों की संख्या का प्रश्न लीजिये। मैं भारतीय सेना में अफसरों की ठीक-ठीक संख्या बताना उचित नहीं समझता। लेकिन भारतीय सेना एक सामान्य शब्द है, जिसके अन्तर्गत सभी सैनिक सेवायें आती हैं। सेना में अफसरों की कमी है। इसका एक कारण यह भी है कि सेना की सेवा अब उतनी आकर्षक नहीं रही है जितनी कि ब्रिटिश शासन-काल में थी। उन दिनों सेना एक ऐसी शक्ति का अंग थी जो भारत को गुलाम बनाये थी, इसलिये उसके साथ उस शक्ति का बल और आधिपत्य की भावना भी थी। अब वह एक लोकतांत्रिक देश की सेना है। इसका प्रभाव सभी चीजों पर पड़ता है। अन्य सेवाओं की उपलब्धियों में वृद्धि हो चुकी है। ब्रिटिश काल में भारतीय अफसरों की उपलब्धियां अंग्रेज अफसरों के मुकाबले कम होती थीं। भारतीय सेना के अफसरों के प्रशिक्षण के

[श्री कृष्ण मेनन]

लिये भर्ती करने में कठिनाई पड़ती है। लेकिन हमने पिछले चार-पांच वर्षों में इसके लिये काफी प्रयास किया है। देहरादून की भारतीय सैनिक अकादमी का आकार दोगुना हो गया है। पहले जो क्लीर्मेंट्स टाइन युद्धबन्दियों के लिये प्रयुक्त होता था अब उसे भी अकादमी के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है। प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसी प्रकार खड़गवासला में १,५०० कैडेटों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। वहां आज एक भी स्थान रिक्त नहीं है।

उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य योग्यताओं वाले नवयुवक मिलने में कठिनाई होती है। इस दिशा में भी कई प्रयास किये गये हैं। राष्ट्रीय छात्रसेना इसमें यथेष्ट योग दे रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिरक्षा मन्त्रालय में यथा शक्य योग दे रहा है।

सेना का वर्तमान आकार देश की वर्तमान आवश्यकताओं के लिये अपर्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि हमारी स्थिति कमजोर है। अर्थ यह है कि सेना के प्रत्येक कर्मचारी पर काम का जितना बोझ होना चाहिये उससे कहीं अधिक है। और, भारतीय सेना में, ब्रिटिश सेना के मुकाबले, अफसरों का अनुपात कम है। इसे भारतीय सेना के जूनियर कमीशन्ड अफसरों के संदर्भ में देखना चाहिये। वह भारतीय सेना के सर्वोत्तम अफसर हैं। भारतीय सेना आज जो कुछ भी है, वह अपने सूबेदारों और जमादारों की बदौलत है। यही सही है कि वे अपने बड़े अफसरों के आदेशों पर ही चलते हैं, पर बड़े-बड़े अफसर उनसे सीखते भी हैं। और जूनियर कमीशन्ड अफसरों तथा नॉन-कमीशन्ड अफसरों की पांत में से ही हमें सेना के बड़े-बड़े अफ़सर मिलते हैं। और जब हम अफसरों की कमी की बात कहते हैं तो असल में जूनियर कमीशन्ड अफसरों और नॉन-कमीशन्ड अफसरों की ही कमी की बात है। हमें उनकी भर्ती में वृद्धि करनी चाहिये उसके लिये केवल वित्त ही नहीं, ऐसे अफसर भी चाहिये जो दूसरे अफसरों को प्रशिक्षण दे सकें। इसलिये उसमें कुछ समय तो लगेगा ही।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देश स्वतन्त्र होने के तुरन्त बाद, और आज भी, हमारा दृष्टिकोण और हमारी इच्छा यही रही है कि हम अपनी सेनाओं का आकार घटायें। परन्तु दुर्भाग्यवश संसार की परिस्थित और हमारे कुछ पड़ौसी देशों की अविवेकशीलता के कारण हमें प्रतिरक्षा का भार कम करने की बजाय बढ़ाना ही पड़ रहा है। हमें सेना में से उन कुछ लोगों की छंटनी करनी पड़ेगी जो युद्ध-काल में सेना में आ गये थे और उन में से कुछ की सेवायें विनियमित भी बनानी पड़ेंगी।

विशेष स्कूलों का भी प्रश्न उठाया गया था और यह प्रश्न भी कि क्या उनको विशेष प्रकार के प्रशिक्षणों के लिये कुछ अन्य स्थानों में भेजना सम्भव है। मैं आपको उतनी ही सूचना दे सकूंगा, जितनी कि सेना के सम्बन्ध में दी जा सकती है। जंगलों की और छापेमार युद्ध के प्रशिक्षण के लिये विशेष स्थान नियत हैं। बर्फीले प्रदेशों में युद्ध के लिये विशेष स्कूल स्थापित किये गये हैं। साथ ही काम की रीति, थकान कम से कम करने और आधुनिक मनोवैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग के तरीकों का अध्ययन करने के लिये भी विशेष स्कूल स्थापित किये गये हैं।

जैसा कि मैं बता चुका हूं कि भारतीय सैनिक अकादमी का आकार दोगुना बढ़ा दिया गया है। लेकिन विमान बल में अफसरों की बड़ी कमी है और इसीलिये हैदराबाद के नये प्रशिक्षण कालेज में अधिक सुविधायें जुटाई जा रही हैं।

सेना के नये कर्तव्यों के सम्बन्ध में सैनिकों को पर्वतीय प्रदेशों को युद्ध के लिये प्रशिक्षित करने के बारे में प्रश्न पूछे गये थे। पर्वतीय युद्ध के प्रशिक्षण के स्कूल से हिमालय पर्वतारोहण संस्था अलग है। यह संस्था शैक्षणिक और खेल-कूद के प्रशिक्षण से सम्बन्धित है, उसे पर्वतीय युद्ध के स्कूल में बदलना अनुचित होगा। उसे सेना का अंग नहीं बनाना चाहिये। वैसे यह सही है कि संस्था के सभापति और प्रधान मन्त्री के परामर्श और पश्चिमी बंगाल सरकार के सहयोग से प्रतिरक्षा मन्त्री ही उस संस्था से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर देता है।

वैसे यह विषय श्री हुमायून् कबिर के अधीन है, लेकिन सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतीय एवरेस्ट अभियान २१ मई, को २६,००० फीट की ऊंचाई पर साउथ कोल तक पहुंच चुका था और उसने २८ मई को ४ बजे शाम को सातवां शिविर स्थापित कर लिया है। उसका यह सातवां शिविर २७,९०० फीट की ऊंचाई पर है, जो अभी तक भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में सबसे अधिक ऊंचाई है। २९ मई को उसकी चोटी तक पहुंचने का प्रयास करना था, लेकिन वह दल मौसिम की खराबी की वजह से सातवें शिविर से आगे नहीं बढ़ सका। यदि मौसम साफ़ होता तो, वे कल और आगे बढ़ सकते थे।

दल के अभियान के बारे में अभी पूरा समाचार आने को है, लेकिन माननीय सदस्य दल के सदस्यों के असाधारण साहस और लगन की सराहना तो करेंगे। पर्वतारोही दल को साउथ कोल पहुंचने से पहले लहोत्से फेस की बिल्कुल सीधी खड़ी चढ़ाई तय करनी पड़ी थी। इस वर्ष मौसिम ज्यादा खराब रहा है। २३,००० फीट की ऊंचाई पर स्थित चौथे शिविर से साउथ कोल तक पहुंचने में दल को सामान्यतया तीन सप्ताह लगने चाहियें थे, लेकिन उसे छः सप्ताह लग गये थे। दल को खराब मौसिम के कारण सातवें शिविर में ही दो रातें गुजारनी पड़ी थीं।

फल जो भी निकले, मुझे विश्वास है कि दल के प्रयासों को कुछ सफलता अवश्य मिलेगी। पर्वतारोहण के इतिहास में उनके साहस और अथक प्रयासों की एक कथा बन जायेगी। इस दल के आधे सदस्य प्रतिरक्षा सेना के हैं। प्रतिरक्षा विभाग ने ही उनके लिये सभी उपकरण जुटाये हैं, जो अधिकांशतया युद्ध सामग्री कारखानों ने ही तैयार किये थे। इस दल का सबसे तरुण सदस्य एक उन्नीस वर्षीय विद्यार्थी है।

हिमालय पर पर्वतारोहण के लिये इस देश ने अन्य सभी देशों के मुकाबले अधिक दल भेजे हैं। ऐसे अभियानों के अधिकांश सदस्य हिमालय पर्वतारोहण संस्था के भूतपूर्व विद्यार्थी रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे विद्यार्थि संस्थायें बलों के थे। राष्ट्रीय छात्र-सेना दल के सम्बन्ध में भी प्रश्न पूछे गये थे। कुछ लोग चाहते हैं कि देश में देश के सभी नवयुवकों के लिये सैनिक सेवा में भर्ती अनिवार्य कर दी जाये लेकिन सवाल यह है कि हमारे देश में सेना में भर्ती होने योग्य आयु के लोगों की संख्या लगभग पन्द्रह करोड़ है। पन्द्रह करोड़ लोगों की सेना खड़ी करने लायक संसाधन हमारे देश में नहीं हैं। और, दूसरी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अनिवार्य भर्ती की नाति भी गलत होगी, क्योंकि देश में अभी वैसी स्थिति नहीं है। वह दृष्टकोण ठीक नहीं है।

मेरी अपनी राय है कि छात्र-सेना का आकार और बड़ा होना चाहिये था। उद्देश्य यह होना चाहिये कि कालेज में दाखिल होने वाला प्रत्येक छात्र और छात्रा छात्र-सेना में शामिल हो। लेकिन संसद् के अधिनियम के अन्तर्गत छात्र-सेना का व्यय आंशिक रूप से राज्यों और आंशिक रूप से केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा। केन्द्र की ओर से वित्त मन्त्रालय ने तो छात्र सेना के लिये राशियों की व्यवस्था करने में काफी उदारता दिखाई है, लेकिन कुछ राज्य,उनके नाम बताना उचित नहीं होगा, उसके लिये धन नहीं जुटा पाये हैं। राज्य जितना ही बड़ा होता है, उसका अंशदान अनुपाततः उतना ही कम बैठता है।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : चूंकि सेना केन्द्र के अधीन है, इसलिये छात्र सेना को भी केन्द्र के ही अधीन क्यों न रखा जाये ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : छात्र सेना वास्तव मे प्रतिरक्षा मन्त्रालय का संगठन नहीं है। उसका उद्देश्य नवयुवकों का चरित्र-निर्माण करना है। वह नागरिकों का संगठन है। उसका विकास की योजना का एक अभिन्न भाग है राज्यों का योगदान। अभी इस समय राष्ट्रीय छात्र सेना के सीनियर डिवीजन में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

१,२७,६६७ कैडेट और राइफिल्स डिवीजन में २,८०,००० कैडेट हैं, जो कुल मिला कर ४,०७,००० बैठते हैं। इसके अतिरिक्त १,७०,००० स्कूली बालक जूनियर डिवीजन में और १२,१२,८४० सहायक छात्र सेना में हैं।

कुछ लोग लोक सहायक सेना की तरह इसकी उपयोगिता के बारे में भी शंका प्रकट करते हैं। इसका अनुमान लगाना कठिन है। राष्ट्रीय छात्र सेना में बालिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। संविधान की दृष्टि से तो पुरुष और स्त्रियों के अधिकार समान हैं, लेकिन दायित्व निभाने के बारे में बड़ा अन्तर है। इसकी एक वजह यह भी है कि हम प्रशिक्षक जुटाने में असमर्थ रहे हैं। राष्ट्रीय छात्र सेना के राइफिल्स डिवीजन में मोटर चालन इत्यादि का प्रशिक्षण भी आवश्यक है, लेकिन हमारी सामाजिक दशा ऐसी नहीं है कि बालिकाओं को मोटर चलाने की प्रशिक्षा दी जाये।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी उचित प्रकार की शिक्षा दे इसके लिये प्रयास किये गये हैं। शिक्षा वैसे प्रतिरक्षा मन्त्रालय का विषय नहीं, शिक्षा मन्त्री का विषय है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी को उपयुक्त योग्यता के कैडेट मिलने चाहियें। लेकिन कैडेटों की भर्ती के लिये हमें पिछले एक-दो वर्ष के दौरान अकादमी का मानदण्ड गिराना पड़ा है। इसका प्रभाव सशस्त्र बलों पर पड़ सकता है। अकादमी की शिक्षा उनका स्तर उंचा कर सकती है। इसलिये अकादमी की शिक्षा का मानदण्ड कुछ उंचा कर दिया गया है, उसी का परिणाम है कि इस वर्ष कैडेट पूना विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये उपयुक्त माने गये हैं। अगले वर्ष वे उसी विश्वविद्यालय की ग्रेजुएट की परीक्षा में बैठ सकेंगे। फिर, यदि किसी कारण से इन लोगों को सेना छोड़नी भी पड़े तो उनकी शैक्षणिक योग्यता व्यर्थ नहीं जायेगी।

सही प्रकार की प्रशिक्षा देने के लिये सारे देश में सैनिक स्कूल मौजूद हैं। प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने इस विषय में राज्य सरकारों की मांगें ही पूरी की हैं। इसलिये कि प्राथमिक तौर पर तो वह शैक्षणिक ही है, और उसका भार राज्य पर काफी अधिक है। हालांकि प्रतिरक्षा मन्त्रालय कुछ छात्रवृत्तियां और सुविधायें भी देती हैं। इस समय स्कूलों में १७१० कैडेट हैं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में हैं। अगले कुछ वर्षों में उनकी संख्या ५,००० तक पहुंच जायेगी। इनमें से कुछ स्कूलों को प्राविधिक प्रशिक्षण के स्कूल बनाने का विचार है, जिससे कि कैडेट सैनिक इंजीनियरी कालेजों में जा सकें। अभी इस समय हमारी सेना, विशेषकर नौसेना को इंजीनियर नहीं मिल पाते। पिछले वर्ष सरकार ने उनमें से कुछ को कालेजों में भर्ती होने की अनुमति दे दी थी। उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इंजीनियरों के पर्याप्त संख्या जुटाये बिना हम अपनी सेना को आधुनिकतम नहीं बना सकते।

मैं वज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय का आभारी हूं। उसने इसके लिये कुछ धन की व्यवस्था की है। और, योजना आयोग के इंजीनियरिंग से सम्बन्धित सदस्य के उत्साह के कारण हम सशस्त्र बलों के उत्साही लोगों के लिये इंजीनियरी के पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों की शाम की कक्षाओं में चालू किये गये हैं। इससे औद्योगिक बल के क्षेत्र में वर्ग-विभेद भी दूर होगा। इन कक्षाओं में वे ही लोग जा सकेंगे जो किसी फैक्टरी में काम करते हों। इस वर्ष ऐसे लगभग ३,००० छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डिग्री तथा अन्य कक्षाओं के लिये इस वर्ष १,५०० छात्र और लिये जायेंगे। यह कार्यक्रम अन्य मंत्रालयों के सहयोग से चलाया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य ने गोआ के सबन्ध में हमारी कार्यवाही के बारे कुछ बढ़ी अनुदार बातें कहीं। मैं यह नहीं कहता कि सेना में शरारती लोग हैं ही नहीं, जो कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करता। हर जगह, लोक-सभा में भी, ऐसे लोग हैं।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : यह कथन संसद् के योग्य नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें इस पर इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिये । मेरा ख्याल है कि माननीय मंत्री अध्यक्ष के प्रति किये गये माननीय सदस्यों के दुर्व्यवहार का उल्लेख कर रहे हैं । मैं कभी कभी माननीय सदस्यों से बैठने के लिये कहता हूं, पर वे सुनते ही नहीं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : व्यक्तियों के हर समूह में हर प्रकार के लोग होते हैं——भले भी और बुरे भी । सशस्त्र बल पर भी यही बात लागू होती है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय सदस्य का कहना है कि प्रतिरक्षा मंत्री ने लोक सभा में किये जाने वाले दुर्व्यवहार का उल्लेख किया है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : वह तो कहीं भी हो सकता है . . .

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी**: (केन्द्रपाड़ा) : माननीय मंत्री को यह शब्द या तो बदलने चाहिये या वापस लेने चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह चीजों को तोड़ना-मरोड़ना नहीं चाहिये । मैं तो माननीय मंत्री से पूछ रहा था कि क्या वह संसद्-सदस्य के लोक-सभा में किये गये आचरण का उल्लेख कर रहे थे ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी, नहीं । मैं केवल यह कह रहा था कि किसी भी व्यक्ति-समूह में नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग हो सकते हैं । आपने अभी दो ही दिन पहले एक माननीय सदस्य से सभा-भवन त्याग करने का आदेश दिया था ।

†**श्री हेम बरुआ**: एक औचित्य प्रश्न हैं । माननीय मंत्री ने कहा था कि लोक-सभा में भी कुछ ऐसे लोग हो सकटे हैं जो दुर्व्यवहार करें । अध्यक्ष, और मंत्री लोग भी लोक-सभा के सदस्य होते हैं । । संसद्-सदस्य चुने जाने पर, प्रत्येक सदस्य संसद् की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन जाता है । इसलिये माननीय मंत्री का यह कथन स्वयं उन पर भी लागू हो सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने जब मुझे भी उसमें शामिल कर लिया है, तब माननीय मंत्री को भी उसमें शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

इसमें कोई गम्भीर बात नहीं । हम आगे चलते हैं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यदि मैंने सभा के नियमों का उल्लंघन किया है तो मुझे इसका खेद है । मेरा अभिप्राय तो यही है कि यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सभा के नियमों का पालन नहीं करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब माननीय मंत्री महोदय अपने द्वारा प्रयुक्त शब्दों के लिये खेद प्रकट कर रहे हैं तो यह उन शब्दों को वापस लेने के बराबर ही है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जहां तक गोआ में सेना के बर्ताव की बात है । तो मैं कहूंगा कि वह बहुत अच्छा था और अनुकरणीय है । बुरे व्यवहार, बुरे आचरण, अथवा अपराध की जो इक्का दुक्का घटना हुई है उनके सम्बन्ध में कठोरता का व्यवहार किया गया है । ऐसे सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया गया है और जहां कोर्ट मार्शल सम्भव नहीं था वहां उनके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही की गई है । इसलिये यह कहना कि सेना का स्तर वहां अच्छा नहीं था अथवा उसने वहां व्यवहार अच्छा नहीं किया गलत है । सेना का व्यवहार हर जगह बड़ा अच्छा रहा है । गोआ में सेना का स्वागत हर जगह किया गया । यह कहना गलत है कि उनको वहां अजनबी की तरह से देखा गया था । अथवा उनको आक्रांता के रूप में लिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

जहां तक लेखा परीक्षा की बात है मैं उसके उत्तरदायित्व को जानता हूं। संसद् में इस लेखा-परीक्षा का क्या महत्व है उसको भी जानता हूं। लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा कि संसद् में लेखा परीक्षा के वित्तीय पहलू पर ही विचार किया जाना चाहिये। यह बड़े खेद की बात है कि लेखा-परीक्षकों ने अपने आप को कार्य के वित्तीय पहलू तक ही सीमित नहीं रखा है। प्रशासन के सम्बन्ध में कोई बात कहना उनका काम नहीं है। न ही उन्हें निजी व्यक्तियों अथवा जनता के लोगों से स्वतंत्र रूप से जांच करानी चाहिये।

†**श्री प्र० क० देब** (कालाहांडी) : मेरा एक औचित्य प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री महोदय को बार बार इस प्रकार नहीं आना जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप से सहमत हूं।

†**संसद् कार्य, मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा)**: अपना काम निपटाने के लिये कभी कभी मुझे ऐसा करना पड़ता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो कोई उत्तर नहीं है कि आप को काम निपटाने के लिये ऐसा करना पड़ता है। इसलिये आप नियमो का उल्लंघन करें। सभा में आचरण की जो व्यवस्था है उसका पालन सब को एक ही तरह से करना चाहिये।

एक प्रश्न यह उठाया है कि जब लोक निर्माण विभाग ५०,००० रुपये में एक मील सड़क बना सकते हैं तो सैनिक इंजीनियर ४ लाख रुपये में एक मील सड़क क्योंकर बनाते हैं। इसका उत्तर सीधा सादा है। यदि लोक निर्माण विभाग वाले सड़क बना सकते तो अवश्य ही बनाते। इन सैनिक इंजीनियरों ने ऐसे स्थानों पर सड़कें बनाई हैं जहां कि लोक निर्माण विभाग वाले पहुंच भी नहीं सकते। नेफा में ४ लाख की लागत से एक मील सड़क बनाई गई है जो कोई आसान बात नहीं है। वहां काम करना बड़ा कठिन है। वह पहाड़ी इलाका है। अगर तुलना की दृष्टि से ही देखा जाये तो मैं कहूंगा कि धार ऊधमपुर में लोक निर्माण विभाग ने ५ लाख रुपये की लागत से एक मील सड़क बनाई है जो नेफा की अपेक्षा कम पहाड़ी इलाका है। इस दृष्टि से आप देखें तो इन सैनिक इंजीनियरों का काम बहुत ही सराहनीय है।

स्टौर कैरियर के अर्जन के बारे में भी एक प्रश्न उठाया गया है। जिसका सम्बन्ध एक पुराने कारगो की खरीद से है। यह कारगो सन् १९५२ में खरीदा गया था और तभी से हर वर्ष इसके बारे में चर्चा उठाई जाती है। इसको बदलने में कुछ समय लग गया क्योंकि हिन्दुस्तान शिपयार्ड इसे जल्दी बदलने में असमर्थ था क्योंकि इसके सामने कुछ टेक्नीकल कठिनाइयां थीं। नौसेना के डाकयार्ड की भी कुछ कठिनाइयां थीं क्योंकि उनके पास उन दिनों इतनी क्षमता नहीं थी। फिर यह काम मेज़ागन डॉक लि० ने किया और १९५९ में जाकर यह काम समाप्त हुआ। इसी प्रकार के नये पोत पर १८८ लाख रुपये खर्च होते जब कि इस पर कुल ८२ लाख रुपये ही खर्च हुए।

ध्वनिविस्तारक यंत्रों का कई प्रदर्शिनियों में दिखावा किया गया है और वे सभी को पसन्द आये हैं। इनके बनाने के लिये काफ़ी विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है। इन पर ७५,००० रुपये की लागत आती है। मेरा विचार है कि इनका उत्पादन भी कोई महंगा नहीं पड़ा है क्योंकि जब उनका बहुसंख्या में उत्पादन होगा तो उपकरण के निर्माण पर हुआ व्यय पूरा हो जायेगा। इस प्रकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन ध्वनिविस्तारकों को क्रय कर सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

काफ़ी उत्पादन करने वाली मशीनों की आवश्यकता हमारे केन्टीनों में पड़ती है। यह आधुनिकतम उपकरण सेना के जवानों के कल्याण के लिये ही है। ये मशीनें आजकल प्रत्येक रेलवे स्टेशनों पर मिलती हैं। इनका आयात भी इटली से काफी महंगे दामों पर किया गया था। आजकल २,५०० रुपये में सभी को उपलब्ध हो जाती हैं। अब ये यहां के आयुध कारखानों से उपलब्ध हो सकती हैं। अनुभव से पता चला है कि इनका उत्पादन कोई खास महंगा नहीं है। इस में भी काफी विदेशी मुद्रा बची है। सामान को बेचने में जो दूरदर्शिता की नीति अपनाई गई है, उसके फलस्वरूप लाखों रुपये की बचत हुई है।

जहां तक अतिरिक्त माल को बेचने की बात है वह काफी मात्रा में हमारे यहां जमा हो गया है। सेना के टेक्नीकल व्यक्ति उस माल को जल्दी से जल्दी निकालना चाहते हैं क्योंकि वह आधुनिकतम नहीं है। इन मालों को बेचने के समय यह मंत्रालय कड़ी निगरानी रखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो माल पिछले एक दो साल किसी काम का नहीं होता वह इस वर्ष काम का भी हो सकता है और हुआ भी ऐसा ही। पिछले वर्ष इंडियन एयर फोर्स ने एवरो बनाते समय इस फालतू माल में से बहुत कुछ माल का प्रयोग किया और इसके प्रयोग करने से लगभग १$^{1}/_{2}$ करोड़ रुपये की बचत हुई। और इस तरह विदेशी मुद्रा भी काफी बच गई।

यह ठीक है कि आयुध कारखानों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। जिसकी कीमत भी बहुत है। पिछले ४ वर्षों में उत्पादन मूल्य भी काफी बढ़ गया है। यह १४ करोड़ से बढ़ कर ४० करोड़ रुपये हो गया है। इस वर्ष बढ़ कर ५० करोड़ रुपये तक होने की संभावना है। आजकल यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अगर इन कारखानों में कोई काम नहीं होता तो भी हम मज़दूरों को सेवा में बराबर बनाये रखते हैं उनको निकालते नहीं। फिर भी प्रति एकक उत्पादन की लागत घटी है। हिन्दुस्तान एयरक्रेफ्ट, भारत इलेक्ट्रानिक्स और गार्डन रीच वर्कशाप के उत्पादन में काफी सुधार हुआ है।

यह कहा गया है कि गार्डन रीच का उत्पादन घटा है। और वह हानि में चल रहा है। यह कहना गलत है कि वह घाटे में चल रही है। कम लागत पर कहीं अधिक अच्छी गाड़ियां तैयार की गई हैं और देशी पुर्जों का अनुपात बढ़ कर ६२ प्रतिशत हो गया है। सस्ते दामों पर अच्छी गाड़ियां बनाई जा रही हैं। इस प्रकार विदेशी मुद्रा की भी बचत हो रही है।

यह भी कहा गया है कि इन आयुध कारखानों में मज़दूरों की स्थिति ठीक नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां मज़दूरों की दशा बहुत अच्छी है। इन कारखानों में हड़तालों के कारण आज से ५ या ६ साल पहले ८०,००० जन घंटों की हानि हुई थी। पिछले साल केवल १९० दिनों की हानि हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि इतने अच्छे सम्बन्ध देश में किसी दूसरे कारखानों में तो क्या औद्योगिक संस्थानों में भी नहीं हैं। इसका कारण यह है कि इन कर्मचारियों को अच्छा वेतन दिया जाने लगा है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक उपाय अपनाये गये हैं जो कि मज़दूरों की थकान निकल जाती है। इन सभी कारखानों में कल्याणकारी संस्थाएं भी कार्य करती हैं।

ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि किसी मज़दूर संघ विशेष के साथ रियायत की जाती है। प्रतिरक्षा मंत्रालय सदैव ही इस बात का ख्याल रखता है कि मज़दूरों में आपसी सम्बन्ध स्वस्थ हों। इन मज़दूर संघों को मान्यता देने के लिये कुछ नियम होते हैं। कुछ स्थानों पर तो दो दो मज़दूर संघ होते हैं। सभी मज़दूरों के साथ समानता का बर्ताव किया जाता है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिरक्षा विकास विभाग में ९३३ वैज्ञानिक कर्मचारी हैं। इनमें 'फेलो' सम्मिलितनहीं हैं। इनको सेवा में लेने से पहिले कुछ वर्ष सेवा करनी पड़ती है। इनके अलावा भी ५०० से ६०० व्यक्ति और भी हैं जो परीक्षण आदि का कार्य करते हैं। इनमें महिला एवं पुरुष

[अध्यक्ष महोदय]

दोनों ही शामिल हैं। अणु, औषधि, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, विशेष हथियारों, इलेक्ट्रानिक्स, और खाद्यसार के निर्माण के सम्बन्ध में गवेषणा करने के लिये नये संस्थापन खाले गये हैं।

सेना के नौजवानों को जो दूध दिया जा रहा है उसका आयात किया जाता है जिस पर काफी विदेशी मुद्रा व्यय होती है। वैज्ञानिक विभाग तथा आयुध कारखाने मिलकर यह कार्य कर रहे हैं कि कोई ऐसी मशीन बनायें जिस से कि दूध का परीक्षण आदि करके उसी ढंग का दुग्ध तैयार हो सके जसा कि यह आयातित दुग्ध होता है।

यह बात सच है कि हमारी सेना पूर्णतः शक्तिशाली नहीं है एवं उसके पास आधुनिकतम हथियार भी नहीं हैं। हमें इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील रहना होगा। स्वचालित हथियारों का भी उल्लेख किया गया है। मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों का अभिप्राय अपने आप कारतूस भरने वाली (ओटोमेटिक लोडेड) राइफलों से हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनका उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। जहां तक कि नौसेना में पनडुब्बियों की बात है। हमारी नौसेना पनडुब्बी रोक कार्य के लिये सज्जित है। लेकिन इसके प्रशिक्षण के लिये हमें अपने आदमियों को विदेशों में भेजना होगा। जलगत सेना बहुत खर्चीली है। लेकिन हमारा पहिला उद्देश्य अपने आपको आक्रमण से बचाना है। लड़ाई के लिये हमारी पनडुब्बियां तयार हैं। हमने ५ पदाधिकारी तथा १२ जहाज चालकों को प्रशिक्षण के लिये रायेल सेना में भेजा है। यदि पनडुब्बियों का रखना आवश्यक समझा गया तो उन्हें आधुनिकतम ढंग का बनाने एवं सुसज्जित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

जहां तक अणु शस्त्रों के रखने की बात है। यह मामला नीति का है। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ये अणुशस्त्र प्रतिरक्षात्मक शास्त्र नहीं है। यह समझना गलत है कि केवल अणशस्त्र रखने से ही हम सुरक्षित हो जायेंगे। हमारा अपना यह विचार है कि ये अणुशस्त्र बिल्कुल भी हमारी रक्षा नहीं कर सकते। हमारी नीति यह है कि हम कभी भी अणुशस्त्र नहीं रखेंगे। और अभी तक हमारी इस नीति में कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ है। अगर सभी देश अपने यहां अणुशस्त्र रखें भी तो भी हम उनको अपने यहां नहीं रखेंगे। इनके शस्त्रों के साथ तो केवल यही एक बात उठती है कि कौन इन्हें पहले प्राप्त करता है तथा कौन नष्ट भ्रष्ट करना आरम्भ करता है। इस आधार पर बहस करना कि हमें भी अपने यहां अणुशस्त्र रखने चाहियें क्योंकि सभी जगह अणुशस्त्र उपलब्ध है, इससे कोई काम नहीं चलता कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि हमें भी अपने यहां अणुशस्त्र रखने चाहियें और दूसरे देशों को भी अपने यहां रखने चाहियें। यह कोई अच्छा तर्क नहीं है। यह कोई व्यवहारिक सुझाव नहीं है। हमें तो इन शस्त्रों का शांति के लिये प्रयोग करने की बात कहनी है।

जहां तक पदोन्नति की बात है। यह कहना एकदम गलत है कि नियमों तथा वर्तमान प्रक्रिया के विरुद्ध पदोन्नतियां की गई हैं। जहां तक नौसेना के प्रधानाध्यक्ष की बात है उसकी पदोन्नति चयन से की जाती है। और प्रतिरक्षा मंत्री इसके लिये सभी से परामर्श करते हैं मंत्रिमंडल की समिति इस नियुक्ति का समर्थन करती है।

मेरा निवेदन है कि विस्थापित व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों की जिनकी कि पदोन्नति नहीं की गई है, अथवा जिनको नौकरी से अलग कर दिया गया है उनकी यहां चर्चा न की जाये। इससे सेना में अनुशासन रखना बड़ा कठिन हो जायेगा।

इतना मैं कह सकता हूं कि किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं किया गया है। यह हो सकता है कि कुछ मामलों में लोगों की कार्यकाल की अवधि नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन यह अवधि कुछ कार्य विशेष के लिये बढ़ाई जाती है। अंत में मैं यही कहूंगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ

कोई अन्याय नहीं किया गया है। मैं इस सम्बन्ध में काफी सक्रिय हूं। और जब तक यहां हूं कभी भी कोई अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या नियम एक वाइस अडमिरल रखने का है या दो रखने का है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : खास रैंक के पदों का निश्चय तो बल की संख्या को देख कर ही किया जाता है। वित्तीय व्यवस्था का भी ध्यान रखना ही पड़ता है। तीन वर्ष पूर्व तीन एयर वाइस मार्शल थे अब ७ हैं। मेरी कठिनाई यह है कि इस मामले को अधिक स्पष्ट करते करते व्यक्तियों पर बात आ जाती है। समय निकल रहा है और मैं बहुत सी बातों का उल्लेख नहीं कर सकूंगा। परन्तु एक बात को मैं संक्षेप से अवश्य कहना चाहता हूं। यह बात प्रतिरक्षा उत्पादन के सम्बन्ध में है। देश के उत्पादन का कार्य प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता। परन्तु मैं किसी विवाद की दृष्टि से नहीं परन्तु प्रतिरक्षा उत्पादन के आधार के लिये इसे स्वीकार करता हूं।

आपातकालीन व्यवस्था में अथवा सामान्यतः युद्ध काल में, आम आवश्यकतायें दस गुणा बढ़ जाती हैं। यदि हमारे कारखाने २४ घंटे काम करें तो उत्पादन २½ गुणा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति का मुकाबला कैसे किया जाये। एक ढंग तो यह है जो कि युद्ध से पूर्व इंग्लैंड में अपनाया गया, वह था शैडो फक्टरियां लगाने का, जिस में काम तो कुछ नहीं होता परन्तु धन नष्ट होता है। हमारे यहां इसके लिये कठिनाइयां हैं। हमारे साधन भी नहीं कि हम धन नष्ट करें। हमारे पास योग्य व्यक्ति भी नहीं हैं। मशीनों से तो सारा काम नहीं लिया जा सकता।

दूसरा ढंग यह है कि सामान्यतः चल रहे उद्योगों की गति को बढ़ाया जाये। कठिनाई यह है कि सामान्य रूप से उद्योगों द्वारा जो कुछ और जितना कुछ उत्पादन किया जाता है वह हमारी अपनी उपभोक्ता जरूरतों के लिये कठिनता से काफी होता है। कोटि के नियन्त्रण के सम्बन्ध में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यही रास्ता है कि काफी औद्योगिक क्षमता बढ़ाई जाय। मशीनों को भी बढ़ाया जाये और प्रशिक्षित व्यक्ति भी काफी संख्या में निर्माण किये जायें। यह काम भी दस वर्ष पूर्व जितना सरल था उतना आज नहीं है। फिर भी हमें अपेक्षित प्रतिरक्षा उत्पादन क्षमता का विस्तार तो करना ही होगा। इसके बिना आप आपातकालीन स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते। आज तो प्रतिरक्षा कारखानों में फालतू श्रम भी नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे आयुध कारखानों को काम करना होता है, मैं चाहता हूं कि सदन इस कठिनाई को अनुभव करे। सूखा दूध बनाने की मशीनें बना रहे हैं। कोई भी कह सकता है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय ऐसा क्यों कर रहा है। परन्तु हमें याद रखना चाहिये कि हम सूखा दूध विदेशों से मंगवाने के लिये ७५ लाख रुपये वार्षिक विदेशी विनिमय खर्च करते हैं। देश में तैयार होने वाला दूध-चूर्ण ४ से ५ हजार टन के बराबर है, और हमारी आवश्यकता है ३० हजार टन। इसी प्रकार गाड़ियां इत्यादि तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों के बारे में स्थिति है। मेरा कहना यह है कि आपत्तिक खतरे का सामना करने के लिये हमें समर्थ बनना है तो देश में प्रतिरक्षा उत्पादन क्षमता का वैज्ञानिक दिशा में और उत्पादन की दिशा में विस्तार करना ही होगा।

इस सम्बन्ध में मुझे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। उदाहरण के लिये इंग्लैंड में १९३६—४५ के बीच २६० कारखानों का निर्माण करना पड़ा। इसमें ४०० करोड़ रुपये के लगभग की पूंजी लगाई गई ताकि शस्त्र अस्त्रों का उत्पादन किया जाये। हालांकि इंग्लैंड एक बहुत ही विकसित हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कृष्ण मेनन]

औद्योगिक देश है। उनको कहीं से भी सब कुछ मिल सकता है। वहां के साधारण निर्माताओं ने बहुत नाजुक शस्त्र बना डाले। यहां तो हमारे लिये ट्रकों को प्राप्त करना भी कठिन है। हमें उनके निर्माण की भी व्यवस्था करनी पड़ी।

उदाहरण के लिये खान मंत्रालय मिट्टी ढोने का उपकरण, ट्रैक्टर नहीं, मिट्टी ढोने का उपकरण और भारी उपकरण चाहता है। और यदि खान मंत्रालय पर्याप्त मात्रा में कोयले का उत्पादन न करे, तो हमें कोयला नहीं मिल पायेगा और तब हम शस्त्र बनाने के कारखाने चालू नहीं रख सकेंगे और शस्त्रास्त्र नहीं बन पायेंगे। इसी लिये खान मंत्रालय ने हमसे ऐसी गाड़ियां तैयार करने के लिये कहा जो एक बार में ९० टन कोयला ढो सकें, जब कि साधारण ट्रक एक बार में तीन टन ही ढो सकता है। इसी लिये हमें वैसी गाड़ियों का निर्माण हाथ में लेना पड़ा।

अब मेरे पास समय कम रह गया है, इस लिये मैं आलोचनाओं के उत्तर देने में न पड़कर प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान्य बिषयों को लेता हूं। यह कहना तो अनावश्यक है कि हमारे देश के लिये परिस्थिति शत-प्रतिशत सुरक्षात्मक नहीं है। हमारी भूमि सीमा का विस्तार लगभग ९,७०० मील लम्बा है, जिसमें से ५,९०० मील लम्बी हमारी सीमा पाकिस्तान से, लगभग २,८०० मील चीन से और शेष बरमा और लगभग १,३०० मील नेपाल से मिली हुई है। पाकिस्तान और चीन के साथ मिलने वाली हमारी सीमा की परिस्थिति कुछ कठिन प्रकार की रही है पिछले कुछ वर्षों से। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, हमारे पड़ोसी ने हमें शांति से नहीं रहने दिया है।

२८ अक्टूबर, १९४७ को भारत के सशस्त्र बल ने पड़ोसी देश के सैनिक आक्रमण से कबाइलों के आक्रमण से नहीं, रक्षा करने के लिये काश्मीर में प्रयास किया था और काफी युद्ध भी ठना था। तब से ऐसी ही परिस्थिति चली आ रही है।

मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान के लोग मुझे एक खूंखार प्रतिरक्षा मंत्री समझें। लेकिन सीमा पर होने वाली घटनाओं की संख्या देखिये।

पाकिस्तान के साथ यह गड़बड़ी तीन-चार क्षत्रों में चल रही है। मुख्य तो जम्मू और काश्मीर ही है उसके बाद पूर्वी बंगाल, फिर पंजाब का नम्गर आता है, जहां अब परिस्थिति उतनी कठिन नहीं रह गई है, इसलिय कि सदियों से लोग उसे देखते आ रहे हैं और उसके अभ्यस्त हो गये हैं। उसके बाद पंजाब के दक्षिण में पड़ने वाली सीमा है, जो अब अधिक महत्व पूर्ण बन गई है, क्योंकि पहले तो राजस्थान एक रेगिस्तान होन के कारण आक्रमणों के विरुद्ध एक बाधा बना था, पर अब वहां राजस्थान नहर के कारण राजस्थान हरा भरा उद्यान बनने जा रहा है। इसलिय वहां स्थिति कठिन हो जायगी।

चारों क्षेत्रों में से, अब पहले क्षेत्र-जम्मू तथा कश्मीर को लीजिये। जम्मू तथा कश्मीर की सीमा पर, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर, केवल युद्ध-विराम सीमा पर ही नहीं १९५९ में ९७ घटनायें हुई थीं, १९६० में उनकी संख्या १०६ तक पहुंच गई थी। और १९६१ में ५३६ तक। ये घटनायें पशु-चुराने इत्यादि की नहीं थीं। हर बार मशीनगनों, राइफिलों और हथ गोलों का प्रयोग आक्रमणकारियों ने किया था। युद्धविराम रेखा का उल्लंघन होने पर हम उनकी सूचना संयुक्तराष्ट्र संघीय आयोग को दे देते हैं। लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान आयोग के नियमों की प्राविधिकताओं उनकी बारीकियों की आड़ ले लेता है। कि आयोग केवल उन घटनाओं पर विचार कर सकता है जिनमें सैनिकों ने भाग लिया हो। यानी यह कि यदि पाकिस्तानी राष्ट्रजन युद्ध विराम

सीमा के इस पार पांच मील तक भी घुस आयें और मार काट मचायें, तो भी आयोग उस पर विचार नहीं कर सकता । लेकिन दूसरी ओर जब जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने बालाकोट के क्षेत्र में सुरक्षा के लिये एक पुलिस-चौकी भी स्थापित की तो आयोग ने उसे सैनिक चौकी घोषित कर दिया । इसलिये हमारा काम आयोग की मनमानी को सहन करना ही नहीं, अपनी सुरक्षा करना भी होता है । १९६१ में जो ५३६ घटनायें हुई थीं, उनमें से २४० जम्मू तथा कश्मीर में ही घटी थीं । लगभग रोज ही हमारी चौकियों पर गोलाबारी होती रही है ।

आसाम की सीमा पर दो वर्ष पहले तक तो यह हालत थी कि सेना को रात-दिन सतर्क रहना पड़ता था । तब तक उस सीमा की रक्षा का पूरा दायित्व सेना को नहीं सौंपा गया था । पुलिस उसकी रक्षा करती थी । तब वे कई क्षेत्र में घुस-पैठ करने लगे थे । उसके बाद ही पाकिस्तान के साफ करार किया गया था, लेकिन उनका कभी-कभी ही पालन होता है ।

इन घटनाओं के अलावा, तोड़-फोड़ की कई कार्यवाहियां हुई हैं । कश्मीर में १९६१ के दौरान तोड़-फोड़ के ८१ मामले हुए थे । तोड़-फोड़ के उन मामलों में प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण शस्त्रास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठान की अनुसंधान प्रयोगशालाओं में भेजा गया था । उससे सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान ने ही उनका संभरण किया है । उनका उद्देश्य जान माल को हानि पहुंचाना इतना नहीं था जितना कि गड़बड़ी और अव्यवस्था फैलाना और हिन्दू तथा मुसलमानों के दंगे कराना । मंदिरों में बमविस्फोट करके वे प्रचार करते थे कि मुसलमानों ने किया है और मस्जिदों में विस्फोट करके प्रचार करते थे कि हिन्दुओं ने किया है । लेकिन राज्य सरकार ने बड़ी दृढ़ता से उसका सामना किया और लोगों में बदहवासी नहीं फैलने दी ।

हमारी ओर से सख्त कार्यवाही होने के कारण, घुस-पैठ की घटनाओं की संख्या २५८ से घटकर १५९ ही रह गई है । आसाम की सीमा पर भी यही स्थिति थी । गुजरात में १९६१ के दौरान दो घटनायें हुई थीं । उनमें जानमाल की कोई हानि नहीं हुई ।

ये घटनायें हमारे अपने ही प्रदेश में होती है । आवश्यकता पड़ने पर हम कार्यवाही भी करते हैं । हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी ओर से युद्ध न छिड़ने दें । पाकिस्तान हो या चीन, हम युद्ध नहीं ठानना चाहते । पाकिस्तान ने हमारे प्रदेश पर अनधिकृत रूप से कब्जा तो किया ही है, उसके अतिरिक्त ८ बार घुस पैठ भी की है । कश्मीर के एक भाग पर पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे की समस्या के अतिरिक्त, और भी कई ऐसी गम्भीर स्थितियां सामने आजाती हैं, जिनको अन देखा नहीं किया जा सकता । हमारी भी अपनी एक सीमा है । अपनी सीमा की रक्षा के लिये हम अपनी पूरी शक्ति लगानी है । उसके लिये सबसे पहली आवश्यकता जनता और देश की दृढ़ इच्छा शक्ति की है, उसके बाद शस्त्रीस्त्र की आवश्यकता आती है । इसीलिए हम प्रतिरक्षा उपकरण के उत्पादन पर इतना जोर दे रहे है ।

'मिग' (एम० आई० जी०) विमानों के बारे में काफी चखचख और वादविवाद चल चुका है । प्रतिरक्षा मंत्रालय की अपनी काई एक अलग विचारधारा नहीं होती । वह तो विचारधारा की चिन्ता किये बिना जहां से भी मिले ऐसे शस्त्रास्त्र जुटाना चाहता है जो देश की सुरक्षा को सुदृढ़ बनायें । इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण यह है कि हम सबसे पहले तो शस्त्र की लागत देखते हैं और उसके बाद उसकी उपयोगिता फिर हम उनको जितने भी तैयार मिल सकें खरीदने की कोशिश करते हैं । उसमें हम देखते हैं कि उनके पुर्जे इत्यादि के बारे में कोई कठिनाई तो नहीं होगी । इसका मतलब है कि हम उन पुर्जों का और उन शस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं, या नहीं, क्योंकि पुर्जों का इतना स्टॉक तो हम रख नहीं सकते । दूसरे शब्दों में, यदि हमें 'सुपरसोनिक' विमान कहीं से मिल रहे हों, तो उनको हम तभी खरीद सकते हैं जब यह पक्का हो जाय कि हम आगे चल

[श्री कृष्ण मेनन]

कर उनका निर्माण स्वयं कर सकते हैं और उनके निर्माण के लिये अपेक्षित सामग्री हमें आसानी से प्राप्य हो सकती है ।

हम इस समस्या पर बड़ी सावधानी के साथ विचार किया है । हमें मालूम है कि विभिन्न देश किस-किस प्रकार के विमान तैयार कर रहे हैं । हमारे विशेषज्ञों ने उन सबको देखने के बाद ही सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं । अभी मैं यह तो नहीं बता सकता कि हमारा अन्तिम निर्णय क्या होगा, पर इतना निश्चित है कि वह निर्णय इसी दृष्टिकोण से किया जायगा कि दूसरे आक्रमण-कारियों के मुकाबले के लिये कौन से विमान अधिक उपयुक्त रहेंगे, और किन को खरीदने से आक्रमण-कारियों में भय पैदा होगा । हमें एसे विमान चाहियें जो उड़ान शुरू करने में दूसरों के विमानों से कहीं कम समय लें ।

'सुपरसोनिक' विमानों की तेज़ रफ़्तार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । लेकिन तेज़ रफ्तार ही तो सब कुछ नहीं है । मुख्य चीज़ तो यह है कि वे कौन सा शस्त्र वहन कर सकते हैं । इसलिये कि विमानों का काम तो संहारक शस्त्रों का वहन करना ही है । इसलिये हमारा प्रयोजन तभी पूरा होगा जब वे विमान पर्याप्त शस्त्रों का, और ऐसे शस्त्रों का वहन कर सकें, जो हमारी सामर्थ्य में हों। कुछ देशों में अमरीका का उल्लेख नहीं कर रहा हूं—द्वारा प्रयोग किये जाने वाले रेडियो–नियंत्रित क्षेप्यास्त्र की कीमत ३५,००० से ५०,००० पौण्ड तक है । हमारा देश उतनी कीमत नहीं दे सकता ।

इसके अतिरिक्त, हर देश में युद्धास्त्रों सम्बंधी सूचना और जानकारी देने के सम्बन्ध में अपने ही कुछ सुरक्षा सम्बन्धी नियम होते हैं । हम इतने वर्षों तक वार्तायें चलाने और इतनी मेहनत करने के बाद भी उन क्षेप्यास्त्रों के निर्माण के लिये आवश्यक जानकारी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं । इसलिये हमें हर प्रकार के शस्त्रास्त्र खरीदते समय पहले इस पर विचार करना पड़ता है कि आगे चलकर हमें उनके निर्माण में कितनी सफलता मिल सकेगी, अपनी वर्तमान क्षमता को देखते हुए । हम देखते हैं कि किन शस्त्रास्त्रों को कम से कम समय में हम तैयार कर सकेंगे ।

मुझे दुःख है कि इन सभी प्रश्नों को राजनीतिक प्रचार का साधन बना लिया गया है । हम कहां से क्या खरीदते हैं यह तो हमारी अपनी इच्छा और सुविधा की बात है । उससे दूसरों को क्या ? इसका यह भी अर्थ नहीं कि हम किसी देश को नाराज़ करना चाहते हैं । एक माननीय सदस्य ने बिल्कुल ही उचित पूछा है कि क्या एक ऐसे देश से शस्त्र खरीदना उचित होगा जिसके बारे में दूसरे देश महसूस करें कि उनके शस्त्रों की जानकारी उसके पास नहीं पहुंचनी चाहिये । हमने इसका ध्यान रखा है । वास्तव में आजकल हमारे देश में एक प्रकार के शस्त्र के निर्माण को एक स्थान में रखा गया है तो दूसरे को दूसरे स्थान में । कानपुर में हम ब्रिटिश से लाइसेंस लेकर विमान तैयार कर रहे हैं । वहां न अमरीकी जा सकेंगे और न रूसी लोग ।

दूसरे देशों से हमारे सम्बन्ध सम्मानपूर्ण हैं और हम वचन पूरा करने में विश्वास करते हैं । हम अपनी सुरक्षा के लिये शस्त्र खरीदते हैं । किन्तु यदि कोई देश शस्त्रों के साथ इस प्रकार की शर्त लगाता है, तो यह स्वतन्त्रता की रक्षा करने की बजाय, उसकी हंसी उड़ाना है ।

उदाहरणार्थ हमने रूस से परिवहन के लिए विमान, हेलीकोप्टर भारी मालवाही विमान आदि खरीदे हैं । यह सारा सामान पंजाब में काम आ रहा है । यह सामान कानपुर या बैंगलोर या अन्य किसी स्थान पर नहीं है, पर प्रतिष्ठान सर्वथा पृथक है जहां भारतीयों और कुछ रूसी विशेषज्ञों के अतिरिक्त और कोई नहीं जा सकता । यह प्रश्न पूछा गया है कि क्या रूसी विशेषज्ञ हमारे व्यक्तियों को पथभ्रष्ट नहीं

करेंगे। मेरा विचार है कि इस प्रकार की धारणा सम्मानहीन है कि हम इतनी आसानी से पथभ्रष्ट हो सकते हैं।

हमने प्रचार की कोई कोशिश नहीं की। हमारे यहां इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सुरक्षा विनियम हैं। यदि किसी देश का विचार है कि केवल प्रचार की सहायता से ही ४० करोड़ की जन-संख्या वाले विशाल देश के निवासियों का चरित्र बदला जा सकता है तो मैं कहूंगा कि वह देश राज-नीति की सूझ बूझ से वंचित है। मैं अभी यह नहीं बता सकता कि हम क्या कार्यवाही करेंगे किन्तु देश की विशालता का ध्यान रखते हुए वही काम करेंगे जो निजी हित में हो।

वाद-विवाद को समाप्त करते हुए मैं उन सब व्यक्तियों का अभिनन्दन करता हूं जिन्होंने सशस्त्र सेनाओं के बारे में भाषण दिये हैं। यहां पर सेना के कार्य का उल्लेर करना उचित होगा। उन्होंने गोआ में प्रवेश किया। प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों में वे वहां गये और सूर्यास्त होने से पहले सारी की सारी सेना पंजिम मे काम पूरा कर बाहर आ चुकी थी।वें केवल १४ या १५ घंटे वहां रहे। इस सारे कार्य में हताहतों की संख्या नगण्य थी। मेरा अनुमान है कि हमारी सेना के लगभग २५ व्यक्ति मारे गये। इन में से ७५८ सैनिक पुर्तगालियों के विश्वासघात के कारण मारे गये जिन्होंने सफेद झंडा फहरा दिया था।

कांगों मे भारतीय सेना और विमान बल की कार्यवाही आदर्श सिद्ध हुई है। जो लोग राज-नैतिक दृष्टि से, प्रतिकूल धारणा रखते हैं। उदाहरण के लिए बेल्जियन, वे भी समाज विरोधी कार्यों को रोकने में भारतीय सेनाओं की उपस्थिति आवश्यक समझते हैं। वहां पर सेना पुलिस दल की तरह है। उनको आदेश है कि किसी पर गोली न चलाई जाये। अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए हमारे ८५ सैनिक घायल हुए। इन में से कुछ कुछ मेधावी अधिकारी थे। एक तो परमवीर चक्र से विभूषित किया गया था। उसने अकेले ही सेना का नेतृत्व करते हुए सड़क की रुकावट को दूर करके अनेक अफ्रीकियों की हत्या होने से बचा ली थी। भारतीय सेनाएं अफ्रीका में लोकप्रिय हैं। गाजा हिन्द चीन मे भी उन्होंने सन्तुलन बनाये रखने में सफलता प्राप्त की है। मंत्रियों, राजदूतों और समितियों के अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिये, इन सैनिकों ने स्वयं वहां काम किया है। मैं इन सब की प्रशंसा करता हूं। अंजदीव टापू में सेना ने शानदार काम किया है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

सभा में यह भी कहा गया कि यदि कोई सैनिक अपराध करता है तो उस पर असैनिक न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिये। दो प्रकार के नागरिकों की सृष्टि अच्छा सिद्धान्त नहीं है और संविधान के भी विरुद्ध है। ऐसी वार्ता भी कही गई है कि देश की सुरक्षा के लिए हमें अन्य सब काम बन्द कर देने चाहिये। योजना और आर्थिक विकास के कार्य भी बन्द कर देने चाहिये, किन्तु यह गलत दृष्टिकोण है कि देश की रक्षा केवल सेनाओं से ही की जा सकती है। देश की रक्षा के लिये आर्थिक उत्पादन, जनता में उत्साह, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य सब कुछ आवश्यक हैं। सेना में प्रजातन्त्र है, नीचे के सैनिक से लेकर ऊपर के अधिकारी में परस्पर विचार विनिमय हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, यह अच्छा होता यदि कोई और सदस्य इस बात का उल्लेख करते किन्तु मैं ही यह बात कहदूं कि भारत की जल, थल और वायु सेना पूर्ण सशक्त है। सैनिक परिचित हैं कि वे हिमालय के पहरेदार हैं। उनकी संख्या बताना तो हमें इस समय उचित नहीं है किन्तु चट्टानों को तोड़ने और सड़कों का निर्माण करने में उन्होंने जो काम किया वह अभूतपूर्व है। सदस्यों ने सेना के बारे में जितनी अच्छी बातें कही हैं, मैं उन सब का हार्दिक आभारी हूँ। सात घंटे के वाद-विवाद का इस थोड़े समय में उत्तर देकर प्रत्येक प्रश्न का समाधान करना संभव नहीं है।

मेरा निवेदन है कि बिना किसी मत विभाजन के इस मंत्रालय की सब मांगें स्वीकार कर ली जाये। यदि इनमें कोई कटौती की गई, तो इसका क्या परिणाम होगा, यह सोचना चाहिये कि अन्य स्थानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

यदि मांगों को पास कराने के बारे में यहां कुछ शोर किया गया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : उन्होंने स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ और इस देश में सब से अधिक शोर मचाया है ।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** (मंडसौर) : स्पष्टीकरण के हेतु । प्रतिरक्षा मंत्री ने वाद-विवाद में उठाई गई हर एक बात का जवाब दिया है । उन्होंने पाकिस्तान, गोआ, पुर्तगाल आदि अनेक विषयों का उल्लेख किया है । किन्तु उन्होंने चीन की कोई चर्चा नहीं की । क्या वह इस विषय का स्पष्टीकरण करेंगे ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : एक आक्रांता के बारे में जो कुछ मैंने कहा है, वह दूसरे पर भी लागू होता है मैं यह सब बातें प्रकट करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं कि चीन के सम्बन्ध में सुरक्षा स्थिति क्या है । मेरी चिन्ता यह है कि यहां बताई गई जानकारी का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा । मान लीजिये कि मैं यह कहूं कि चीनियों की ६ चौकियां हैं और यदि चौकियां १६ हुई तो चीनी तुरन्त यह समझ जायेंगे कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है । यह इतना सरल नहीं है ।

†**एक माननीय सदस्य** : सच यह है कि आपको जानकारी नहीं है ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : इसलिए यह समझना कि सरकार आक्रांताओं में भेद करती है, सरकार पर आक्षेप होगा । आक्रमण है और इसका उपचार यह है कि इसे हटाया जाये । जहां तक हमारा इसका मुकाबला करने का सम्बन्ध है, यह समय, स्थान, घटना और हमारे संसाधनों पर निर्भर करता है । कटु शब्द बोलने से चीनी सेनाएं भाग नहीं जायेंगी । हमें ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी होंगी जिनमें इन जोखिम के क्षेत्रों में हमारी प्रतिरक्षा और प्रभुसत्ता बनाई रखी जा सके । यह किस तरह बनाई रखी जायेगी, यह मैं केवल देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही उचित समय पर बता सकूंगा अन्य किन्हीं हालतों में नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए इकट्ठे रख दूं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : कटौती प्रस्ताव संख्या ५ जो मेरे नाम में है उसे अलग से मतदान के लिए रखा जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या ५ को छोड़ शेष कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ५ को छोड़ कर शेष सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

मांग संख्या ८ पर प्रस्तुत किये गए कटौती प्रस्ताव संख्या ५ पर सभा में मत-विभाजन हुआ । पक्ष में ३५, विपक्ष में १८३ । तदनुसार कटौती प्रस्ताव संख्या ५ अस्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी मे

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरक्षा मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखीं गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
८	प्रतिरक्षा मंत्रालय . . .	३५,०६,०००
९	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी सेना .	१,८४,७४,७५,०००
१०	प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना	१५,१२,४४,०००
११	प्रतिरक्षा सेवाय, क्रियाकारी वायु सेना	६०,०५,८०,०००
१२	प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी	१५,७५,००,०००
११४	प्रतिरक्षा का पूंजी व्यय	२४,९९,७५,०००

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। इसके लिये आठ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे उसकी सूचना १५ मिनट के अन्दर दे दें।

वर्ष १९६२–६३ के लिये निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की अनुदानों निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९९	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय . .	९६,२२,०००
१००	संभरण और निपटान .	२,३८,३२,०००
१०१	सरकारी निर्माण-कार्य	२८,४८,१९,०००
१०२	लेखन-सामग्री और मुद्रण .	६,९८,०९,०००
१०३	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . .	७,१८,९३,०००
१०४	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	५७,९५,०००
१४१	सरकारी निर्माण, कार्य पर पूंजी व्यय .	७,११,७५,०००
१४२	दिल्ली पूंजी व्यय	६,४६,३५,०००
१४३	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	१४,५९,३९,०००

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर): अभी तक आवास समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इतनी प्रगति कर ली है कि लोग चांद पर पहुंच रहे हैं, भारत में लोग अधिक गर्मी या सर्दी से मर रहे हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

ये लोग इसलिये मरते हैं कि उन्हें रहने के लिए मकान नहीं हैं। गांवों में कच्चे मकान हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दीनेन भट्टाजार्य]

कृषि श्रमिकों की स्थिति बहुत दयनीय है। उन लोगों के मकान कच्चे हैं। गर्मी त्यादि में रहने वालों को संरक्षण नहीं मिलता। नगरों में भी अवस्था खराब है। कलकत्ता और उस के उपनगरों में लोग जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं वे भयावह हैं। उन को मकान देने के लिये कुछ नहीं किया गया है।

औद्योगिक आवास की समस्या भी अभी हल नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में मजदूर बुरी हालत में रहते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ करना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नये मकानों के किराये ऐसे हों कि सामान्य कामगर उन्हें दे सकें।

कलकत्ता के सरकारी कर्मचारियों को भी आवास के विषय में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों की संख्या की तुलना में क्वार्टर बहुत कम हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में भी कुछ करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि लोग रास्तों में न मरें। परिस्थिति को अच्छा बनाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए।

पुनर्वास मंत्रालय को इस हालत में बन्द नहीं करना चाहिए था जब कि पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को अभी पूरी तरह से नहीं बसाया गया है। एक तथ्य जानने वाला आयोग स्थापित करना चाहिये जो यह पता लगाये कि वहां शेष समस्याएं क्या हैं? अभी कितना काम बाकी है।

सरकार पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के साथ पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की तरह बर्ताव नहीं कर रही है। जैसा कि प्राक्कलन समिति ने बताया था केवल १९५५ के पश्चात् ही पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास के काम को गंभीरतापूर्वक हाथ में लिया गया था। पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों को तो तीन सौ करोड़ रुपया क्षति-पूर्ति आदि के रूप में दिया गया, किन्तु पूर्वी खण्ड के शरणार्थियों पर एक पैसा भी नहीं खर्च किया गया। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति पक्षपात रहित नहीं है।

अब जो शरणार्थी आते हैं उन्हें विदेशी कहना बहुत आपत्तिजनक है। सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। क्या श्री मेहरचन्द खन्ना १९४७ में दिये गये आश्वासनों को भूल गये हैं। आने वाले लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए तथा उन को समस्त सुविधाएं दी जानी चाहिएं। इसलिए मैं बलपूर्वक कहता हूं कि सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए और आने वाले लोगों को भाइयों की तरह समझना चाहिए।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के ऋण भी बट्टे खाते में डाल देने चाहिए। जो शरणार्थी दण्डकारण्य में नहीं जाना चाहें उन को वहां जाने के लिये बाध्य नहीं किया जाना चाहिये। उन को पश्चिमी बंगाल में ही पुनर्वास की सुविधाएं दी जानी चाहिए। 'बयनामा' योजना उन पर लागू कर देनी चाहिए

कई हजार शरणार्थी हैं जो आप के पास सहायता के लिए नहीं आते परन्तु वे चाहते हैं कि उन्हें ठीक ढंग से बसा दिया जाय। उन के सम्बन्ध में 'बयनामा' योजना फिर से आरम्भ कर देनी चाहिए। मकानों में जबरदस्ती कब्जा किये हुए लोगों की बस्तियों को नियमित करके उन का विकास करना चाहिए और मकान और टट्टियां बनाने के लिए ऋण देना चाहिए।

विभाजन के बाद कई म्युनिसिपल क्षेत्रों में काफी लोग आ गये हैं। जनसंख्या काफी बढ़ गई है। वहां की नगरपालिकाओं के लिए प्रशासन चलाना कठिन हो गया है। उन को सरकार से वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए।

मुसलमानों के मकानों के बारे में प्रश्न पूछा गया था। जो आंकड़े दिये गये थे वे ठीक नहीं थे। कम से कम १२ हजार मकान हैं। उन्हें या तो वापिस कर देना चाहिए या उन मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहिए जिन्हों की सम्पत्ति खोई गई है।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली —करोलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पुनर्वास कार्य को इतनी तेजी से किया और लाखों विस्थापित भाइयों को, जो पाकिस्तान से आये, बसाया। अब उन को एक नया विभाग दिया गया है और वह नया विभाग है वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई का और पिछला विभाग तो है ही। मैं आशा करता हूं कि जिस तेजी से उन्होंने पुनर्वास का काम किया . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय:** : जरा जोर से बोलिये।

†**श्री नवल प्रभाकर** : मैं कह रहा था कि बड़ी खूबी से उन्होंने पुनर्वास विभाग को सम्भाला था और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों विस्थापितों को बसाने का काम किया, और जहां देखते हैं मकान ही मकान खड़े कर दिये। आज देश के अन्दर मकान की बड़ी समस्या है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से विचार करके आपको मकान का काम सौंपा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक अच्छी बात है और हमें आशा भी है कि इसमें अच्छी प्रगति होगी।

मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि नई दिल्ली मे, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, क्लास ४ के क्वार्टरों की अवस्था बहुत ही दयनीय है। उनका क्षेत्र लफ बहुत ही कम है। आप जानते हैं कि क्लास ४ सरवेंट्स के भी बालबच्चे होते हैं, उनके मां बाप भी होते हैं, और एक छोटे से कमरे में उनको गुजारा करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि इस पर आप गौर करेंगे और उसके आकार प्रकार को बढ़ाने की कृपा करेंगे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, खास तौर से दो निर्वाचन क्षेत्रों में, करौलबाग निर्वाचन क्षेत्र में और बाह्य दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में, लोगों को नजफगढ़ नाले से बड़ी परेशानी है। जब बरसात होती है तो नजफगढ़ झील का पानी बहुत से गांवों में फैल जाता है। कई बार नजफगढ़ नाले को चौड़ा करने की बात कही गयी लेकिन पिछले दस बरस से वह सवैसा ही चला आ रहा है। अब माननीय मंत्री जी आ गये है तो मुझे उम्मीद है कि वह इस काम में स्वयं रुचि लेकर इसको पूरा करेंगे। जब भी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं तो नजफगढ़ नाले के काम को देखता हूं, उसकी प्रगति बहुत ही मन्द है, और जब मैं देखता हूं कि बरसात सिर पर खड़ी है तो मुझे फिर डर लगने लगता है। हर साल इसी दृश्य की पुनरावृत्ति होती है कि पानी आता है, गांव डूब जाते हैं, गांवों में और खेतों में पानी भर जाता है। आज भी खेतों में पानी खड़ा है। यद्यपि आज लू चल रही है लेकिन खेतों में पानी उसी तरह खड़ा है। तो मेरा निवेदन है कि जहां तक जल्द हो सके इस नाले को चौड़ा किया जाये ताकि इस में से नजफगढ़ झील का पानी निकल सके।

कम आय के लोगों के लिए आप ने आठ हजार की योजना बनायी है। जिस समय यह योजना बनायी गयी थी उस समय बिल्डिंग मैटीरियल काफी सस्ता था और आठ हजार में मकान बन जाता था, लेकिन आज आठ हजार की कोई कीमत नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि या तो बिल्डिंग मैटीरियल को सस्ता किया जाय और उसको सुलभ किया जाये। और यदि यह नहीं किया जा सकता तो आठ हजार की सीमा बढ़ा कर दस हजार कर दी जाये ताकि यह काम आसानी से हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नवल प्रभाकर]

दिल्ली में गन्दी बस्तियों का मसला बहुत अहम है। प्रधान मन्त्री जी इस में रुचि रखते हैं और दिल्ली के लोगों की यह एक खास बात है। लेकिन यह काम दिल्ली कारपोरेशन को सौंपा हुआ है और पिछले चार पांच बरस के अन्दर दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कोई खास प्रगति नहीं की है, कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय स्वयं इस काम में रुचि लेकर इसको करें। दिल्ली में, खास तौर से पुरानी दिल्ली में, बहुत सारे गन्दे कटरे हैं। उनमें बहुत लोग रहते हैं। वह ऐसी अवस्था में रहते हैं कि जिसके लिये यह कहा जा सकता है कि वे इन्सान तो हैं लेकिन उस जगह इन्सानियत नहीं है। ये लोग नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं। इन गन्दी, सड़ी गलियों के अन्दर जहां सीलन भरी हुई है, वह लोग रहते हैं। मेरा निवेदन है कि गन्दी बस्ती के मसले को टाप प्रायारिटी दी जानी चाहिये और इस काम में काफी प्रगति होनी चाहिए।

झुग्गी और झोंपड़ियों का मसला भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। दिल्ली के अन्दर आप जिधर भी जाएं, झुग्गी और झोंपड़ियों का मसला बना हुआ है। जहां हम बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देखते हैं, बड़े बड़े महलों को देखते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों को देखते हैं वहीं उसी तरह से हम झुग्गी और झोंपड़ियों को देखते हैं। इन झुग्गी और झोंपड़ियों में मानवता सिसकती है। मेरा यह नम्र निवेदन है कि मन्त्री महोदय इसमें काँफी रुचि लें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि झुग्गी और झोंपड़ियों के लोगों को बसाया जाएगा। यह भी सुनने में आता है कि अमुक जगह प्लाट डेवेलप हो रहे हैं, कभी यह कहा जाता है कि उनको मकान बना कर दिये जायेंगे मेरा निवेदन है कि यह मसला बहुत जल्दी हल होना चाहिये। पहले प्लाट डेवेलप होने चाहियें। मैं देखता हूं कि नजफगढ़ रोड पर जगह तै कर दी गयी है यहां पर झुग्गी और झोंपड़ियों के लोगों को बसाया जाएगा और डी० टी० यू० के डिपो के सामने वाली जगह के लिये कहा जाता है कि वह उनको दी जाएगी। लेकिन मैं देखता हूं कि उस जगह का कोई डेवेलपमेंट नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आगे चार पांच बरस तक वहां कोई झुग्गी झोंपड़ी वाला बस नहीं पाएगा। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को बसाने के लिए खास दिलचस्पी लेनी चाहिये।

इसके साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि ये लोग इतने गरीब हैं कि वह ज्यादा किराया नहीं दे सकते। अगर वे किराया दे सकते तो दिल्ली में मकान लेकर रह सकते थे। अगर उनके पास पैसा होता तो वे मकान खड़े कर सकते थे। उनकी अवस्था यह है कि वह दूसरों के लिये महलों का निर्माण करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े बंगलों का निर्माण कर दिया है, लेकिन उन के पास अपना सिर छिपाने की जगह नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि स्कीम में सुधार किया जाए और उनको इतनी राहत तो मिलनी चाहिये कि या तो बहुत आसान किश्तें उन के लिये रखी जाएं या किराया इतना कम हो कि वे उसको आसानी से दे सकें। मैंने देखा कि मजदूरों के लिये जो सबसिडी की स्कीम है उसमें सरकार आधी सबसिडी देती है। लेकिन आधी सबसिडी देने के बाद भी किराया १२–१३ रुपए आता है मेरा निवेदन है कि झुग्गी और झोंपड़ियों में रहने वाले लोग १२–१३ रुपया किराया नहीं दे सकते। वे तो अधिक से अधिक दो तीन रुपया और बहुत ज्यादा हो तो पांच रुपया से अधिक किराया नहीं दे सकते। उनको जो प्लाट दिए जाएं उनकी कोई कीमत न लगायी जाए और उनके ऊपर मकान बनाने के लिए सरकार उनको कर्जा दे ताकि वह उससे छोटा मोटा घर बना सकें।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं ग्राम आवास योजना के सम्बन्ध में। गांवों के अन्दर मकान बनाने के लिए दो हजार प्रति मकान के हिसाब से दिया जाता है। पर दिल्ली का मसला कुछ भिन्न है और वह यह है कि दिल्ली के अन्दर दो अमली हुकूमत है। एक तरफ तो दिल्ली को कारपोरेशन की छत्रछाया के नीचे रख दिया गया है। कारपोरेशन के पास जब गांव का मसला लेकर जाते हैं तो कहा

जाता है कि यह तो शहर है, और जब हम कारपोरेशन के पास शहर की बात लेकर जाते हैं तो कहा जाता है कि यह तो गांव है। जब हम कहते हैं कि कम आय वाले को कर्जा दीजिए तो कहा जाता है कि क्योंकि यह गांव है इसलिये कम आय वाला जो नियम है उसके अन्दर यह नहीं आता हालांकि वह इलाका कारपोरेशन की हद में आता है। सारे गांव कारपोरेशन में आते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि कम आय वालों को जो रुपया दिया जाना है वह इसको नहीं मिल सकता क्योंकि यह तो गांव है। लेकिन, श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली के गांवों और शहर में कोई विशेष अन्तर नहीं है। जो आज गांव हैं, वे कल शहर का भाग बन जायेंगे। ऐसी अवस्था में यदि हम उन को उसी तरह से रहने देंगे, तो मुझे भय है कि जो आज गांव हैं, आगे चल कर वे एक प्रकार से गन्दी बस्तियां बन जायेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि गन्दी बस्तियों को साफ और समाप्त करने की हमारी योजना कभी भी सफल नहीं हो पायेगी।

इस समय दिल्ली में ३०० गांव हैं। किसी ज़माने में यहां पर ४००, ४५० गांव थे, जो कि बाद में घटकर ३६० रह गए। जैसा कि मैंने अभी कहा है, इस समय उनकी संख्या ३०० है, लेकिन अब वह संख्या भी घटने लगी है। उन में से जो गांव शहर में फिट इन हो गए हैं,वे ठीक गन्दी बस्तियों की तरह हैं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में ध्यान दिया जाये और गांवों में अब जो मकान बन रहे हैं, वे ढंग से बनने चाहिए, ताकि जब भी शहर बढ़ता चला जाये, तो उस हालत में वे उस शहर में, उस के डेवेलपमेंट में, उसके विकास में ठीक तरह से फिट इन हो सकें।

आजकल इस सम्बन्ध में यह तय किया हुआ है कि कुछ सिलेक्टिड गांव लिये जायें। उन गांवों में एक ले-आउट तैयार किया जाता है और ले-आउट तैयार करके उन गांवों के लोगों को मकान बनाने के लिये दो हज़ार रुपए तक का कर्ज़ा दिया जाता है। लेकिन मेरा निवेदन है कि दिल्ली में २००, २५० गांव हैं और वे भी शहर की, दिल्ली कारपोरेशन की लिमिट में हैं, इसलिये उन को गांव न कह कर शहर मान लिया जाये और उन को भी वही सुविधायें दी जायें। अगर वे सुविधायें न दी जायें, तो कम से कम वहां के लोगों को मकान बनाने के लिये दो हज़ार रुपये तो दिये जाये, ताकि वे एक अच्छी तरीके और अच्छे ढंग से मकान बना सकें। यह इस लिये भी ज़रूरी है कि उन गांवों में आज जो मकान हैं, वे किसी दिन शहर के बीच में आने वाले हैं। इन सब बातों को देखते हुए दिल्ली मे जितने गांव हैं, उनके लिए पूरी छूट होनी चाहिये।

होम मिनिस्ट्री ने यह तय किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को ७५० रुपए दिये जायें। यह भी तय किया गया है कि उन में से जो लोग स्वीपर या बाल्मीकी हैं, उनको ७५० रुपए दिये जायेंगे। इस बात का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसके बाद जो दूसरे गरीब हरिजन बच जाते हैं, उनकी हालत यह है कि जब बरसात आती है, तो उनकी झोंपड़ियों या कच्चे मकान गिर जाते हैं, जिन को वे फिर बना नहीं पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो लोग आज अंधा-धुंध गांवों में अपनी झोंपड़ियां या मकान बनाते चले जा रहे हैं, उन को अगर दो हज़ार रुपया दिया जाये और दो हजार रुपए की छूट सारे गांवों के लोगों को हो, तो गन्दी बस्तियों की जो प्राबलम आज हमारे सामने है, वह आगे आने वाले समय मे नहीं होगी। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस पर गौर करेंगे।

अब मैं पुनर्वास विभाग के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ-बातचीत कर के डिपाज़िट्स के सम्बन्ध मे जो समझौता किया है, विस्थापित भाई उस के लिये माननीय मन्त्री के कृतज्ञ हैं और उनको हार्दिक धन्यवाद देते हैं। किन्तु मुझे एक भाई ने अपना ज़ेवरों का बक्स दिखाया। जब वह उन को दिया गया, तो उस पर बैंक की तरफ से एक कपड़ा मढ़ा हुआ था और उस पर बैंक की मोहर लगी हुई थी, लेकिन अन्दर से वह खाली था। इसी तरह कल एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि एक खास बक में इस तरह के जितने बक्स हैं, उनमें से कुछ में से

[श्री नवल प्रभाकर]

आधा सामान निकाल लिया गया है और बहुत से केसिज़ में तो सारा सामान निकाल लिया गया है। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी इस तरफ़ कुछ ध्यान दें।

कुछ छोटे मोटे झगड़े अभी बाकी रह गए हैं, जैसे क्लेम्ज़ के निपटारे का प्रश्न है। जो गरीब आदमी हैं, विधवायें हैं, बूढ़े आदमी हैं या ऐसे बच्चे या नौजवान हैं, जिनके माता-पिता मर गए हैं, जो काम कर के कमाना चाहते हैं, उन के क्लेम्ज़ के निपटारे की तरफ़ माननीय मन्त्री जी ध्यान दें।

अगर सेल डीड्ज़ के बारे में ज्यादा प्रगति की जाये और खास तौर से कम समय में उन के सम्बन्ध में कार्यवाही कर दी जाये, तो अच्छा हो। लोगों की आम शिकायत है कि उनको इसके के लिए दस दस, बीस बीस दफा जाना पड़ता है। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस तरफ भी ध्यान देंगे।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बड़ी खूबी के साथ पुनर्वास विभाग को सम्भाला और उस काम को सर-अंजाम दिया, उसी तरह वह हाउसिंग के मसले को भी, जिसने खास तौर से दिल्ली में बड़ा उग्र रूप धारण किया हुआ, है, हल करेंगे।

†श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : औद्योगिक आवास योजना में तथा अल्प आय वर्ग आवास योजना में सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है। राज्यों द्वारा इस काम के लिए दी गई धनराशि का पूरा पूरा उपयोग नहीं उठाया गया है। उन्होंने बची हुई धनराशि केन्द्र को वापस कर दी।

लन्दन का इण्डिया स्टोर विभाग वर्तमान काल के अनुसार संगठित नहीं है। यह लन्दन में १८६० में स्थापित किया गया था तब से हमारी अर्थव्यवस्था इत्यादि बदल गई है इसके कार्य जितनी जल्दी सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय को सौंप दिये जाय उतना ही अधिक अच्छा हो। इसी प्रकार वाशिंगटन के इण्डिया सप्लाई मिशन के अधिकांश कार्य इस विभाग को सौंपे जा सकते हैं। इससे विदेशी मुद्रा बचेगी जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को आप्रवासी कहना देशभक्ति की भावना के प्रतिकूल है। देश के विभाजन के समय हमने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों से निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा की थी और यदि अब हमने उनके द्वार बन्द कर दिये तो यह उस प्रतिज्ञा का उल्लंघन होगा।

हिन्दू अल्पसंख्यकों को भारत आने के लिये कई शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं जो कि एक ग्रामीण व्यक्ति के लिये बहुत कठिन हैं।

दूसरी बात यह है कि आर्थिक दुःख या बेरोज़गारी के कारण भारत आने के लिये लोगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। पाकिस्तान सरकार की यह नीति है कि हिन्दुओं को जीविका के सभी अवसरों से वंचित किया जाए। यह उन हिन्दुओं का अपराध नहीं माना जाना चाहिये कि वे पाकिस्तान में रहे।

प्रव्रजन के लिये प्रमाण पत्रों के बारे में कठोर प्रतिबन्ध लगा देने से भारत आने के इच्छुक लोगों के लिये ऐसा करना असम्भव हो गया है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह नियमों और प्रतिबन्धों को ढीला करे और उन लोगों को आवश्यक सुविधाएं दे जो ढाका और राजशाही में भारत आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ताकि व अविलम्ब यहां आ सकें। इस समस्या पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। हम नये आने वाले लोगों को दण्डकारण्य और अन्दमान में जगह दे सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि पूर्वी बंगाल में लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली होती तो हिन्दुओं के लिये पश्चिम बंगाल आने के लिय द्वार बन्द किये जा सकते थे, क्योंकि लोकतन्त्र में अल्पसंख्यकों के लिये स्थान होता है। पाकिस्तान में लोकतन्त्र नहीं है। इसलिये वहां से जो हिन्दू आते हैं उनके पुनर्वास के लिये प्रबन्ध करना चाहिए ।

जब भारत में कहीं गड़बड़ हो तो पाकिस्तान उपउच्चायुक्त या दूतमण्डल के कुछ पदाधिकारियों को ऐसे स्थान पर जाने दिया जाता है, वहां वे गड़बड़ पैदा करते हैं। अब राजशाही में गड़बड़ हुई है। वहां हमारे सहायक उच्चायुक्त को नहीं जाने दिया जाता। बल्कि वे अपने मकान के अन्दर ही रह सकते हैं।

नेहरू-लियाकत समझौते के अनुसार जो जन सम्पत्ति पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग ला सकते हैं, उतनी सम्पत्ति उन्हें नहीं लाने दी जाती। इसलिये वे बड़ी बुरी अवस्था में भारत आते हैं। इस पर श्री मेहर चन्द खन्ना कहते हैं कि विदेशी हैं। इसलिये उन्हें पुनर्वास के लाभ नहीं दिये जायेंगे। सरकार की ओर से ही नहीं बल्कि मेहर चन्द खन्ना की ओर से यह अत्याचार होगा।

सरकारी बस्तियों को पुनः अच्छी तरह से देखा जाना चाहिये । उन्हें दूसरी बार सहायता दे देनी चाहिये ताकि बस्ती वाले लोगों का अच्छी तरह से पुनर्वास किया जा सके।

जो कैम्प में नहीं गए और जिन्होंने सरकार से सहायता नहीं ली उन्हें सरकार कहती है कि आप तो कैम्पों में नहीं गए। इसलिये आप कोई सहायता के अधिकारी नहीं हैं। इन्हें दण्डकारण्य जाने देना चाहिये । जो लोग अब आएंगे उनको पुनर्वास के लिय उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

श्री राम सिंह (बहराइच): उपाध्यक्ष महोदय, आज की दुनिया में प्रत्येक देश का मुख्य ध्येय भौतिक उन्नति तथा एक स्वस्थ और संगठित समाज का निर्माण है। इस के लिये हर देश अपने नागरिकों के रहन सहन का स्तर ऊंचा करने का प्रयत्न कर रहा है। इसके लिये निर्माण, आवास तथा सम्भरण मन्त्रालय को अधिक से अधिक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि देश के रहन सहन के स्तर को ऊंचा करने में उस देश के निर्माण कार्य यानी नागरिकों के लिये साफ सुथरे मकान, बच्चों के लिये साफ सुथरे स्कूल तथा उनके खलने के लिये खुले मैदान और पार्कों की परम आवश्यकता होती है। हमारे इस मन्त्रालय का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने साधनों को इस प्रकार से उपयोग करे कि जिससे अधिक से अधिक जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा किया जा सके।

परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस मन्त्रालय की रुचि केवल कुछ बातों में संकुचित है। वह अपने सारे साधन बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं तथा ग्लास हाउसेज बनाने में ही जाया कर देती है, जिससे यह मन्त्रालय मध्यमवर्ग को कोई सुविधा प्रदान नहीं कर पाता। प्रायः हम देखते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें जिनमें सरकार का लाखों रुपया खर्च किया जाता है केवल शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिये बनाई जाती हैं। प्रायः उनका नाम किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से सम्बन्धित रख दिया जाता है। बहुत बड़े बड़े होटलों व रेस्ट हाउसों का निर्माण भारत में आने वाले विदेशियों को सुविधा देने के लिय होता है। परन्तु मैं पूछता हूं कि क्या इस सरकार का अपने देश के नागरिकों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या जितनी इमारतें बनाई जायेंगी वे या तो स्वयं सरकार के उपयोग के लिये या विदेशियों को सुविधा प्रदान करने के लिये ही होंगी ?

इसी दिल्ली नगर में बहुत से सरकारी स्कूल टेंटों में लगते हैं। बहुत से स्कूलों में फर्नीचर नहीं सुलभ है और विद्यार्थी टाटों पर बैठ कर पढ़ते हैं। इमारतों की कमी के कारण साइन्स की लेबोरेटरी स्कूलों में नहीं बन पातीं। लड़कों के रहने के लिये कोई होस्टल का प्रबन्ध नहीं हो पाता। जब उनसे पूछा जाता है तो वह कहते हैं कि पी० डब्ल्यू० डी० के पास पैसा नहीं है कि वह स्कूलों के लिये इमारतें बनवा सके ।

[श्री राम सिंह]

दूसरी ओर यह दशा है कि वही मन्त्रालय लाखों रुपये खर्च करके कभी एक अन्तर्राष्ट्रीय कमेटी रूम बना देता है कभी अन्तर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्यशाला का निर्माण करा देता है। मेरे विचार में तो बच्चों के स्कूलों की पहली आवश्यकता है और संगीत तथा नृत्यशालाओं की आवश्यकता बाद में है।

भारत के यह छोटे छोटे होनहार बालक आज सिर्फ मकानों की कमी के कारण धूप, लू, बरसात व ठंढक में दरख्तों व टेंटों में रह कर बितायें यह ठीक नहीं है। इसी वर्ष ठंढक के दिनों में बहुत से बच्चों को ठंढ लग गई जब खूब सर्दी पड़ रही थी। अगर सरकार और कार्य करते हुए भी इस कार्य को करना चाहे तो एक वर्ष में ही यह समस्या हल हो सकती है।

इसी जगह पर पार्लियामेंट के पास सरकार ने बहुत से भव्य भवनों का निर्माण कर दिया है। इनके निर्माण में प्रत्येक भवन में ५० लाख से अधिक ही धन खर्च हुआ होगा। यह सरकार जो समाजवाद का नारा देती है अपने लिए इतने बड़े बड़े भवनों का निर्माण कराती है। यह दफ्तर जब से हम को आजादी मिली तभी से थे। इनके पास जगह थी जहां वह बैठते थे, और अगर मान लीजिए जगह की कुछ कमी भी थी तो साफ सुथरे तथा मजबूत एक मंजिल की इमारतें जैसे पार्लियामेंट के पास बैरक्स बने हैं उसी तरह का निर्माण हो जाना चाहिए था, न कि हर मन्त्रालय में एक होड़ लग जाए और वह एक करोड़ रुपया खर्च करके अपने लिये अलग भव्य भवन का निर्माण कर ले। हमारे मन्त्रीगण यह भूलते हैं कि उनके मन्त्रालय की ख्याति स्वयं मन्त्रालय के लिये भव्य भवन बनवाने से नहीं होगी वरन् उनके उस कार्य से होगी जिसका लाभ देश की तमाम जनता उठा सके।

इसी दिल्ली शहर में जगह की इतनी परेशानी है कि सरकारी नौकर अपना पूरा परिवार लेकर एक कमरे में रहता है। बहुत से लोग पूरे परिवार के साथ कांस्टीट्यूशन हाउस में तथा इसी तरह के और होस्टलों में सपरिवार एक कमरे में रहते हैं, उन के मकान की कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है जबकि वह स्वयं सरकारी कर्मचारी हैं। यहां तक कि इसी लोक सभा कार्यालय में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सरकार कोई स्थान नहीं दे पायी है। यदि सरकार अपने कर्मचारियों को रहने का स्थान नहीं दे पाती है और वह होस्टलों या होटलों के एक एक कमरे में या फुटपाथ पर जैसा कि हम बम्बई में पाते हैं सपरिवार रहेंगे तो उनको वफादारी सरकार के प्रति कितनी रहेगी तथा उनकी कार्यकुशलता का क्या स्तर रहेगा यह सभी के सामने जाहिर है।

प्रायः हर वर्ष हम लोग पेपरों में देखते हैं कि पुलिस ने या इस कार्य के लिये निर्धारित कर्मचारियों ने अमुक झुग्गियों वाली बस्तियों को बिना कानूनी निर्माण कहके तोड़ फोड़ कर खत्म कर दिया। सरकार को उनकी गन्दी बस्तियां खत्म करने का हक तभी हासिल है जब वह उनके लिये साफ सुथरे स्थान स्वयं कर दे। बगैर स्थान दिये हुए उनकी झोंपड़ियां भी उनसे छीन लेना सरासर अन्याय है और प्रजातन्त्र के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। जितना धन सरकारी निवास स्थानों को खूबसूरत बनाने में, उसमें कालीन जैसी घास बनाने में तथा गुलाब के बगीचे लगाने में खर्च होता है, अगर उतना ही धन वहां न खर्च करके झुग्गी में रहने वालों के लिये खर्च कर दिया जाए तो मेरा विश्वास है कि ५ साल में किसी प्रकार की गन्दी बस्तियों की समस्या नहीं रह जाएगी।

इसी प्रकार आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा मन्त्रालय भी इस कार्य में सहयोग दे और अधिक से अधिक टैक्निकल शिक्षा पर जोर दे और अधिक मात्रा में इंजीनियर्स, टैक्निशियन्स, ओवरसियर तथा शिल्पियों की संख्या बढ़े। दूसरी ओर सरकार को चाहिए कि वह सीमेंट, लोहा, इस्पात के उत्पादन पर अपना एकाधिकार जमाने का प्रयत्न न करके अधिक से अधिक निजी उद्योग को उसके लिये प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करे जिससे इन चीजों की कमी जल्दी दूर हो सके। जो साधन

इस समय सुलभ हैं उनका दुरुपयोग रोक कर उनका ऐसा व्यय किया जाए कि वह न केवल कुछ सत्ताधारी लोगों के ही बल्कि पूरी जनता के उपयोग में आ सकें।

अब मैं निर्माण तथा आवास मन्त्री का ध्यान उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की तरफ दिलाऊंगा जहां पर पूर्वी बंगाल के शरणार्थी आए थे और उनको वहां बसाया गया था। कुछ दिनों तक उनके लिये इन्तिजाम किया गया। कुछ दिनों के बाद उनके लिये जो भैंसें आदि तथा जो चीजें दी गयी थीं उनको उन लोगों ने बेच खाया। इलैक्शन के समय उनके पास कुछ भी नहीं था। और वोट पाने के लिये उनको थोड़ी सी रकम दिलायी गयी और उनसे वोट लिया गया।

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) : आपने मेहरबानी की?

श्री राम सिंह : मैं इस लायक नहीं था।

तो मैं उन शरणार्थियों के लिये कहूंगा कि उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जहां वह बसाये गए हैं वहां उनके लिये जो जमीन दी गयी है वह झोल है जहां धान वगैरह सब कुछ डूब जाता है। उनके पास और कोई साधन नहीं है। तो उनको ठीक से बसाने की और उनके खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं इस बात पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली और बम्बई आदि शहरों को छोड़ कर छोटे छोटे जिलों के निर्माण कार्य की ओर भी ध्यान देना चाहिये। वहां का काम ढीला चलता है। मेरे जिले के अन्दर पानी बहुत लगता है और उस जगह नदी की वजह से कई महीने उधर का आना जाना बन्द हो जाता है। एसी जगहों के लिये पुलों और सड़कों का निर्माण कराइए। क्योंकि बरसात में उधर आना जाना नहीं हो सकता इसलिये लाखों की तादाद में जनता वहां परेशान रहती है। तो इस चीज की तरफ भी ध्यान दिया जाय।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव की संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
९९	१	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	बिना घर के सब परिवारों को मुफ्त भूमि के टुकड़ों के वितरण की आवश्यकता।	१०० रुपये
९९	२	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी	ग्रामों में जरूरत वाले लोगों को और नगर श्रमिकों को मकान बनाने के लिए लम्बे समय के लिये ऋण देने के लिये उदार नीति की आवश्यकता।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९९	३	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी .	कम आय वाले लोगों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत ऋणों का दिया जाना ।	१०० रुपये
९९	४	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी .	देश में सब मजदूरों के लिए बिना मूल्य के भूमि के टुकड़े देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	५	श्री दशरथ देब .	देहली में सरकारी इमारतों के बनाने के लिए ठेके देने में अनियमितताएं।	१०० रुपये
९९	६	श्री दशरथ देब . .	देहली में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा सरकारी इमारतों पर कब्जा ।	१०० रुपये
९९	८	श्री कोया .	पश्चिमी समुद्रतट में मछलियां पकड़ने वालों के रहने के लिये गन्दी बस्तियों के अच्छा बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	९	श्री बीरेन दत्त . .	नगर आवास समस्या के अच्छी तरह से हल करने में असफलता ।	१०० रुपये
९९	१०	श्री बीरेन दत्त . .	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्राम आवास कार्यक्रम को पूर्णतया कार्यान्वित करने में असफलता ।	१०० रुपये
९९	११	श्री बीरेन दत्त . .	गन्दी बस्तियों को दूर करने और उनमें रहने वाले लोगों के उनके रोज़गार के नज़दीक उचित पुनर्वास की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	१२	श्री बीरेन दत्त . .	थोड़ी आय वाले व्यक्तियों के लिये आवास योजना का परिपालन	१०० रुपये
९९	१६	श्री दशरथ देब . .	छोटे वर्ग के कमचारियों को रियायती किराये पर रहने के लिए क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९९	१७	श्री दशरथ देब . .	उच्चकोटि के पदाधिकारियों जिन में मन्त्री भी हैं के लिए बहु-मूल्य इमारतों के निर्माण को बन्द करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९९	४४	श्री सरयू पाण्डेय . .	बिना मकान के परिवारों के लिए बिना मूल्य के भूमि के टुकड़ों के वितरण की आवश्यकता।	१०० रुपये
९९	४५	श्री सरजू पाण्डेय . .	ग्रामों में जरूरत वाले लोगों को और नगर श्रमिकों को मकान बनाने के लिये लम्बे समय के लिये ऋण देने के लिए उदार नीति की आवश्यकता।	१०० रुपये
९९	४६	श्री सरजू पाण्डेय .	कम आय वाले लोगों के लिए आवास योजना के अन्तर्गत ऋणों का दिया जाना।	१०० रुपये
९९	४७	श्री सरजू पाण्डेय . .	देश में सब मजदूरों के लिए बिना मूल्य के भूमि के टुकड़े देने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९९	४८	श्री सरजू पाण्डेय . .	नगर आवास समस्या के अच्छी तरह से हल करने में असफलता	१०० रुपये
९९	४९	श्री सरजू पाण्डेय .	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्राम आवास कार्यक्रम को पूर्णतया कार्यान्वित करने में असफलता।	१०० रुपये
९९	५०	श्री प० कुन्हन् . .	साहाय्यित औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत केरल में औद्योगिक मज़दूरों के लिए मकान बनाने के लिए निर्धारित निधियों को प्रयोग करने में असफलता।	१०० रुपये
९९	५१	श्री अ० व० राघवन् .	कच्चे मकानों को पक्का बनाने के लिए, विशेषकर केरल और आसाम में वित्तीय सहा-यता मंजूर करने के लिए योजना की आवश्यकता।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
९९	५२	श्री अ० व० राघवन .	कोज़ीकोडा पर गन्दी बस्तियां हटाने की योजना लागू करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	५३	श्री अ० व० राघवन .	रास्तों पर रहने वाले लोगों को सोने के लिए स्थान देने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
९९	५४	श्री अ० व० राघवन .	होटल जनपथ में भोजन व्यवस्था का सरकार द्वारा लिया जाना ।	१०० रुपये
९९	५५	श्री अ० व० राघवन .	कोराटी में प्रेस के निर्माण को तेज़ करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१००	१३	श्री बीरेन दत्त . .	लन्दन में भारत स्टोर विभाग और वाशिंगटन में भारत सम्भरण मिशन को बन्द करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१००	१४	श्री बीरेन दत्त .	सरकार द्वारा अधिक स्टोर क्रयों को सम्भरण के आन्तरिक साधनों में परिणत करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१०१	१९	श्री बीरेन दत्त	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनियमितायें ।	१०० रुपये
१०१	२०	श्री बीरेन दत्त .	निर्माण व्यय को कम करना	१०० रुपये
१०१	२१	श्री बीरेन दत्त .	निर्माण कार्य सरकारी संस्थाओं को सौंपना ।	१०० रुपये
१०१	२२	श्री बीरे दत्त .	राज्य निर्माण काम से ठेकेदारों को हटान ।	१०० रुपये
१०३	३२	श्री बीरेन दत्त .	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ।	१०० रुपये
१०३	३३	श्री बीरेन दत्त .	पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास ।	१०० रुपये
१०३	३४	श्री का० रा० गुप्त .	निष्क्रांत कृषि भूमियों के आवंटन और वितरण की समस्या ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१०३	६६	श्री कुन्हन . .	उन विस्थापित व्यक्तियों को जिन्हें सम्पत्ति बेची गई है क्रय-पत्रों का न दिया जाना ।	१०० रुपये
१०३	६७	श्री कुन्हन .	सरकारी सम्पत्ति के टेंडर द्वारा विक्रय को रोकने में असफलता ।	१०० रुपये
१०३	६८	श्री कुन्हन . .	उन व्यक्तियों को जिन्हें अपनी सम्पत्ति वापस कर देने के लिये कहा गया था, नकदी में अदायगी करने में असफलता ।	१०० रुपये
१०३	७२	श्री कोया . .	मुस्लिम शरणार्थियों के पुनर्वास की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१४३	३७	श्री का० रा० गुप्त .	विभिन्न आवास योजनाओं के लिये निधियों पर उचित नियन्त्रण रखने में असफलता ।	१०० रुपये

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

†**श्री प्र० र० चक्रवर्ती** (धनबाद) : पुनर्वास मंत्रालय को अब निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का नाम दिया गया है । मैं चाहता हूं कि 'पुनर्वास' का शब्द भी इस नाम में जोड़ा जाता और इसे 'निर्माण, आवास, संभरण और पुनर्वास' का नाम दिया जाता ।

१९४७ में जब भारत और पाकिस्तान बने, तो सरकार की शरणार्थियों सम्बन्धी नीति के आधार में यह विचार था कि पाकिस्तान को पुनः भारत में मिलना पड़ेगा । किसी समय नेताओं का ऐसा विचार था । हमारी नीति के पीछे यही विचार अब भी काम कर रहा है, और इस के फलस्वरूप हमारे सामने यह गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बहुत से लोग भारत आने के लिये उत्सुक हैं । यदि नेहरू-लियाकत समझौता ठीक तरह से क्रियान्वित किया गया होता और भारत और पाकिस्तान दोनों ने कुछ शर्तें मंजूर की होतीं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी । एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि १९५७ में सीमान्त के बन्द किये जाने के बाद, ६२,१३१ व्यक्ति प्रमाण-पत्र लेकर भारत में आये थे । जब उनके आने का कारण पूछा गया, तो वहां जो हत्यायें हो रही थीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया । ढाका और गोपालगंज में ५०० व्यक्तियों की हत्या की गई थी किन्तु भारत सरकार ने इसका उल्लेख नहीं किया । पूर्वी पाकिस्तान के राज्यपाल ने साम्प्रदायिक फसादों के बारे में भारतीय हिन्दुओं की कड़ी निन्दा की है । फिर भी हम इस विचार को पकड़े हुये हैं कि पाकिस्तान हमारे पास फिर आ जायेगा । मैं फिर सरकार से पूछता हूं कि क्या नेहरू-लियाकत संधि अब काम कर रही है । पाकिस्तान सरकार ने उसके किसी भी उपबन्ध का पालन नहीं किया और अब वहां से जो लोग आ रहे हैं, हम उन से प्रव्रजन प्रमाण-पत्र मांगते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० र० चक्रवर्ती]

कुछ दिन हुये, राजशाही में हजारों व्यक्ति प्रव्रजन प्रमाणपत्र लेने के लिये इकट्ठे हो गये थे। किन्तु हम फिर भी औपचारिकताओं की आड़ ले रहे हैं। हमें उन १८ लाख हिंदुओं के बारे में सोचना चाहिये, जो वहां रह गये हैं। अब वे चिल्ला-चिल्ला कर भारत की सीमाओं पर आकर थोड़ी सी सहायता मांग रहे हैं। आप उन्हें प्रव्रजक कहें या आप्रवासी, उनके पुनर्वास की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, और न ही की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने तो यहां आना ही है। भारत सरकार उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व को छोड़ नहीं सकती।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हत्या कई बार की गई है और अब वे घर बार छोड़ कर दुखित हृदय लेकर यहां आ रहे हैं। आपने उनके साथ मानवता का व्यवहार करना है।

नेहरू-लियाकत संधि समाप्त हो गई है। हमें अपनी नीति बदलनी होगी और उन अल्पसंख्यकों को औपचारिकताओं के आधार पर नहीं रोकना होगा। कुछ दिन हुये वैदेशिक-कार्य मंत्री ने कहा था कि उसने प्रवेश पत्र देने के लिये कुछ क्लर्क रखे हैं। क्या यह क्लर्क रखने का समय है। प्रवेश पत्र का तो प्रश्न ही नहीं है। उन्हें बेरोकटोक भारत संघ में प्रवेश करने देना चाहिये।

श्री वेरवा (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, वर्क्स, हाउसिंग एण्ड सप्लाई मिनिस्ट्री की मांगों के बारे में मैं कुछ विरोध प्रदर्शित करना चाहता हूं। वर्क्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सी०पी० डब्ल्यू० डी० का जितना भी वर्क होता है, उसके बारे में मुझे सख्त शिकायत है। मैं समझता हूं कि जितना भ्रष्टाचार इन तीन महकमों में होता है, अगर दूसरे सारे महकमों को मिला दिया जाये, उनमें होने वाले भ्रष्टाचार को मिला दिया जाये तो यह सेंट परसेंट हो जाता है। इन तीनों महकमों के मिलने से हमारे मंत्रालय पर भी काफी जिम्मेदारी आ चुकी है। मैं समझता हूं कि जैसे रावण, कुम्भकरण और शूर्पणखा के बारे में सारी जिम्मेदारी लक्ष्मण पर थी, उसी तरह से इन तीनों महकमों की जिम्मेदारी हमारे मंत्रालय पर है।

मैं समझता हूं कि जहां तक वर्क्स का ताल्लुक है, और आफिसेस की बनिस्बत, अगर किसी को नोट कमाने की मशीन हासिल करना हो तो वह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को हासिल कर ले। अगर वह ऐसा कर लेता है तो रोज़ाना वह नये नोट कमा सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं सब से छोटी आइटम को लेता हूं, सब से छोटे वर्क को लेता हूं और रेट भी उसका बहुत छोटा है और हर एक वर्क में सब से पहली वही आइटम होती है। इसका नाम है जंगल क्लीयरेंस। इसका रेट एक रुपया प्रति सौ एस० एफ० टी० है। अगर आप एयरोड्रोम बनाते हैं तो पहले उसी का काम होगा, कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सब से पहले उसी का काम होगा। किसी भी काम को करने के लिय सबसे पहले वही आइटम आती है। यह आइटम बहुत सस्ते पैसों में हो सकती है। इसके लिये आपका रेट एक परसेंट का है, यानी एक रुपया सौ एस० एफ० टी० है। लेकिन लाखों फुट जंगल क्लीयरेंस एक माचिस की तीली के अन्दर हो सकता है। अगर कोई प्लाट हज़ार बाई हज़ार का है, उस में सिर्फ घास और झाड़ियां हैं, उनमें अगर एक माचिस की तीली आप लगा दें तो वह जंगल साफ हो जायेगा। बैलों की जोड़ी का सहारा लेकर उसको इसके बाद साफ कर दिया जाता है। अब आप बताइये कि एक माचिस की तीली और दो बैलों की जोड़ी की एक दिन के लिये कितनी कीमत आती है। आप पांच रुपये रोज़ या ज्यादा से ज्यादा दस रुपये लगा लीजिये। पांच या दस रुपये के अन्दर पांच सौ या एक हज़ार रुपये का काम एक दिन में हो जाता है तो कितने रुपये की बचत होती है। लेकिन यहां पर उसका इतना बड़ा फायदा हमारे इंजीनियरों को मिल जाता है जो कि सांठ गांठ करके ऊपर-ऊपर की मलाई तो खुद खा जाते हैं और बेचारे ठेकेदारों के लिये चटनी और रोटी ही रह जाती है।

अब मैं दूसरी एक आइटम को लेता हूं और वह बिल्डिंग्ज़ की है। हमारे यहां सी० पी० डब्ल्यू० डी० ने बिल्डिंग्ज़ बनाई हैं। कोटा राजस्थान में है। एक एरिया शाहबाद का है जहां पर पूर्वी बंगाल से आये हुये कुछ लोगों को बसाने के लिये क्वार्टर्ज़ बनाये गये थे। सात सौ के करीब बंगाली वहां आये थे। साढ़े तीन सौ या चार सौ के करीब क्वार्टर्ज़ बनाये गये थे लेकिन एक ही बरसात के अन्दर वे सारे क्वार्टर्ज़ सलाम कर गये। उन बेचारे लोगों ने कुछ समय तो वहां पर गुज़ारा लेकिन बाद में वे बंगाली बंगाल ही वापिस चले गये। यही हालत हमारे यहां फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स क्वार्टर्ज़ की है जो कि तीन साल से अधूरे पड़े हुये हैं। एक-एक क्वार्टर मैंने देखा है। मेरे प्लाट के पीछे कुछ सर्वेन्ट्स क्वार्टर्ज़ बने हुये हैं। उनमें न खिड़कियां हैं, न रोशनी है और न हवा आने के लिये कोई जगह ही है। इस कड़कड़ाती गर्मी में जब कि हमारे मिनिस्टर साहबान के यहां कूलर अलग लगे हुये हैं, एअर कंडिशनिंग अलग है, तब भी उनको हवा की जरूरत रहती है, फिर बेचारे वह गरीब लोग इस कड़कड़ाती गर्मी के अन्दर उन क्वार्टरों के अन्दर कैसे परिवार के साथ रह सकते हैं ? उन क्वार्टरों का किराया भी ९ या १० रुपये है। यह बड़ी शर्म की बात है कि इतना अधिक किराया देते हुये उनको इस छोटे से क्वार्टर में रहना पड़े। अगर उनके लिये क्वार्टर बनाना ही था तो एक वरांडा उस में जरूर होना चाहिये था, लैट्रिन होना चाहिये था, बाथरूम होना चाहिये था और किचेन भी होना चाहिये था। लेकिन क्वार्टर ऐसे बनाये गये हैं जिन में वे गुजारा नहीं कर सकते हैं। इसी भ्रष्टाचार के कारण हम ने भाखरा बांध के अन्दर करोड़ों रुपयों का नुक्सान उठाया। इन्ही इंजीनियरों के भ्रष्टाचार के कारण पूना का बांध ढह गया, इसी भ्रष्टाचार के कारण कोटा का अर्देन बांध धंस गया। मैं कहना चाहता हूं कि कालेज से निकलने के बाद सीधे इंजीनियरों को सर्विस नहीं दे देनी चाहिये। जब तक उनकी ट्रेनिंग न हो जाये इस काम के लिये तब तक उन से ठीक काम कर पाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वे बिना ट्रेनिंग के अपने आफिस में बैठ कर सिर्फ प्लैन बनाना ही जान सकते हैं। उन लोगों को नौकरी देने के बाद किसी कंट्रैक्टर के साथ उन्हें ६ महीनें या एक साल के लिये काम सिखलाना बहुत जरूरी है।

इसके बाद मैं हाउसिंग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हर एक शेड्यल्ड कास्ट के आदमी के लिये आज गवर्नमेंट ने ७५० रु० मकान के लिये तय किये हैं। लेकिन इस ७५० रु० में कहीं कवेलू और डांडे का मकान भी नहीं बनता है। ७५० रु० में मुश्किल से केवल और डांडे का छप्पर पड़ सकता है। तब फिर वह लोग किस तरह से ७५० रु० में मकान बना सकते हैं ? इसलिये इस रकम में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिये। मध्यम श्रेणी के जो सर्वेन्ट्स हैं उनके लिये २,०००रु० दिये जाते हैं। लेकिन २,००० रु० में ऐसा क्वार्टर बन सकता है जिसके मैं ने अभी डिटेल्स बतलाये। अगर उन लोगों के लिये २,००० रु० के क्वार्टर बनाये जायें तब वे उन में अपना गुजर कर सकते हैं। लेकिन आपने उनका किराया १३ या १४ रु० रक्खा है। एक ६० या ७० रु० पाने वाला आदमी अगर १३ या १४ रु० किराया मकान का दे देगा तो फिर वह अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा ? उनके लिये कुछ न कुछ ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ने जो ३७ करोड़, ६० लाख रु० की रकम इस मद के लिये रक्खी है वह अगर शहरों में न लगाई जा कर गांवों में लगाई जाय बड़ा अच्छा होगा। वैसे तो अगर इस पार्लियामेंट हाउस के आस पास एक मील की एरिया के अन्दर कोई लगाना चाहे तो ३७ करोड़ रु० लग जायेगा और हर साल इसी तरह से होता आ रहा है। अगर इसकी एक-एक मंजिल काट कर के भी गांवों में या सर्वेन्ट्स क्वार्टर्स में लगाया जाय तो वे छोटे-छोटे लोग अपने दिन बड़े अमन चैन से निकाल सकते हैं।

रही बात सप्लाई की। सप्लाई के अन्दर अब तक करोड़ों रुपयों का सामान, खादी, फर्नीचर, लकड़ी, कांच आदि का सप्लाई किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट उसको लेती है। लेकिन उसको वह उसी रेट से लेती है जिस रेट से उसे दूसरे व्यापारियों को दिया जाता है। मैं एक दूकान पर खादी

[श्री बेरवा]

खरीदने गया था। वहां पर १० परसेन्ट कमिशन मिलता था। मैं ने उनकी किताबें देखीं। उसमें कमीशन की बात कहीं नहीं दिखाई गई है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिये कि वह इस की कोशिश करें कि उसमें कमिशन अलग दिखलया जाय। अगर ६० या ७० रु० का सामान खरीदा जाता है और उस में कमीशन मिलता है तो वह कमीशन अलग दिखला कर बिल बनाना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इस तरह से जो रुपया बांटा जाता है वह गरीबों को नहीं दिया जाता, गरीबों के क्वार्टरों में नहीं लगाया जाता। वह सब से बड़े बड़े लोगों को ही दिया जाता है। जितना लोन दिया जाता है वह सब बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। गरीबों को कुछ नहीं दिया जाता।

†**श्री शिवचरण गुप्त** (दिल्ली सदर): निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय इन दो बातों के लिय धन्यवाद का पात्र है कि जीवन बीमा निगम के सन्साधों को आवास योजना के लिये ऋण देने के काम में लाया गया है और १५ नवम्बर, १९६० से एक राष्ट्रीय निर्माण निगम स्थापित किया गया हैं।

इस समय देश की आवास सम्बन्धी आवश्यकतायें बहुत बढ़ गई हैं। तीसरी योजना में १ लाख मकान बनाने का प्रस्ताव है, किन्तु ये आवश्यकता से कम होंगे, क्योंकि जन संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही हैं इसलिये इस विषय पर योजना आयोग से बातचीत की जानी चाहिये।

जहां तक निर्याण योजनाओं का सम्बन्ध हैं, तो बड़ी समस्याएं हैं और वे ये हैं: ईंटों और सीमेंट का सम्भरण, जो कि इस समय पर्याप्त नहीं है। दूसरी समस्या अभिकरण की है। कुछ राज्यों में राज्य आवास बोर्ड हैं और सरकार एक राष्ट्रीय आवास बोर्ड भी बनाने जा रही है। किन्तु इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई। जहां तक कार्यान्वय के अभिकरण का सम्बन्ध है, विकास और निर्माण कार्य एक ही संगठन को देना चाहिये। वह कोई सरकारी क्षेत्र का संगठन या संयुक्त स्कन्ध समवाय हो सकता है।

दिल्ली में मकानों का अनधिकृत निर्माण कार्य बहुत हो रहा है। इस समस्या का हल विकसित प्लाटों के आवंटन से नहीं होगा। जब तक सरकार या अभिकरण स्वयं मकान बना कर लोगों को किराये पर न दे, यह समस्या हल नहीं होगी। दिल्ली में ६७५ वर्ग फुट का एक मंजला मकान बनाने में १५,००० रुपये खर्चा आता है, जो कि गरीब लोगों की ताकत से बाहर है।

जहां तक झुग्गी झौंपड़ी योजनाओं का सम्बन्ध है, उन की प्रगति बहुत कम है। इस प्रगति का समय-समय पर पुर्नावलोकन किया जाना चाहिये। यदि कोई कठिनाई हो, तो वह मंत्रालय, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों को आपसी परामर्थ से दूर की जानी चाहिये।

गन्दी बस्तियों को हटाने का काम क्षेत्रवार आधार पर किया जाना चाहिये। जून, १९६० में हुए सर्वेक्षण में जो लोग सम्मिलित नहीं किये गये थे, उन को इस में सम्मिलित किया जाना चाहिये यदि उन के पास पर्याप्त प्रमाण हो, कि वे उन स्थानों पर उस दिन बैठ हुए थे। इस के अलावा उन अनधिकृत निर्माणों के सम्बन्ध में भी, जो जून, १९६० के बाद किये गये थे, कोई नीति निर्धारित करनी चाहिये। अनधिकृत निर्माणों की संख्या, जो दो वर्ष पूर्व ४३,००० थी, अब लगभग १ लाख हो गई है। इस के सम्बन्ध में सरकार को, प्रशासन को और लोगों को कुछ कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये।

गन्दी बस्तियों को साफ करने की योजनायें दिल्ली में १९३७ से चल रही हैं। किन्तु अब तो जो प्रगति हुई है उस के अन्तर्गत केवल ४९२७ क्वार्टर बनाये गये हैं और १०९४ बन रहे हैं। दिल्ली अजमेरी

†मूल अंग्रेजी में

गेट क्षेत्र की गन्दी बस्तियों के लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। उन्हें हटाने के सम्बन्ध में कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाये जाने चाहियें ।

४९२७ क्वार्टरों में से जो गन्दी बस्तियों के लोगों को दिये गये हैं, ५० प्रतिशत उन लोगों के हाथों में चले गये हैं, जिन्हें उन्हें ले ने का अधिकार नहीं है। इसके बारे में भी कार्यवाही करनी चाहिये, किंग्सवे क्षेत्र के विकास सम्बन्धी योजना के सम्बन्ध में शीघ्रता लाई जाय। विभाजन में जिन शिक्षा तथा चिकित्सा संस्थाओं का नुकसान हुआ था, उन के पुनर्वास के लिये अनुदान देने चाहियें ।

श्री बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय मैं पुनर्वास और वर्क्स, हाउसिंग एण्ड सप्लाई के महकमे के बारे में तो दो तीन बुनियादी बातें आप के सामने रखना चाहता हूं ।

रीहैबिलिटेशन के महकमे की यह कह कर बहुत तारीफ की गई है कि कितने ही लोग पाकिस्तान से इस मुल्क में आये और उन को आबाद कर दिया गया है, लेकिन मेरी अर्ज़ यह है कि लोग अपनी नेकनामी के लिये ऐसा कहते हैं। हिन्दुस्तान के बाहर से आये हुए लोगों को आबाद कर दिया गया है, यह बात कुछ जंचती नहीं है जब हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में ही जो लोग कई हजारों सालों से खाना-बदोश हैं, उन को अभी तक आबाद नहीं किया गया है । अगर इस महकमे में कुछ काबलियत और लियाकत थी और उसे लोगों को आबाद करना मतलूब था, तो वह उन करोड़ों इन्सानों को आबाद न कर देता, जो कि इस देश के शहरों में फुट-पाथों पर रहते हैं, और जो गांवों तथा जंगलों में बिना किसी आश्रय के जीवन बिता रहे हैं ।

जो लोग बाहर से इस देश में आये, इस महकमे की उनको कोई देन नहीं है सिवा इसके कि वे बेचारे शुरू शुरू में जब यहां आये, तो लोग उ ं को "पाकिस्तानी" कहने लगे, जब यह महकमा खुल गया, तो उन को "शरणार्थी" कहा जाने लगा और जब सभायें होने लगीं, तो फिर उन को "पुरुषार्थी" कहने लगे, बिल्कुल वैसे ही, जैसे पहले इस देश के कुछ जातियों को "शूद्र" कहा जाता था, फिर उन को "अछूत" कहने लगे और अब उन को "हरिजन" कहा जाता है। बाहर से आर्य लोगों के नाम में परिवर्तन हो गया, इसके अलावा इस महकमे की कोई देन नहीं है । इस महकमे ने हर काम के लिये लोगों से चक्कर लगवाने और भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के अलावा कुछ नहीं किया। यह बात आम तौर पर सुनने में आती है कि इस महकमे के बड़े बड़े अफसरों और बड़े बड़े आदमियों ने इस महकमे की बदौलत और लोगों को फिर से बसाने की आड़ में हिन्दुस्तान को लूटने और खाने में कोई दकीका उठा कर नहीं रखा ; उन्हों ने कितनी जायदादें हड़प कीं और कितना पैसा हड़प किया। कहा जाता है कि जिन बड़े बड़े अफसरों के हाथ में एलाटमेंट वगैहरा का काम था, उन की आमदनी तो कुछ सेठों की आमदनी से भी ज्यादा है ।

जो लोग बाहर से हिन्दुस्तान में आये, वे अपनी कोशिशों से ही बस गये हैं। हिन्दुस्तान में सपेरा, भील, सांसी और बावरिया आदि जातियों के लोग भी तो रहते हैं। यहां पर झुग्गी वाले भी तो रहते हैं। उन को सरकार ने थोड़े ही बसा दिया ? जो लोग हिन्दुस्तान में आये, आखिर उन को इस देश से स्नेह था, मोह था। हिन्दुस्तान से उन का जो बहुत बड़ा ताल्लुक और सम्पर्क था, वह था गांधी जी की शहादत का। उन दिनों गांधी जी शहीद हो गये थे और उन की शहादत ने हिन्दुस्तान में मानवता और इंसानियत का एक जजबा पैदा किया था। उस जजबे ने उन लोगों को छाती से लगाया, इसलिये वे बस गये वर्ना इस महकमे के भरोसे बसने की बात तो कुछ समझ में नहीं आती। अगर इस महकमे के भरोसे बसने की बात होती, तो फिर आज इस मुल्क में खानाबदोश और फुटपाथों पर रहने वाले क्यों होते ?

[श्री बागड़ी]

हां, कुछ लोग जरूर मिनिस्टर और बड़े बड़े आफिसर बन कर कोठियों और एयर कन्डीशन्ड मकानों में बस गये। जो लोग कहते हैं कि हम ने बसाया, उन लोगों पर उन का एहसान जरूर हो गया है, वर्ना उन लोगों को कौन जानता है, जो एयर कन्डीशन्ड मकानों में बैठकर उन पर एहसान की बात करते हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं कि जिला हिसार में एक झेंपा गांव है, जहां एक कांग्रसी भाई है। उन को अभी तक कोई जमीन एलाट नहीं हुई, लेकिन वह खुद ही बटाई लेता है और जितनी लूटिड प्रापर्टी है, सब उस के पास है। कोई उस को पूछने वाला नहीं है। इस बारे में कितना ही लिखा जाय, लेकिन महकमे से कोई जवाब नहीं आता है क्योंकि वह उन की खुशामद के लिये तैयार रहता है।

मैं यह छोटी छोटी बातें इस महकमे के बारे में आप के सामने रखना चाहता हूं। यह महकमा फिर बसाऊ नहीं बल्कि फिर उजाड़ है। लेकिन जो लोग इस देश में आये हैं, वे समझदार लोग थे और उन को इस देश से स्नेह था। उन लोगों ने छाबड़ी लगा कर या कोई और काम-धंधे कर के और हमारी मां बहनों ने लोगों के घरों में कपड़े धो कर और बर्तन साफ कर के अपने आप को आबाद किया। और अब अगर यह कहा जाय कि मिनिस्टर साहब ने या इस महकमे ने उन को आबाद कर दिया, तो यह उन के साथ खिलवाड़ और मजाक है। उन को आबाद क्या कर दिया, वे खुद आबाद हो गये।

सी० पी० डब्ल्यू डी० के बारे में मैं सिर्फ राजघाट का जिक्र करूंगा। वहां पर गांधी जी की समाधि बनाने के लिये १,२३ लाख रुपया दिया गया है और वह काम सितम्बर, १९६२ में मुकम्मल होगा। महात्मा गांधी वह इंसान थे, जिन्होंने दुनिया के हर एक मजहब से ऊपर उठ कर दुनिया में मानवता का जज्बा पैदा करने के लिये अपने जीवन की बाजी लगाई। जब देश फिर्कापरस्ती की आग में दहन हो रहा था, देश में चारों तरफ अंधरा छाया हुआ था, तो कौन था, जिसने देश को बचाया वह महात्मा गांधी थे, वह महात्मा गांधी का पवित्र रक्त था, जो बिड़ला भवन में बखेरा गया। यह उसी खून की देन है कि हम और आप सब बैठे हैं, और यह हिन्दुस्तान जिन्दा है।

जिस जगह पर हम ने बापू जी की समाधि बनाई है वह वह जगह है जहां पर हम ने उनका दाह संस्कार किया था। लेकिन जिस ने हिन्दुस्तान को जिन्दगी बख्शी, सारी दुनिया को मानवता की सीख दी, हिन्दू मुस्लिम एक ता की खातिर जिसने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसकी खातिर वह अपने आपको तबाह और बरबाद कर देना चाहते थे, उस पूज्य बापू को कौन नहीं जानता। जिस जगह उस महान् पुरुष ने अपने प्राण दिये, वहां पर उसका खून, पवित्र खून, एक महान देवता का खून, आज किसी एक पूंजीपति के जूते के चटकारे के नीचे तड़प रहा है और हम उस जगह पर उसकी यादगार नहीं बना सके हैं। आज तक दुनिया में इस तरह के किसी महान तेजस्वी तथा योगि की शहादत के साथ इतनी बड़ी गद्दारी किसी देश में नहीं हुई है।

आज यह डींग मारी जाती है कि हम ने राजघाट बना दिया। लेकिन सही चीज क्या थी जो आप को करनी चाहिये थी। मैं अर्ज करूं कि सब से बड़ी हमारी जो यादगार होनी चाहिये थी वह उस खून के स्थान पर होनी चाहिये थी जहां उन्होंने प्राण त्यागे थे। वह इतनी बड़ी यादगार होती कि सारा एशिया और एशिया ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को हम रोशनी दिखाते और दुनिया को बता देते कि यह अमर शहीद बापू का स्मारक है, यह वह जगह है जहां वह शहीद हुए थे, यह वह शहादत है जिस ने फिर्कापरस्ती के जनून को खत्म किया। बापू जी चाहते थे कि काले और गोरे में जो रंगभेद किया जाता है, वह मिटना चाहिये। उनका आदर्श महान् । । जरूरत इस बात की थी वहां पर कुछ करके दुनिया को रोशनी दिखाई जाती और वह स्थान एक मशाल का काम करता।

लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहब, आज जब ये सज्जन जाते हैं तो वोट तो मांगते हैं गांधी जी की दुहाई दे कर, गांधी जी के नाम पर और उन्हीं की बदौलत यह जीत कर आये हैं। गांधी जी का लेबल दिखा कर के, उन्हीं के नाम पर वोट पा कर . . . .

एक माननीय सदस्य : आप कैसे आये हैं ?

श्री बागड़ी : मैं बापू का सही भक्त हूं, मैं बिड़ला की बदौलत यहां नहीं आया हूं। मैं बिड़ला का भक्त नहीं हूं। मैं उनके नाम पर आज भी सर्वस्व न्यौछावर करने के लिये तैयार हूं। आपकी तरह से मैं नहीं हूं कि जब सभा में बैठते हैं तब तो कहा जाता है, "रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब को सन्मति दे भगवान", लेकिन जब बटवारे की जगह बठते हैं तब कहते हैं, "नेहरू नेहरू तेरो नाम, रिश्वत परमिट दे भगवान"।

पंद्रह साल से हिन्दुस्तान की जंगलों में रहने वाली जनता, पांच लाख गांवों में रहने वाली जनता को यह इल्म ही नहीं है कि उनकी जहां शहादत हुई थी, उनके महान बापू ने जहां पर अपने प्राण त्यागे थे, उस जगह आज तक कौमी स्मारक नहीं बनाया गया है। ४५ करोड़ जनता को मासिवाय दो तीन करोड़ को छोड़ कर बाकी को यह मालूम नहीं है। मैं चाहता हूं कि या तो ये लोग अमर शहीद बापू को आज से राष्ट्रपिता कहना छोड़ दें और अगर राष्ट्रपिता कहते हैं तो राष्ट्रपिता के खून की कद्र की जाये, यह कितने अफसोस की बात है।

मैं आप को उदाहरण देना चाहता हूं। जहां पर भगवान राम जन्मे और जहां भगवान राम लोप हुए वहां पर जहां लोप हुए थे तीन मील लम्बा चौड़ा जो स्थल है, उसको नेशनलाइज्ड किया हुआ है, यानी वह स्थल कौम का है। जहां पर भगवान कृष्ण के भील ने बाण मारा, वह मीलों मील की जो भूमि है, वह कौम की है। मैं पूछना चाहता हूं कि गुरुद्वारा शीश गंज और गुरुद्वारा रकाब गंज, इन दोनों गुरुद्वारों में से कौन सा गुरुद्वारा पहले बना था। गुरुद्वारा शीशगंज एक शहीदी जगह है जहां पर दाह संस्कार हुआ था। गुरुद्वारा रकाब गंज तो अब बन रहा है। गुरुद्वारा शीश गंज पहले बना था। यह डींगमारी जाती है कि गांधी जी की समाधि बना दी गई है, एक स्मारक बना दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि वहां पर आपने रखा क्या है ? दो आने की ऐनक उठा करके वहां पर आप ने रख दी और कह दिया कि यह बापू का स्मारक है। बिड़ला बापू की आप जयजयकार करते हैं और उस भूमि को एक्वायर करने का नाम तक नहीं लेते। उस स्थल पर गांधी जी का स्मारक बनाते हुए आप हिचकिचाते हैं। यह वक्त का तकाज़ा है कि आप इस तरफ ध्यान दें। हिन्दुस्तान की जनता के मन में अगर कभी अपने बापू के प्रति श्रद्धा उपजेगी तो हिन्दुस्तान की जनता ही नहीं बल्कि आने वाली नस्लें भी, आने वाली जैनरेशंज भी, आपको अगर आपने ऐसा नहीं किया तो माफ नहीं करेंगी। मैं इस बात पर नाज़ करता हूं कि विरोधी पक्ष का सदस्य होते हुए भी मुझ में गांधी भक्ति की भावना है, लेशमात्र शक्ति तो है कि कह सकूं कि गांधी के स्मारक के लिए वह स्थान सब से उपयुक्त है। लेकिन मुझे लज्जा आती है जब मैं देखता हूं कि ये ट्रेजरी बैंचिज़ पर बैठने वाले लोग, ये लोग जोकि हुकूमत की बागडोर सम्भाले हुए हैं, बाहर जा कर तो गांधी का नाम लेते नहीं थकते हैं लेकिन आज जब यहां पर गांधी की बात चलती है तो इस तरीके से चुप हो जाते हैं जैसे इनको सांप सूंघ गया हो, जिक्र करते हुए भी इनको डर लगता है। पूज्य बापू स्वर्ग में हैं, यह ठीक है लेकिन बिड़ला बाबा तो यहां बैठे हैं, उन से तो आज इनको बड़े काम पड़ते हैं, अगर उनको नाराज़ कर दिया तो पैसा इलकशन के लिए कहां से मिलेगा। जो कौम वक्त के साथ नहीं चलती है, आने वाली नस्लें उससे पूछा करती हैं और उसका जवाब तलब किया करती हैं और उसको धिक्कारा करती हैं। मैं अर्ज़ करता हूं कि बहादुर

[श्री बागड़ी]

शाह ज़फर के वास्ते क्या किया है। जज़ीरा अन्दमान के अन्दर एक छोटी-सी कब्र है। उसके ऊपर लिखा है कि इस आखिरी मुग़ल शहनशाह के लिए मदद दो, इस कब्र की रिपेयर के लिए मदद दो। वहां एक पैसा नहीं जाता है। यह वह जगह है जहां पर शहज़ादों ने अपने सिर दिये थे, जिन के सिरों को अंग्रेज़ों ने अलग करवा दिया था। लेकिन एक पैसा नहीं दिया जाता है। पैसा कहां से दिया जा सकता है। इनको तो पैसा एयरकंडिशनिंग के लिए चाहिये, बंगले बनाने के लिए चाहिये, ठाठ बाठ से रहने के लिए चाहिये। कहा जाता है कि बड़े बड़े हम ने काम कर दिये हैं, अशोका होटल बना दिया है, यह बना दिया है और वह बना दिया है। अशोका होटल किसलिए बनाया है, पैसे के लिए बनाया है, वह आप को नफा दे रहा है। आपको पैसे का, माया का मोह छोड़ना होगा, छोटी सी सम्पत्ति का मोह त्यागना होगा। बिड़ला साहब के पास बहुत बड़ी जायदाद है। अगर वह इस जायदाद के बदले जायदाद ही मांगते हैं तो उनको आप जायदाद दे दें। मीलों मील रकबा बापू के नाम पर हिन्दुस्तान की जनता न्यौछावर कर सकती है। हिन्दुस्तान की जनता बापू के नाम पर आपकोवोट दे कर गलत तरीके से हुकूमत चलाने के लिए यहां पार्लियामेंट में भेज सकती है, आपके हाथ में देश की बागडोर थमा सकती है, तो बापू के नाम पर अगर उनका आप सही स्मारक बनाते हैं तो अपना खून भी दे सकती है, सर्वस्व कुर्बान कर सकती है। आप छोटे छोटे किसानों की छोटी छोटी ज़मीनें बिना उनकी रज़ामन्दी के और बिना दस दस साल तक मुआवज़ा दिये हुए एक्वायर कर लेते हैं लेकिन इस बिड़ला सेठ की तरफ जब आप देखते हैं तो आपकी आंखें पथरा जाती हैं। यह बिड़ला सेठ की जायदाद नहीं है, यह स्थल एक महानुभाव से सम्बद्ध है। आने वाली जेनरेशन देखेगी कि यह बिड़ला हाउस ही था जहां पर गांधी जी के चरणों में बैठ कर पंडित नेहरू ने आज़ादी की शिक्षा ली थी, यही वह जगह है जहां पर बैठ कर हिन्दुस्तान की किस्मत का फैसला हुआ करता था, यही वह जगह है, जहां पर बापू का खून हुआ था, जहां पर बैठकर उन्होंने फिर्कापरस्ती के खिलाफ मोर्चा लिया था। अगर आप इसको इतिहास से निकाल देते हैं तो फिर बाकी क्या रह जाता है। इसको छोड़ कर अगर आप कहते हैं कि गांधी जी का स्मारक आपने बनादिया है तो वह हमारी समझ में नहीं आता है। इतना बड़ा किसी देश में अन्याय नहीं हुआ जितना बड़ा यहां हो रहा है। राष्ट्रपिता की शहीदी जगह को प्राप्त करने के लिए और वह राष्ट्रपिता जिस को सत्तारूढ़ पार्टी भी राष्ट्रपिता मानती है, अगर किसी को आन्दोलन करना पड़ता है और उसकी जरूरत महसूस होती है तो यह बड़ी निर्दयता और निर्लज्जता की बात है। इस तरह की निर्लज्जता का कर्म इस सरकार के कर्मों के अन्दर दूसरा नहीं मिल सकता है। कल को अगर हज़ारो आदमी इकट्ठे होते हैं और जा कर वहां पर प्रण लेते हैं कि हम इस देश में फिर्कापरस्ती को खत्म करना चाहते हैं और खत्म करेंगे, उस पवित्र आत्मा के सामने जाते हैं जिसने फिरकापरस्ती को खत्म करने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया था, उस मन्दिर में जाते हैं, तो क्या परिस्थिति बनेगी ? मैं मन्दिर शब्द का मज़हब के नाते प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब एक हैं। उस मन्दिर में जा कर अगर लोग संकल्प करते हैं कि हम इस देश के लिए काम करेंगे, इस देश के लिए उपयोग करेंगे, चर्खा कातेंगे, तो इस तरह का प्रण करने के लिए राजघाट से ज्यादा पवित्र वह स्थान है जहां पर उनका खून हुआ था, जहां पर उनका खून बहा था, जहां पर देश को और दुनिया को उन्होंने शान्ति का सन्देश दिया था, युगों युगों और बरसों बरस रह कर देश की किस्मत का फैसला किया था। यह वही जगह है जहां पर उन्होंने अपने सांस की आखिरी घड़ियां गिनी थीं और दम तोड़ा था। अगर उस पर हज़ारों लोग श्रद्धा रखते हैं तो क्या पाप करते हैं। अगर वहां पर लोग जा कर प्रण करना चाहते हैं तो क्या बिड़ला जी का डंडा आड़े आयेगा, सरकार का डंडा आड़े आयेगा और लोगों का कौम परस्ती के रास्ते पर चलना गुनाह माना जायेगा और फिर वहां सिर फुटव्वल करेंगे ? क्या परिस्थिति होगी, इस पर आप विचार करें। मस्जिद में जा कर नमाज़

पढ़ना तो जायज है, मन्दिर में जाकर माला फेरना तो जायज है, गुरुद्वारे में जा कर सिर टेकना तो जायज है लेकिन मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की इजजत करने वाले बापू के शहीदी खून की जगह पर जा कर अगर हिन्दुस्तानी लोग अपने बापू के प्रति मस्तिष्क झुकाते हैं, सिर टेकते हैं, तो क्या इसको गुनाह माना जायेगा ? अगर गुनाह माना जायेगा तो यह आपका कानून भी टूटेगा, यह सरकार भी टूटेगी और हिन्दुस्तान की जनता इसको कभी किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : जहां महात्मा गांधी शहीद हुए थे वहां एक स्थायी स्मारक बनाया जाय इस सम्बन्ध में श्री बागड़ी का भाषण सुन कर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं? परन्तु इससे पूर्व मैं कुछ अन्य बातें करना चाहता हूं। संसद् में एक पुस्तकालय है उस पुस्तकालय में बैठकर पुस्तकें अथवा पत्रिकाओं के पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। गर्मियों के दिनो में यह कठिनाई और भी बढ़जाती है। मेरा निवेदन है कि इस पुस्तकालय को वातानुकुलित बनाया जाना चाहिये ताकि सदस्यों को पढ़ने में कठिनाई न हो। इस कार्य को जितना जल्दी हो सके पूरा किया जाना चाहिये।

एक शिकायत यह भी है कि जो लोग नार्थ अथवा साउथ एवेन्यू में रहते हैं उनकी आवश्यकताओं की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी शिकायतों को भी ठीक ढंग से सुना नहीं जाता। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को नार्थ एवेन्यू तथा साउथ एवेन्यू के निवासियों की आवश्यकताओं तथा शिकायतों की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये।

अब मैं पुनर्वास मंत्रालय की तरफ आता हूं। पता नहीं क्यों इस मंत्रालय को बन्द करने में इतनी शीघ्रता से काम लिया गया है। मेरा मत तो यह है कि पुर्नवास मंत्रालय को बन्द नहीं किया जाना चाहिये था। उसे कायम रखा जाना चाहिये था। ताकि जो समस्याएं बाकी रह गयी हैं उनका संतोषजनक ढंग से निपटारा किया जान सकता।

लगभग ५० लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये हैं, मेरा विचार है कि और भी आयेंगे, और यह आना जारी रहेगा। वहां हिन्दुओं को लूटा जा रहा है। पता नहीं हम उन सबको स्थान कैसे दे सकगे। हमें पाकिस्तान से कुछ राज्यक्षेत्र जिस पर शरणार्थियों को बसाया जा सके, मांगने के प्रश्न पर विचार करना चाहिये। इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। परन्तु हमें पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिए द्वार खुले रखने चाहियें क्योंकि उनके लिए हम जिम्मेदार हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि विस्थापित व्यक्तियों ने पश्चिम पाकिस्तान में ४०० करोड़ रुपये की सम्पत्ति छोड़ी थी जब कि भारत में केवल १०० करोड़ रुपये की निष्क्रांत सम्पत्ति है। सरकार को पाकिस्तान सरकार से शेष ३०० करोड़ रुपये की मांग करनी चाहिये। लाकरों आदि के संबंध में बातचीत और करार करने से कोई लाभ नहीं है जबकि हमारी करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का प्रश्न अभी तक तय नहीं हुआ है। जब तक वहां से हिन्दु समाप्त नहीं हो जाते तब तक वे बराबर भारत आते रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान किसी भी प्रकार से अल्पसंख्यकों को सहन नहीं करेगा।

देश में गन्दी बस्तियां बहुत हैं। पठानकोट जैसे छोटे शहरों में भी बनती जा रही हैं ? उनको हटाने के लिए कदम उठाये जाने चाहियें। सरकार को संभरण तथा निपटान विभाग के

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

निरीक्षण कर्मचारियों पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिये । यद्यपि संभरण विभाग अच्छा कार्य कर रहा है इस बात के लिए कदम उठाये जाने चाहिये कि निपटान विभाग कुछ नियमों तथा विनियमों का, विशेषकर, नीलामी, बिक्री आदि के संबंध में पालन करें। हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी को भी अपने अन्दर समुचित परिवर्तन करना चाहिये ।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत): उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं इस मंत्रालय से सम्बन्धित सी० पी० डब्लू० डी० पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। सी० पी० डब्लू० डी० के सम्बन्ध में काफी सालों से यह माना जाता है कि उस में भ्रष्टाचार विद्यमान है और उसके द्वारा जो जो काम होते हैं, जो जो इमारतें बनती हैं, उनमें काफी गोल-माल और करप्शन चलती है। इस बारे में अपनी ओर से कुछ अधिक न कहकर मैं आप का ध्यान पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की १९६१-६२ की रिपोर्ट की तरफ खींचना चाहता हूं, जिसके पेज ९१ से लेकर १०९ तक ऐसी मिसालें दी गई हैं, जिन से ज़ाहिर होता है कि इस विभाग के अन्तर्गत कितनी गड़बड़ है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उस में से ज्यादा क्वोट कर सकूं, लेकिन फिर भी दो चार बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा ।

कलकत्ता में फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लिए एक गोडाउन बनाया गया था, लेकिन बनने के थोड़े दिनों बाद उस के दो यूनिट गिर गए। उसके बारे में एक एन्क्वायरी भी हुई थी, लेकिन पता नहीं, उस का क्या परिणाम हुआ ?

विज्ञान भवन के बन कर तैयार होने के साल भर बाद ही उस के डोम में क्रैक हो गया।

चीफ टेक्निकल एग्जामिनर ने बताया है कि १९५७ से लेकर १९५९ तक सी० पी० डब्लू० डी० के कन्ट्रैक्टरज़ को ७८६ केसिज़ में २०,७६,५१४ रुपये का ओवर-पेमेन्ट किया गया।

इसी तरह से अगर भोपाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्ज़ की इमारत की कंस्ट्रक्शन की अच्छी तरह से देखभाल की जाती, तो ४ करोड़ रुपये के काम में ८० से ९० लाख रुपये की बचत हो सकती थी, लेकिन बैड क्राफ्ट्समैनशिप और भ्रष्टाचार की वजह से वह नुक्सान हो गया ।

जब पन्त जी जीवित थे, तो उन्होंने दिल्ली की इमारतों के विषय में एक एन्क्वायरी कराई थी। तीस हज़ारी की अदालत की बिल्डिंग और नारी निकेतन की इमारत में काफी डिफेक्ट्स थे और इस सिलसिले में काफी रुपया अकारण ही व्यय किया गया

इन मिसालों से ज़ाहिर होता है कि करप्शन और रिश्वत की एक लम्बी चेन है, जो कि सी० पी०डब्लू०डी० के साथ बंधी हुई है। इस बारे में बहुत कुछ कहने सुनने के बाद मंत्रालय ने तय किया कि करप्शन के सिलसिले में एक एन्क्वायरी कमेटी बिठाई जाये। उस कमेटी में ज्वायंट सेक्रेटरी, डब्लू० एच० ऐस० मिनिस्ट्री, चीफ इंजीनियर, इंस्पैक्टर जेनरल आफ़ पुलिस, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर और डिप्टी सेक्रेटरी, डब्लू० एच० एस० मिनस्ट्री थे। पता नहीं, उस कमेटी ने क्या काम किया और वह किस नतीजे पर पहुंची। अभी तक इस बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। न ही उस के बारे में इस हाउस में कुछ बताया गया है ।

मैं समझता हूं कि जो लोग सी० पी० डब्लू० डी० से सम्बन्धित हैं, वे भला करप्शन के सिलसिले में क्या सजेशन दे सकेंगे और कैसे उसका निराकरण कर सकेंगे। एक भद्दी सी कहावत है कि जो आदमी चोर है, अगर उसको चोरी रोकने के लिए कहा जाये, तो फिर चोरी कैसे रुक सकती है। इस लिए मेरी डिमांड है कि करप्शन को दूर करने के तरीके सुझाने के लिए एक

हाई पावर कमीशन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और जिस का इस मंत्रालय से कोई सम्बन्ध न हो। ऐसा करने से तो इस बारे में अच्छी तरह से छान-बीन हो सकती है, अन्यथा यह कमेटी बेकार है और इस से कुछ भला होने वाला नहीं है।

चूंकि हमारे देश में इमारतों और दूसरे वर्क्स का काम रोज़-बरोज़ बढ़ता जा रहा है, इस लिए सी० पी० डब्लू० डी० का वर्क-लोड भी लगातार बढता जा रहा है। १९५४-५५ में वर्क-लोड १५ करोड़ रुपए था, जब कि अब वह बढ़कर १८ करोड़ रुपये हो गया है। इस स्थिति में अगर इस विभाग में भ्रष्टाचार में कमी नहीं की गई, तो देश को बहुत हानि पहुंचेगी। हमारा देश बहुत गरीब है। इसका प्लानिंग बाहरी मदद और टैक्सेशन से होता है। इसलिए भ्रष्टाचार में रोक लगाना बहुत आवश्यक है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मंत्रालय ने सी० पी० डब्लू डी० में एक कैटेगराइज़ेशन कमेटी बिठाई, जिस ने उस विभाग की पोस्ट्स को अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और सुपरवाइज़री आदि कैटेगरीज़ में बांटा। वह एक अच्छी योजना है और में चाहता हूं कि जितनी जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके अच्छा है।

सी० पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत हाल ही में नई दिल्ली की सड़कों पर २८७ ट्यूबवैल्ज़ बनाए गए हैं और हर एक सड़क पर दो तीन ट्यबवैल्ज़ हैं। उन पर दस लाख रुपया खर्च हुआ है। इस विभाग का ख्याल है कि बरसात में इन ट्यबवैल्ज़ के द्वारा पानी को पम्प आउट कर दिया जायगा और इस तरह सबसायल वाटर की दिक्कत को दूर कर दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस से कोई लाभ नहीं होने वाला है और जो रुपया खर्च हुआ है, वह भी अधिक खर्च हुआ है।

१९६० में जो भूकम्प आया था, उस से काफी इमारतों को हानि पहुंची थी और एक रिपोर्ट के अनुसार उस समय ५,२२,००० रुपये की क्षति हुई थी। जिन इमारतों को नुक्सान पहुंचा, उनमें नैशनल म्यूज़ियम, ब्राडकास्टिंग हाउस, अशोक होटल और रिज़र्व बैंक की इमारतें भी हैं, जिस में पांच क्रैक हो गए थे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से इस बात का निरीक्षण कर लें कि जो मरम्मत हुई है, उस से कुछ लाभ हुआ है या नहीं और आईन्दा उन इमारतों को कोई आशंका तो नहीं।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो एग्ज़ाम्पल्ज़ मेरे सामने हैं, उन से साबित है कि डिज़ाइन और प्लानिंग की मुकम्मल डीटेल्ज़ हासिल किये बिना टेन्डर काल कर लिए गए और काम शुरू कर दिया गया, जिस का नतीजा यह हुआ कि काफ़ी ज्यादा एक्सपेंडीचर हुआ, अधिक रुपया व्यय हुआ। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब तक प्लानिंग और डिजाइन की डीटेल्ज सामने न आ जाय, तब तक काम शुरू न किया जाये।

करप्शन की सब से बड़ी चीज़ सीमेंट और स्टील है, जो कि ब्लैक मार्केट में बेची जाती है, जिससे नुक्सान होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्टील का प्रयोग कम से कम हो और स्टील के मुकाबले में कन्क्रीट, री-इन्फ़ोर्स्ड कल्क्रीट और प्री-स्ट्रेस्ड कन्क्रीट और इस के साथ ही लकड़ी और एलुमिनियम का इस्तेमाल किया जाये।

स्टील अगर कम खर्च होगा तो फारेन एक्सचेंज की बचत होगी। मैं समझता हूं कि हालो प्लेट और हालो कनक्रीट ब्लाकस जो छः छः और आठ आठ मंजिला इमारतें बनती हैं, उनके अन्दर इस्तेमाल किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

मैं यह भी चाहता हूं कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाए। उसके बजाय डिपार्टमैन्टल तरीके से काम हो। ठेकेदारी प्रथा भ्रष्टाचार की जड़ है और इसी की वजह से ब्लैकमार्किटिंग

[श्री मोहन स्वरूप]

होता है और वे सामान को ब्लैकमार्किट में बेचते हैं। इससे बड़ी क्षत्ति होती है। अगर कहीं पर बहुत ही जरूरी समझा जाए तो ठेकेदार द्वारा काम हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके लिए कंस्ट्रक्शन सोसाइटीज़ बनाने का बढ़ावा दिया जाये, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन सोसाइटीज़ बनाये। एक सजैशन हुआ है और शायद गवर्नमेंट ने उसे मंजर भी कर लिया है। एक बिल्डिंग कंस्ट्रकशन कारपोरेशन बनाई गई है। इरिगेशन मंत्रालय में भी एक कारपोरेशन है। जिसे नैशनल प्राजैक्ट्स कंस्ट्रकशन कारपोरेशन कहते हैं। उसको ३,२५,००० रुपये लाभ हुआ है। जो बिल्डिंग कंस्ट्रकशन कारपोरेशन सी० पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत बन रही है वह एक अच्छी चीज है। मैं चाहता हूं कि इसी पैटर्न पर और भी कारपोरेशंज़ हिन्दुस्तान में बनें और उनके ज़रिये काम हो। ठेकेदार लोग टैकनीकल नो-हाऊ नहीं जानते हैं, काम खराब होता है और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। इंजीनियर और ओवरसीयर नहीं होते हैं,अगर ठेकेदार ही उनको बेईमान बनाते हैं। मेरा पुरज़ोर मुतालिबा है कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाये।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि फारेन डिज़ायनर्ज़ और फारेन बिल्डर्ज़ की राय से चंडीगढ़ में जो इमारतें बनी हैं, वे भद्दी सी इमारतें हैं? उनको देखने से ऐसा लगता है कि वह एक मज़ाक सा है। मैंने उन इमारतों को देखा है। फारेन कंसट्टैंट्स को बुलाना एक पुरानी प्रथा है जिसका अन्त होना चाहिये। उन पर इस तरह से रुपया खर्च करना ठीक नहीं है? फारेन डिज़ायनर्ज़ हमारे देश की परम्पराओं को नहीं जानते हैं, और हमारे देश की परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं और सिर्फ यूरोपियन कंडिशंज़ से वाकिफ़ होते हैं। मेरा सुझाव है कि इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: चंडीगढ़ को रहने दिया जाए या नहीं?

श्री मोहन स्वरूप: वह तो रहेगा, वह कहां जाएगा।

आपके जो टारगेट्स होते हैं, वे पूरे नहीं होते हैं और पूरे भी अगर होते हैं तो समय पर नहीं होते हैं। मैं चाहता हूं कि जहां तक हो सके काम में एफीशेंसी लाई जाए और टारगेट्स को पूरा किया जाए।

मैं यह भी चाहता हूं कि एक सैम्पल सर्वे कमेटी बनाई जाए ताकि जब काम खत्म हो तो वह देख सके कि जो भी मैटीरियल लगा है, वह ठीक लगा है या नहीं, जो सिमेंट लगा है, लोहा लगा है, सही लगा है या नहीं और उसके देख लेने के बाद ही फाइनल पेमेंट किया जाए।

अगर आप चाहते हैं कि इमारतें बड़ी तादाद मे बने तो आपको चाहिए कि आप देखें कि लोगों को काफी मात्रा में मैटीरियल मिलता है या नहीं, सिमेंट मिलता है या नही, लोहा मिलता है या नहीं और अगर नहीं मिलता है तो इसका इंतजाम करें।

सिमेंट के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि जब किसी काम में सिमेंट लगता है तो उसकी एक रेशो फिक्स्ड होती है और उस रेशो के हिसाब से बोरे दे दिये जाते हैं। लेकिन बोरों में सिमेंट कम होता है और इसका कारण यह है कि फैक्ट्रियों से जब सिमेंट आता है तो आते आते कुछ कम हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इमारतों में लगने वाले सीमेंट को रेशो के हिसाब से नहीं बल्कि वज़न के हिसाब से दिया जाये और उसी हिसाब से वह लगाया जाए। कोई प्राविज़न बनाया जाए कोई तरीका निकाला जाए ताकि सीमेंट वज़न के हिसाब से दियाजा सके। कंक्रीट बनाने में और प्लास्टर वगैरह के काम में यदि ऐसा किया गया तो एफिशिएंसी आ सकेगी।

कुछ हाउसिंग के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और सरकार कोशिश करने के बावजूद भी इसको पूरी तरह से हल नहीं कर पाई है। गांवों में जो मकानों की समस्या है वह क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की है और शहरों में सिर्फ क्वांटिटी की है और स्लम दूर करने की हैं, कंजेशन दूर करने की है। गांवों में जो स्थिति है वह बहुत खराब होती जा रही है इस वास्ते गांवों की समस्या के ऊपर सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। हिन्दुस्तान में कुल ५ लाख ५८ हजार गांव हैं जहां देश की ८० प्रतिशत आबादी रहती है। लेकिन खेद का विषय है कि ८० प्रतिशत आबादी के ऊपर तो २० प्रतिशत खर्च किया जा रहा है और जो २० प्रतिशत आबादी है उस पर ८० प्रतिशत रुपया खर्च किया जा रहा है। इस डिसपेरिटी को दूर किया जाना चाहिये और गांवों की जो हाउसिंग की समस्या है, उस पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये। गांवों में करीब ५४ मिलियन मकान बनने हैं और प्रत्येक पर पन्च सौ रुपया खर्च किया जाए तो २५०० करोड़ रुपया खर्च होगा। लेकिन तीसरे प्लान में बहुत थोड़ा रुपया खर्च करने के लिए रखा गया है। कुल १२०० करोड़ रुपया खर्च होना है जब कि फस्ट प्लान में ३८.५ करोड़ था और दूसरे प्लान में १२० करोड़ था। मैं चाहता हूं कि जो रकम है, वह बढ़नी चाहिये। अगर हाउसिंग की समस्या को हल करना है तो आपको सब से पहले गांवों की हाउसिंग की समस्या को हाथ में लेना चाहिये। गांवों की समस्या जब तक हल नहीं होती, शहरों को ही सुधारते रहने से, मुल्क का भला होने वाला नहीं है। गांवों को अधिक से अधिक इस मामले में प्रायोरिटी मिलनी चाहिये।

पहले और दूसरे प्लांज के दौरान में कुछ काम हुआ है लेकिन वह इंसिगनिफिकेंट है, नहीं के बराबर है। कहीं कहीं पर मकान हैल्थ मिनिस्ट्री के जरिये बने हैं, होम मिनिस्ट्री के जरिये शैड्यूल्ड ट्राइब्ज को कुछ रकम दी गई है, लेकिन उससे कुछ बना नहीं है और न ही इससे समस्या का कुछ समाधान हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप विशेष तौर पर इस ओर ध्यान दें।

मकान बनाने के लिये गांवों में लोगों को दो हजार रुपया दिया जाता है या ६६ २/३ उनको दिया जाता है। मैं समझता हूं कि दो हजार रुपये में कुछ हो नहीं सकता है। कच्चा मकान भी इससे नहीं बन सकता है। इस रकम को बढ़ाया जाना चाहिये और गांवों की उन्नति पर जोर दिया जाना चाहिये। मकानों पर कर्ज के लिये एन० ई० एस० ब्लाक्स और दूसरे महकमे जोर देते हैं। लेकिन किसान दो हजार में क्या कर सकता है। जब तक उसका मकान पक्का नहीं बन सकता है तब तक उसका काम नहीं चल सकता है। कच्ची दीवार और कच्चा छप्पर यदि उतार दिया जाता है या उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत कर दी जाती है तो इससे कुछ बनने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। वह दो हजार रुपया आपसे कर्ज के तौर पर लेना भी नहीं चाहता है। आपकी दूसरी योजनायें हैं, इंडस्ट्रियल हाउसिंग की है, प्लांटेशन हाउसिंग की है और उनमें सरकार आधी सबसिडी और आधा कर्ज देती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किसान को लोन की शक्ल में रुपया दिया जाता है। उसे अदा करने में दिक्कत होती है तो फिर कुर्की और नीलाम से वसूल किया जाता है और उसे कोई लाभ नहीं होता, किसान चाहता है कि उसको दो हजार नहीं अधिक रुपया मकान बनाने के लिए दिया जाए।

हिसाब लगाया गया है कि १५ करोड़ रुपया जो कि विल्लेज हाउसिंग में लगेगा तीसरे प्लान में उससे सिर्फ ३०,००० मकान बनेंगे। इस हिसाब से ५० मिलियन हाउसिस बनाने के लिये करीब १६०० साल चाहियें। जो रकम रखी गई है वह बड़ी इनसिगनिफिकेंट है और वह बढ़नी चाहिये। जो योजना होती है उस में मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा रुपया इस काम में लगाया जाए ताकि एक बार तो उससे कुछ लाभ हो सके। गांवों में केवल उन लोगों को रुपया मिलता है जिनकी कुछ हैसियत होती है या जो रुपये का रिपेमेन्ट कर सकते हैं। गरीबों को कुछ नहीं मिलता है। उनको उस से कोई

[श्री मोहन स्वरूप]

फायदा नहीं है। इसलिये गरीबों को इन योजनाओं की तरफ से जो हमदर्दी है वह हटती जा रही है। वे कहते हैं कि हमें इससे फायदा ही क्या है? तो इस सिलसिले में मेरा सजेशन है कि अगर रुपया न देकर सरकार मैटीरियल दे, इंटें दे, खपरैल दे दे, और २० या २५ सालों के अर्से में वसूल करे तो वह रुपया अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सकेगा और उससे उन लोगों का भी कुछ काम चलेगा। वह गरीब और अमीर दोनों का फायदा कर सकेगा।

मैं चाहता हूं कि जिस तरह से शहरों के लिये मास्टर प्लैन बनती है उसी तरह से जिलों के लिये भी मास्टर प्लैन बननी चाहिये और मास्टर प्लैन के अन्तर्गत गांवों की प्लैनिंग होनी चाहिये। अगर कोई बाकायदा प्लैनिंग नहीं होती और हैफेजर्ड वे में ही काम होता है तो उससे कोई भला होने वाला नहीं है। हाउसिंग के सिलसिले में एक नैशनल सैम्पल सर्वे हुआ था। उस में बतलाया गया था : कि ८५ प्रतिशत घरों में गारा नहीं, ८३ प्रतिशत घरों की गारे और बांसों की छतें हैं। ७० प्रतिशत घरों की छतों पर घास होती है। ७ प्रतिशत मकान ठीक ढंग से बने हैं। ९० प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं हैं। यह तो हाउसिंग की हालत है गांवों में। मकानों की जो कमी है उस सिलसिले में जो रिपोर्ट आपके सामने है। उसमें दिया गया है कि हमारे यहां दफ्तरों की कितनी कमी है। नई दिल्ली में जरूरत है ४६.०३ की, उसमें उपलब्ध स्थान है ४१.८४ और कमी है ४.१९ की, बम्बई में जरूरत है .२२ की, उपलब्ध स्थान है ५.४९, कमी है ०.७३ की। कलकत्ता में मांग है २१. ४ की, उपलब्ध स्थान है २०.५३। १.३१ की कमी है। इसी तरह से शिमला में जरूरत है ४.७२ की, उपलब्ध स्थान है ४.३८ और कमी है ०.३४ की। इस तरह से बड़े बड़े शहरों में मकानों की समस्या बहुत गम्भीर होती जा रही है। दिल्ली में अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें मुझे बताया गया कि कुछ लोगों को मकान बनाने की अनुमति दी गई। शायद वोट हासिल करने के लिये। जब वे मकान बन गये तो अब उनसे कहा जा रहा है कि वे अनधिकृत हैं और उनको गिराने की कार्रवाई हो रही है। अभी कारपोरेशन के सामने एक प्रदर्शन हुआ था। उसमें उनकी मांग यह थी कि इस तरह के जो मकान बनाये गये हैं उन को गिराया न जाये। एक तरफ तो मकानों की दिक्कत है और दूसरी तरफ सरकार अनधिकृत का सवाल उठाती है। जो मकान बनाये गये हैं उनकी आवश्यकता तो है ही। जब उनकी कमी है तो मेरी अक्ल काम नहीं करती कि उनको गिराने का सवाल क्यों उठता है। उनको किसी तरीके से काम में लिया जान चाहिये और इस किस्म की जब परेशानी है तो उनको और ज्यादा दिक्कत में नहीं डालना चाहिये। यह एक वेलफेअर स्टेट के लिये शोभा नहीं देता है।

दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं दिल्ली में। कई लोग मेरे पास आते हैं। मैं नहीं समझता कि उन लोगों के साथ इस तरह की बात क्यों हो रही है। अभी कुछ दिन हुए चीफ कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि करीब ५०,००० मकानों की जरूरत होगी जिनमें कि झग्गी झोंपड़ी वालों को बसाया जा सके। इसके लिए जमीन एक्वायर की जा रही है। दिल्ली के आस पास। दिल्ली के आस पास गांव उजाड़े जा रहे हैं और शहर बसाने की बात हो रही है। लेकिन जब तक मकान नहीं मिल जायेंगे। झुग्गी झोंपड़ी वालों को परेशानी होनी है। उनके सामने प्रश्न यह है कि आजकल की गर्मी के जमाने में जब कि बाहर निकलना भी मुश्किल है, वे किस तरह से अपने बच्चों को रखें। तो यह जो मकानों की समस्या है इस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये, और इसको मिसी तरह से हल करने की ओर तवज्जह करनी चाहिए, तभी यह दिक्कतें दूर हो सकती हैं।

इसी के साथ साथ एक छोटी सी चीज और है जिस पर मैं तवज्जह दिलाना चाहूंगा। वह है यहां के किरायों का सवाल, जो एस्टेट आफिस की बनाई हुई इमारतें हैं, उनके किरायों का सवाल।

उनके किरायों के एरिअर्स सन् १९५४ में १८.१ लाख रु० के थे, जो कि बढ़ कर सन् १९५६ में २७.३७ लाख रु० के हो गये। । मेरे पास और फिगर्स नहीं हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रपोर्ट के पेज १०९ पर विस्तार से सब कुछ दिया गया है बकाया के बारे में। तो जो एरिअर्स हैं उनको वसूल करने की तरफ मंत्रालय का ध्यान जाना चाहिये, और आगे के लिये इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये क एरिअर्स न चल सकें क्योंकि इससे गवर्नमेंट को हानि हो रही है।

एक चीज अशोक होटल के बारे में भी कहना चाहूंगा। उसमें एक कमेटी बनाई गई थी दि होटेल स्टैन्डर्डस ऐंड रेट स्ट्रक्चर कमिटी। उसके अन्तर्गत यह कहा था कि सर्विस चार्जेज अलाउड हैं। अशोक होटल में १२॥ परसेंट सर्विस चार्जेज होते हैं क्योंकि वहां टिपिंग अलाउड नहीं है। जो भी वहां ठहरते हैं वे वहां के बेअरर्स को टिप नहीं दे सकते। इसलिये वहां पर टिपका सिस्टम नहीं है, वहां पर सर्विस चार्जेज का ही सिस्टम है, जैसा कि दूसरी जगहों में होता है। ८३ परसेंट अकुपैन्सी के हिसाब से सर्विस चार्जेज ४,००० से ५,००० रु० तक आते हैं। चूंकि होटल की अकुपैन्सी अब बढ़ कर ८४ परसेंट हो गई है इसलिये इसका ही हिसाब लगाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जो सर्विस चार्जेज होते हैं उसका मकसद है कि जो वहां के एम्पलायीज हैं उनका लाभ हो सके। उनके वेलफेअर के लिये यह चीज होती है। लेकिन इसका ५,००० रु० जो आता है वह एम्प्लायीज को न मिल कर पता नहीं कहां चला जाता है। मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में ज्यादा ध्यान दिया जाय।

अशोक होटल में ओवरस्टाफिंग बहुत है। कोई १४५० आदमी हैं, लेकिन वहां पर एफिशिएन्सी बहुत कम है। मैं खुद भी दो एक बार वहां पर गया हूं। मेरे जो मित्र वहां रहते थे उन्होंने बतलाया कि वहां की सर्विस बहुत इनएफिशिएन्ट है। योरप आदि में जो होटल हैं वहां एक बेड पर एक आदमी के लगभग बैठता है, लेकिन जो इंडियन होटल हैं, जैसे ताज है, ग्रान्ड है, इम्पीरिअल है, वहां पर २.५ आदमी के लगभग बैठते हैं एक बैड पर, लेकिन अशोक होटल में ३.४ आदमी बैठते हैं। यानी जो दूसरे हिन्दुस्तान के होटल हैं उन के मुकाबले में .९ स्टाफ ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि इस सिलसिले में छान बीन की जाय और जो स्टाफ अधिक है, इनएफिशिएन्ट है, उस को दूर किया जाय।

कभी कभी ऐसा होता है कि अशोक होटल में जो गेस्ट ठहरे होते हैं वे कहते हैं कि हम वहां ठहरे हुए हैं, लेकिन जब फोन किया जाता है, तो कह दिया जाता है कि इस किस्म का कोई आदमी होटल में है ही नहीं। इस से स्पष्ट है कि अशोक होटल में कोई अकाउंट नहीं रखा जा रहा है कि कौन आदमी आया और कौन आदमी गया।

अध्यक्ष महोदय : पेमेन्ट भी न करते होंगे ?

श्री मोहन स्वरूप : इस में जो इनएफिशिएन्सी है उसे दूर किया जाना चाहिये।

इसी के साथ साथ वहां पर ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। आज वह चीज नहीं है। जो वेअरर्स हैं, दूसरे लोग हैं उन की अच्छी तरह से ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। जो सुपरवाइजरी स्टाफ है उस में एक स्विस मैनेजर था। उस की जगह कोई अच्छा और एक्सपीरिएन्स्ड आदमी होना चाहिये जो कि पूरे होटल की तमाम बातें जानने वाला हो। मुझे अभी बतलाया गया कि कोई मि० वर्गीज हैं जो कि इंडियन हाई कमिशन में बटलर थे।

अध्यक्ष महोदय : आप इन इस तरह की बातों में यहां न जायें।

श्री मोहन स्वरूप : उन को विवरेज मैनेजर बना दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं । आप ऐसी बातों में न जाइये ।

श्री मोहन स्वरूप : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि होटल की एफिशिएन्सी बढ़ाने की तरफ सरकार तवज्जह दे ।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर) : हमें एक बात समझ लेनी चाहिये कि पूर्व पाकिस्तान से अल्पसंख्यक लोग पाकिस्तान के दबाव के कारण, जिस में वहां की सरकार के प्रभारी व्यक्तियों का भी सहयोग है, भारत आ रहे हैं । जब तक काश्मीर का प्रश्न हल नहीं होता भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे सम्बन्ध होने की कोई संभावना नहीं है और हिन्दुओं को वहां से निरन्तर निकाला जाता रहेगा ।

पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं का भारत पर उतना ही अधिकार है जितना कि हम लोगों का है । वर्तमान स्थिति भारत के विभाजन के कारण उत्पन्न हुई है, उनकी किसी गलती के कारण नहीं । इसलिये उन लोगों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करें और जो लोग भारत आये हैं,अथवा आना चाहते हैं उनको रहने का स्थान तथा अन्य सुविधायें देना भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है ।

जिन भारतीयों को पाकिस्तान से भारत आना पड़ रहा है । उन पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति खत्म की जानी चाहिये । उनको वे समस्त लाभ और सुविधायें दी जानी चाहियें जो ऐसे व्यक्तियों को पहले दी गयी थीं । जब तक हम दोनों सरकारों के बीच सद्भावना नहीं उत्पन्न कर सकते तब तक उनको भारतीय मानना हमारी जिम्मेदारी है । यह हमारा कर्तव्य भी है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने राज्य के मित्र, श्री पी० आर० चक्रवर्ती, की इम्पशन्ड स्पीच को बड़े ग़ौर से सुन रहा था । मेरी समझ में नहीं आया कि उन को यह खयाल कैसे हो गया कि हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान पुनः इस में आ कर मिल जाये । उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के शब्दों को क्वोट किया । पता नहीं, वह कब की बात है ? मुझे तो याद नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा हो कि पाकिस्तान हमारे साथ मिल जाये । यह एक ग़लत ख़याल है । प्राइम मिनिस्टर ने इस सदन में भी और बाहर भी कई बार कहा है कि अगर पाकिस्तान हम से मिलना चाहता हो, तो भी हम उस को मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य को यह धारणा कैसे हो गई कि हम लोग पाकिस्तान को अपने साथ मिलाना चाहते हैं ।

म अपने मित्र, श्री डी० सी० शर्मा, के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री को पुनर्जीवित किया जाये । वह तो दीवान हैं और चाहते हैं कि वही पुराना राज्य रहे । मैं कहना चाहता हूंपकि रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री का काम बहुत कम हो गया है । जो लोग पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आये थे, वे करीब करीब बस चुके हैं । इस बात से मैं सहमत हूं कि जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले हैं, या आयेंगे, उन के लिए दरवाज़ा बन्द नहीं करना चाहिए और उन को वही फ़सिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो कि पहले आने वाले लोगों को मिली थीं । अगर उन के पास खाने के लिए न हो, तो उन को डोल्ज़ दिये जायें और जब तक उन को सैटल और रीहैबिलिटेट नहीं किया जाता है, तब तक उन के डोल्ज़ न रोके जायें । लेकिन देखना यह है कि अब मिनिस्ट्री को और कितना काम करना है । यह तो उचित नहीं है कि दो, चार, पांच, दस हज़ार आदमी और आयें और उन के लिए मिनिस्ट्री का सारा पैराफ़ेरनेलिया कायम रखा जाये और उस पर इतना ज्यादा ख़र्च किया जाये । इस लिए मैं श्री शर्मा की राय से सहमत नहीं हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं मिनिस्ट्री आफ़ वर्क्स, हाउसिंग एंड सप्लाई के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कामों का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। पुराने ज़माने में, या बीस पच्चीस वर्ष पहले, उस का स्टैंडर्ड ऊंचा था, लेकिन आज वह गिरता जा रहा है। इस का कारण क्या है ? कुछ लोग कहते हैं कि इस विभाग में करप्शन बढ़ गया है और उस को वे क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं करप्शन के बारे में कुछ नहीं कहता--इसलिए नहीं कहता कि अब तो चिराग़ नहीं, टार्चलाइट से भी खोजने लगें कि कहां ईमानदार आदमी मिलेगा, तो शायद इस डिपार्टमेंट में मुश्किल से ही पा सकेंगे। इसलिए उस सम्बन्ध में कुछ कहना फिजूल है। लेकिन इस बारे में डिस्टर्बिन्ग फ़ैक्टर यह है कि करप्शन प्रिवेलेन्ट हो, तो हो, लेकिन जो काम का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, उस से देश का बहुत नुकसान हो रहा है।

अभी जो मित्र चन्द मिनट पहले बोल रहे थे, उन्होंने दिल्ली के मकानों का हवाला दिया कि कैसे वे बने, कैसे उन में फ़िशर्ज़ हुए, कैसे वे टूटे और कैसे उन पर मरम्मत के लिए पैसा खर्च करना पड़ा। दिल्ली में इतने काल तक रहने के बाद हम लोगों को मालूम हो गया है कि दिल्ली में मकानों की कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड कितना लो हो गया है और कितनी बार नये मकानों की मरम्मत करानी पड़ती है। अगर माननीय मंत्री जी को इस बात पर विश्वास न हो, तो हम लोग उन को इनवाइट करते हैं कि जहां हम लोग रहते हैं, वे वहां चल कर देखें।

श्री मेहर चन्द खन्ना : क्या खाना खिलायेंगे ?

श्री हा० ना० तिवारी : मैं छपरा ज़िले का हूं। हमारे यहां का सत्तू मशहूर है। मैं सत्तू दे सकता हूं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : सत्तू नहीं, खाना।

अध्यक्ष महोदय : खाना खिलाने से मकानों की हालत और ज्यादा बिगड़ जायेगी।

श्री हा० ना० तिवारी : मैं उन को इनवाइट करूंगा कि वह आ कर देखें कि क्या हालत है। एक महीना पहले इन मकानों की मरम्मत हुई थी, आज वे धूमिल हो गये हैं। पता नहीं कैसे मरम्मत की जाती है। मरम्मत भी होती है तो वह हैपहैज़र्ड वे में होती है, कुछ हो गई और कुछ नहीं हुई। जिस पोर्शन की मरम्मत नहीं होती है वह पड़ा रह जाता है। हमारे शर्मा जी ने कहा कि नार्थ और साउथ एवेन्यू के लोग शिकायत करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि कहां के लोग शिकायत नहीं करते हैं। वही लोग शिकायत नहीं करते हैं जो तिकड़म भिड़ा कर अपना काम अच्छी तरह से करवा लेते हैं, मरम्मत अच्छी तरह से करवा लेते हैं या जो हाउसिंग कमेटी के मेम्बर हैं, उनके मकानों की मरम्मत अच्छी तरह से कर दी जाती है। बाकी लोग तो रोते ही रहते हैं उनके मकानों की मरम्मत नहीं होती है। किराया उनको दूसरे लोगों की तरह पूरा ही देना पड़ता है। मैं जिस मकान में रहता हूं वह बरसात के जमाने में चूता है। मैं लिख कर हार गया हूं कुछ नहीं रोना किया गया है। जहां मैं सोता हूं वहां ऊपर से चूना झड़ता है। ऐसा स्टैंडर्ड उन मकानों का है या उस मरम्मत का है, जो की जाती है। इसका कारण क्या है ? यह जो विजिलेंस डिपार्टमेंट इस मिनिस्ट्री का है वह ठीक से काम नहीं करता है। कम्पलेंट्स आती हैं .....

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या कोई मंत्री औफिशियल गैलरी में किसी से परामर्श कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : भाषणों का उत्तर देने के लिये मंत्री महोदय अपने मंत्रालय के अधिकारियों से वहां परामर्श कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं यह कह रहा था कि आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं करता है। कम्पलेंट्स जब आती हैं तो उनकी त्वरित जांच नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद उनका जो एविडेंस है, उसके चिह्न मिट जाते हैं और उस हालत में जांच ठीक नहीं हो सकती है। जो रिपोर्ट है इसके पेज ६ में लिखा हुआ है :—

कुल निलम्बित शिकायतें जो १-१-६१ को थीं .	. २००
प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या . .	. ८०६
निपटायी जा रही शिकायतों की संख्या . . .	. २५१

पिछले साल की कम्पलेंट्स इस साल तक पड़ी हुई हैं, उनकी डिसपोज़ल नहीं हुई है। कम्लेंट्स जब आती हैं उसी वक्त उनकी जांच नहीं होती है और बाद में जब एविडेंस मिट जाता है तो उनकी जांच करने से क्या लाभ होता है। प्राम्पटली उनकी जांच होनी चाहिये और अगर ऐसा होता है तभी असल बात का पता चल सकता है। जिनके खिलाफ कम्पलेंट्स की जाती हैं वे तो चाहते हैं कि देरी होती जाए ताकि असली बात का पता ही न चल सके। इस वास्ते इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये।

हमने एक लैजिस्लेशन पास किया है जिसका नाम सरकारी (भूगृहादि अनधिकृत व्यक्तियों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८ है। उसको लागू करने के लिये ९८ स्टेट आफिसर्स बहाल किए गए हैं। उनका वर्क लोड क्या है इसको आप देखें। उन्होंने २४४ केसिस का डिसपोज़ल किया है। इस हिसाब से साल में एक आदमी पीछे चार केसिस के करीब पड़े। आफिसर्स बहाल कर दिये जाते हैं, उनके पास काम नहीं होता है। जब काम नहीं होता है तो क्यों उनको बहाल कर दिया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। पब्लिक मनी को इस तरह से वैस्ट नहीं किया जाना चाहिये। काम के लिहाज से आफिसर्स बहाल होने चाहियें और उनके पास करने के लिये पूरा काम होना चाहिये। इसका ब्यौरा पेज ४७ पर दिया गया है। मैं चाहता हूं कि इधर भी आपका ध्यान जाए।

अब मैं स्लम क्लीयरेंस के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं। इसके बारे में पेज १३ पर कहा गया है कि १२.९९ करोड़ रुपये की व्यवस्था इस कार्य के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की गयी थी। राज्य सरकारों ने १९८ योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न नगरों में ६१२५० घर बनाये हैं और उस उस पर १७.५६ करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

आप देखें कि कम्पलीशन कितना हुआ है। मैं तो समझता हूं कि बहुत स्लो काम हो रहा है, धीरे काम हो रहा है, कोई अर्जेंसी फील की जाती हो, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। मकान जो बनाये गए हैं वे १९२२१ बनाये गये हैं। ६१,००० बनने थे और १९००० ही बने हैं यानी २२, २३ या २५ परसेंट के करीब मकान बने हैं। पता नहीं इतना बड़ा स्टाफ जो रखा हुआ है, वह किस लिये रखा हुआ है जब कि इस को पूरा तक नहीं किया गया है। इतना पैसा स्टाफ पर खर्च करने की क्या आवश्यकता है, यह मैं नहीं समझ पाया हूं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस मे बहुत दिलचस्पी रखते हैं, और उन की दिलचस्पी के बावजूद इतना स्लो काम हो रहा है, इतनी स्लो प्रोग्रेस हो रही है। मैं चाहता हूं कि इस काम में माननीय मन्त्री जी तेजी लाने की कोशिश करें। पहले तो प्राविज़न बहुत कम है और दूसरे जो प्राविज़न र भी, उसका भी पूरा इस्तैमाल नहीं होता है। एक तरफ तो हम रुपये का रोना रोते हैं और दूसरी तरफ जो रुपया हमें मिलता है उसको हम खर्च भी नहीं कर पाते हैं। यह हमारी इनएफिशेंसी को ही जाहिर करता है।

एक बात मैं विल्लेज हाउसिंग के बारे में खास तौर पर कहना चाहता हूं। रिपोर्ट के पेज १५ पर विल्लेज हाउसिंग प्राजैक्ट स्कीम्ज का जिक्र है। मेरे मित्र ने भी इसका जिक्र किया है। लेकिन मैं कुछ विस्तार से इसका जिक्र करना चाहता हूं। रिपोर्ट में लिखा है कि सिर्फ दो हजार रुपये कास्ट आफ लेंण्ड के साथ हाउसिंग प्राजैक्ट्स स्कीम के लिये दिये जाते हैं जो कुछ भी नहीं हैं। मैटीरियल बहुत महंगा है और दो कट्ठा जमीन भी एक हजार से कम में कहीं नहीं मिल सकती है। एक हजार अगर जमीन में खर्च हो जाए तो क्या बाकी एक हजार में मकान बन सकता है। शायद दो कमरे का झोंपड़ा भी इतने पैसों में नहीं बन सकता है। सामान इत्यादि की कीमतें बढ़ जाने की वजह से दूसरी स्कीमों मे दस परसेंट की बढ़ोतरी की गई है लेकिन इस स्कीम के तहत पहले से जो दो हजार चला आ रहा था, वही अब भी चला आ रहा है। मिनिस्टर साहब को याल करना चाहिये कि सामान को कीमतें बढ़ गई हैं, जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई ज्यादा हो गई है और इस हालत में दो हजार किसी को देकर आप कैसे मकान बनवा सकते हैं। इतने पैसों से तो कोई टैम्पोरेरी स्ट्रक्चर ही बन सकता है और अंदर पानी आ जाए तो वह उड़ जाएगा। अगर उसका मकान तबाह हो जाता है तो वह कैसे ऐसी हालत मे आपका कर्जा अदा कर सकता है। उसको अपनी जायदाद बेच कर ही कर्जा अदा करना पड़ेगा। इस तरह से उसका काम नहीं चल सकता है। इस रकम में इस वास्ते सबस्टैंशल वृद्धि होनी चाहिये। दो हजार रुपया तो मामूली चीज है और इससे उसका भला नहीं हो सकता है। उचित यह होगा कि ऐसे लोगों को जिनकी हैसियत दो हजार या ढाई हजार रुपया देने की है, उनको कम से कम ५० परसेंट सबसिडी के तौर पर और ५० परसेंट कर्ज के तौर पर दिया जाए। जो आप कर्ज दे, उसमें जमीन के लिये एक हजार दें और मकान के लिये कम से कम तीन हजार रुपया दें। यदि आपने ऐसा किया तभी उनका भला हो सकता है जो आपकी वर्तमान स्कीम है, उससे उनका भला नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस ओर आपका ध्यान जाए।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : पुनर्वास मन्त्रालय को यद्यपि समाप्त करके निर्माण, आवास तथा सम्भरण मन्त्रालय के अन्तर्गत कर दिया गया है तथापि इस दिशा में हमारे कुछ दायित्व हैं जिन्हें हम आसानी से परे नहीं फेंक सकते। श्री शर्मा ने अभी-अभी कहा है कि भारत सरकार को पाकिस्तान से अनुपात में भूमि की मांग करनी चाहिये। मेरा निवेदन है कि यह मांग हमने पहली बार नहीं की। प्रत्युत् इसे सरदार पटेल के समय से ही किया जा रहा है। यह खेद की बात है कि पाकिस्तान का संविधान इस प्रकार बनाया गया है कि हिन्दुओं को वहां दूसरे दर्जे का नागरिक रहना पड़ेगा और वे सदा असहाय बने रहेंगे। एक दिन वहां के समस्त हिन्दुओं को मजबूर होकर भारत में शरण लेनी पड़ेगी। इसलिये पूर्व-पाकिस्तान से निकाले जाने वाले लोगों की संख्या के अनुपात से पाकिस्तान से भूमि मांगने के प्रश्न पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त पुनर्वास की समस्याओं पर अभी भी पूरे समय ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिये इस विभाग को वर्तमान मन्त्री के अन्तर्गत एक प्रमुख विभाग बनाये रखना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा १ जून, १९६२/ज्येष्ठ ११, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, ३१ मई १९६२

१० ज्येष्ठ १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .	३७३५--६१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
११९६	अनुसूचित जातियों का कल्याण . . .	३७३५--३७
११९७	लोक सेवाओं के लिये शराब पीना एक अनर्हता	३७३७--३९
११९८	सीमेंट का उत्पादन	३७३९--४१
११९९	तेल-शोधक कारखाने . . .	३७४१-४२
१२००	पाकिस्तान को अमरीकी हवाई जहाज .	३७४२--४४
१२०१	असिस्टेंटों का सेलेक्शन ग्रेड	३७४४-४५
१२०४	रूस से सुपरसोनिक लड़ाकू विमान . .	३७४५-४६
१२०५	छोटी कोयला खानों का एकीकरण	३७४६-४७
१२०६	भारत में भिखारी	३७४७--४९
१२०७	लड़कियों तथा स्त्रियों की शिक्षा	३७४९-५१
१२०८	अंकलेश्वर गैस. . . .	३७५१
१२०९	एच० एफ० २४ सुपरसोनिक विमान . . .	३७५२-५५
१२१०	समन्द (गुजरात) में तेल . . .	३७५५
१२११	मद्य निषेध . . .	३७५६-५७
१२१२	केरल में ग्राम्य संस्था . . .	३७५७-५८
१२१३	नर्मदा नदी क्षेत्र में तेल	३७५८-५९
१२१५	प्राइमरी स्कूलों के निर्माण के लिये सहायता . .	३७५९ -६१
	अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
१३	उर्वरक परियोजनायें	३७६१-६२

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	३७६३—९२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१२०२	मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर की मशीनों का विक्रय	३७६३
१२०३	पोर्ट-ब्लेयर में मछली पकड़ने की नौकाओं का रोका जाना	३७६३–६४
१२१४	बड़ौदा में जेटर सुपर ट्रैक्टरों का निर्माण	३७६४
१२१६	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का मुख्य कार्यालय	३७६४
१२१७	भयोत्पादक विनोद पत्रिकाओं की बिक्री	३७६४
१२१८	जाली डालरों का परिचालन	३७६५
१२१९	विश्वविद्यालयों में औद्योगिक बस्तियां	३७६५
१२२०	नागा विद्रोहियों के अड्डे	३७६६
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३१६	एम० वी० "प्रेमा" और एम० वी० "वाराचा"	३७६६
२३१७	भारतीय विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र	३७६६–६७
२३१८	मन्त्रियों आदि के वेतन और भत्ते	३७६७
२३१९	बर्दवान मे राजार घोबी क्षेत्र में खुदाई	३७६७
२३२०	कोटा और झालावाड़ में भूतत्वीय सर्वेक्षण	३७६७–७८
२३२१	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं में बैठे अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार	३७६८
२३२२	आन्ध्र प्रदेश में पोलीटैक्नीक	३७६८–६९
२३२३	जापान के मद्य निषेध के तरीके	३७६९
२३२४	दक्षिण एशियाई देशों में शिक्षा सम्बन्धी कराची योजना	३७६९–७०
२३२५	रेल की खराब पटरियां	३७७०
२३२६	"स्टीम शिप प्रोम" द्वारा लाये गये बचे हुए भारतीय	३७७०–७१
२३२७	आन्ध्र में भूतत्वीय सर्वेक्षण	३७७१
२३२८	पुनर्वास वित्त प्रशासन	३७७१–७२
२३२९	भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियां	३७७२
२३३०	त्रिपुरा में कदाचार	३७७३
२३३१	त्रिपुरा में वार्षिक घरचुटकी कर	३७७३–७४
२३३२	भारत सर्वेक्षण विभाग द्वारा नक्शों का प्रकाशन	३७७४
२३३३	ईसाई बन गये अनुसूचित जातियों के लोगों का आर्थिक और शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें	३७७५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३३४	भूतपूर्व राजाओं को दी गई निजी थैलियां	३७७५–७६
२३३५	अभ्रक सम्बन्धी अनुसन्धान संस्था	३७७६
२३३६	मनीपुर प्रशासन के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	३७७६
२३३७	विदेशी राष्ट्र जन	३७७६–७७
२३३८	डमडम हवाई अड्डे पर घड़ियों का पकड़ा जाना	३७७७
२३३९	ग्रामीण उपविभाग (रूरल सेल)	३७७७
२३४०	दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	३७७७–७८
२३४१	मध्य प्रदेश में बोक्साइट के निक्षेप	३७७८
२३४२	तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	३७७८–७९
२३४३	दिल्ली की जेलों में योग	३७७९
२३४४	बैलाडिला परियोजना	३७७९
२३४५	अवैध गांजे का पकड़ा जाना	३७७९
२३४६	त्रिपुरा प्रशासन द्वारा निकाले गये प्रकाशन	३७७९–८०
२३४७	दिल्ली की अनधिकृत बस्तियां	३७८०
२३४८	त्रिपुरा में तेज आंधी से तबाही	२७८०
२३४९	निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते	३७८१
२३५०	चन्देरी का किला	३७८१
२३५१	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक प्रयोजनों के लिये माल-डिब्बे	३७८१–८२
२३५२	मद्रास में जिप्सम की खानें	३७८२
२३५३	लक्कदीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप के निवासियों को ऋण	३७८३
२३५४	पांडिचेरी से कुमारी अन्तरीप क्षेत्र तक तेल	३७८३
२३५५	सेना में भर्ती	३७८३
२३५६	राष्ट्रीय छात्र सेना दल के प्रशिक्षण के लिये अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारी	३७८३–८४
२३५७	हिन्दुस्तान-तिब्बत सड़क	३७८४
२३५८	बुनियादी शिक्षा	३७८४
२३५९	प्रक्षेपणास्त्र-नाशक अस्त्र	३७८४
२३६०	साहित्य अकादमी का साहित्य पुरस्कार	३७८४–८५
२३६१	द्वारका मन्दिर में मरम्मत	३७८५
२३६२	दिल्ली/नयी दिल्ली की अदालतों में विचाराधीन मामले	३७८५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२३६३	सिन्दरी उर्वरक कारखाने में जैनरेटर	३७८५
२३६४	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	३७८६
२३६५	समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण	३७८६—८७
२३६६	"अन्य पिछड़े वर्गों" को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	३७८७
२३६७	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	३७८७—८८
२३६८	पश्चिम जर्मनी का ऋण	३७८८
२३६९	अश्लीलता विरोधी सलाहकार बोर्ड	३७८८
२३७०	भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आय	३७८९
२३७१	सरकारी कर्मचारियों के वेतन की कुर्की	३७८९—९०
२३७२	पिछड़े वर्ग आयोग	३७९०
२३७३	भूतपूर्व सैनिकों के लिये कोटा और बूंदी में भूमि	३७९०
२३७४	दिल्ली के स्कूलों में अध्यापिकाओं को प्रसूति के लिये छुट्टियां	३७९०—९१
२३७५	पंजाब में ग्रामीण संस्थायें	३७९१
२३७६	पंजाब में शिक्षा सम्बन्धी दौरों के लिये सहायता	३७९१
२३७७	पंजाब में पुस्तकालयों को सहायता	३७९१—९२
२३७८	आदिवासी	३७९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		३७९३—९५

(१) श्री हेम बरुआ ने उत्तर प्रदेश में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नौटनवा में कथित विस्फोट की ओर प्रधान मन्त्री का ध्यान दिलाया।

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

(२) श्री बड़े ने २९ मई, १९६२ को पंजाब के अमृतसर जिले में हुए टिड्डी दल के आक्रमण की ओर खाद्य तथा कृषि मन्त्री का ध्यान दिलाया।

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३७९५

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५७७ ।

(ख) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५७८ ।

(ग) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५८० ।

(घ) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५८१ ।

(ङ) दिनांक १२ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६४३ ।

(च) दिनांक १२ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६४४ ।

(२) समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति : —

(क) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५८६ ।

(ख) दिनांक २८ अप्रैल, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५८७ ।

(ग) दिनांक ५ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६२६

समितियों के लिये निर्वाचन . . . ३७९५—९६

(१) शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(२) डा० का० ला० श्रीमाली ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

समितियों के लिये निर्वाचन—(क्रमशः)

(३) डा० का० ला० श्रीमाली ने प्रस्ताव किया कि लोक सभा के सदस्य विश्वभारती की संसद् (कोर्ट) के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य चुनें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की मांगें . . . . ३७९६—३८४३

प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही ।

(१) श्री हरि विष्णु कामत द्वारा मांग संख्या ८ पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव संख्या ५ पर लोक सभा में मत विभाजन हुआ । पक्ष में ३५ : विपक्ष में १८३ । कटौती प्रस्ताव तदनुसार अस्वीकृत हुआ । सभी मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं ।

(२) निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, १ जून, १९६२/११ ज्येष्ठ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।

———

GIPND—LS III—1184 (Ai) LS—19-9-62—150.